



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-जे.के.-अ.-18032023-244470
CG-JK-E-18032023-244470

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 168]
No. 168]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 15, 2023/फाल्गुन 24, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 15, 2023/PHALGUNA 24, 1944

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

(केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख)

अधिसूचना

जम्मू, 8 मार्च, 2023

संख्या जेईआरसी-जेकेएल/आरईजी/2023/07.—विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्या 36) (यहाँ पर अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 181 के साथ पठित धारा 15 और 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों और इस संबंध में इसे सक्षम करने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जम्मू-कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेशों के लिए) ने एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाए हैं :

1 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और क्षेत्र

- इन विनियमों को “संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर व केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख (प्रसारण और वितरण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, शर्तें और अन्य संबंधित मामले) विनियम, 2023 कहा जाएगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।
- ये विनियम जम्मू और कश्मीर संघीय राज्य क्षेत्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में उनके संबंधित लाइसेंस वाले क्षेत्रों में संचालित प्रस्तावित लाइसेंसधारियों पर लागू होंगे।

2 परिभाषाएँ :

1725 GI/2023

(1)

2.1 इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :

- (क) "अधिनियम" का अर्थ है विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 की अधिनियम संख्या 36);
- (ख) "वार्षिक खाते" का अर्थ है, कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए और समय-समय पर और/या आयोग द्वारा निर्देशित इस तरह के अन्य तरीके से अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में समय-समय पर संशोधित प्रसारण लाइसेंसधारी के खाते;
- (ग) "अनुबंध" का अर्थ है करार, अनुबंध, समझौता ज्ञापन, या बिजली के राज्य के अंदर प्रसारण से संबंधित किसी भी पहलू पर कोई अन्य अनुबंध, जो लाइसेंसधारी या प्रस्तावित लाइसेंसधारी के दीर्घकालिक ग्राहकों और राज्य प्रसारण उपयोगिता के बीच किया गया हो;
- (घ) "आवेदक" का अर्थ है वह व्यक्ति जिसने बिजली के राज्य के अंदर प्रसारण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन किया है;
- (ङ) "प्रसारण का क्षेत्र" का अर्थ है प्रसारण लाइसेंस में वर्णित क्षेत्र जिसके अंदर प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण लाइनों और प्रसारण प्रणाली को स्थापित करने, संचालित करने और बनाए रखने के लिए अधिकृत है;
- (च) "ऑडिटर" का अर्थ है प्रसारण लाइसेंसधारी के ऑडिटर, और यदि प्रसारण लाइसेंसधारी एक कंपनी है, तो समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम 1956, कंपनी अधिनियम 2013 की आवश्यकताओं के अनुसार कार्यालय में नियुक्त किए गए ऑडिटर;
- (छ) "बोली प्रक्रिया समन्वयक" का अर्थ है प्रतिस्पर्धी बोली के दिशानिर्देशों के अनुसार बिजली के राज्य के अंदर प्रसारण के लिए सेवाओं की खरीद के लिए बोली आमंत्रित करने की प्रक्रिया के समन्वय के लिए यूटी सरकार / प्रशासन द्वारा अधिसूचित एजेंसी;
- (ज) "राज्य प्रसारण उपयोगिता" का अर्थ है अधिनियम की धारा 39 की उप-धारा (1) के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर की यूटी सरकार और लद्दाख के यूटी प्रशासन द्वारा अधिसूचित राज्य प्रसारण उपयोगिता;
- (झ) "आयोग" का अर्थ है जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग;
- (ञ) "प्रस्तावित (प्रस्तावित) लाइसेंसधारी" का अर्थ है एक व्यक्ति, जिसे अधिनियम की धारा 14 के किसी भी प्रावधान के अंतर्गत बिजली के राज्य के अंदर प्रसारण के लिए लाइसेंसधारी माना जाता है;
- (ट) "वितरण" का अर्थ है वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली का परिवहन या संचालन है;
- (ठ) "वितरण व्यवसाय" का अर्थ है आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए वितरण प्रणाली को संचालित करने और बनाए रखने के लिए वितरण लाइसेंसधारी का अधिकृत व्यवसाय;
- (ड) "वितरण लाइसेंसधारी" का अर्थ है "वितरण लाइसेंस" द्वारा अधिकृत व्यक्ति जो अपने आपूर्ति के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति/वाहन/संचालन के लिए वितरण प्रणाली को संचालित और बनाए रखने के लिए अधिकृत है और इसमें प्रस्तावित लाइसेंसधारी भी शामिल होगा;
- (ढ) "अप्रत्याशित घटना" का अर्थ है प्रसारण लाइसेंसधारी के उचित नियंत्रण से बाहर की घटनाएँ जिसमें भूकंप, चक्रवात, बिजली गिरने, दंगा, बाढ़, तूफान, युद्ध, विद्रोह, आतंकवादी हमला, नागरिक विद्रोह, तालाबंदी, आग के अतिरिक्त लाइसेंसधारी को प्रभावित करने वाली अन्य ऐसी ही घटनाएँ शामिल हैं जिनमें बिजली की आपूर्ति से संबंधित प्रासंगिक कानूनों या विनियमों का उल्लंघन होता है;
- (ण) "सामान्य शर्तें" का अर्थ है इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रसारण की सामान्य शर्तें हैं;

- (त) "ग्रिड कोड" का अर्थ है विद्युत अधिनियम की धारा 86 की उप-धारा (1) के खंड (h) के अंतर्गत आयोग द्वारा निर्दिष्ट ग्रिड कोड या जैसा कि स्वीकृत किया गया है और इसमें इन विनियमों के प्रारंभ होने की तिथि को लागू भारतीय विद्युत ग्रिड कोड शामिल है।
- (थ) "लाइसेंस" का अर्थ है अधिनियम, 2003 की धारा 14 के अंतर्गत दिया गया लाइसेंस;
- (द) "लाइसेंसीकृत व्यवसाय" का अर्थ है प्रसारण लाइसेंस के अंतर्गत प्राधिकृत लाइसेंस के क्षेत्र में प्रसारण का व्यवसाय;
- (ध) "प्रमुख घटना" का अर्थ है बिजली के संचरण से जुड़ी एक घटना, जिसके परिणामस्वरूप सेवा में महत्वपूर्ण रुकावट, उपकरण को पर्याप्त नुकसान, या जीवन की हानि या मानव को महत्वपूर्ण चोट, या अन्यथा आयोग द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य घटना भी शामिल होगी जिसे आयोग एक प्रमुख घटना घोषित करता है;
- (न) "बैठक" का अर्थ है अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में समय-समय पर आयोग द्वारा आयोजित सुनवाई, बैठक, चर्चा, विचार-विमर्श, पूछताछ, जांच, परामर्श;
- (प) "अधिकारी" का अर्थ है आयोग का एक अधिकारी;
- (फ) "ओपन एक्सेस" का अर्थ है किसी भी लाइसेंसधारी या उपभोक्ता या विद्युत अधिनियम और निर्दिष्ट नियमों के अनुसार उत्पादन में लगे व्यक्ति द्वारा ऐसी लाइनों या प्रणाली के साथ प्रसारण लाइनों या प्रसारण प्रणाली या संबंधित सुविधाओं के उपयोग के लिए आयोग द्वारा गैर-भेदभावपूर्ण प्रावधान;
- (ब) "अन्य व्यवसाय" का अर्थ है लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के अलावा किसी प्रसारण लाइसेंसधारी का कोई भी व्यवसाय;
- (भ) "याचिका" में सभी याचिकाएं, आवेदन, शिकायतें, अपील के जवाब, प्रत्युत्तर, पूरक दलीलें, अन्य कागजात और दस्तावेज शामिल हैं;
- (म) "कार्यवाही" में सभी प्रकार की कार्यवाहियाँ शामिल हैं जो आयोग अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों के निर्वहन में आयोजित कर सकता है;
- (य) "प्राप्तकर्ता अधिकारी" का अर्थ है याचिका प्राप्त करने के लिए आयोग द्वारा नामित अधिकारी;
- (र) "विनियम" का अर्थ है अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आयोग द्वारा बनाए गए विनियम;
- (ल) "खुदरा आपूर्ति" का अर्थ है आपूर्ति के अपने क्षेत्र के अंदर वितरण लाइसेंसधारी द्वारा किसी उपभोक्ता को बिजली की आपूर्ति और "खुदरा आपूर्तिकर्ता" और "खुदरा आपूर्ति व्यवसाय" शब्दों का उस संदर्भ में तदनुसार अर्थ होगा;
- (व) "सचिव" का अर्थ है आयोग का सचिव;
- (श) "आपूर्ति" का अर्थ है बिजली की आपूर्ति और "आपूर्तिकर्ता" शब्द का अर्थ तदनुसार होगा;
- (ष) "प्रसारण लाइसेंस" का अर्थ है आयोग द्वारा लाइसेंस में निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रसारण लाइनों और प्रसारण प्रणाली की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए अधिनियम की धारा 14 (क) के अंतर्गत किसी व्यक्ति / कंपनी को दिया गया लाइसेंस। शब्द "प्रसारण लाइसेंसधारी" का अर्थ तदनुसार होगा।
- (स) "प्रसारण प्रणाली" का अर्थ है एक पावर स्टेशन से उप-स्टेशन तक बिजली के प्रसारण के प्रयोजनों के लिए प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा स्वामित्व और/या संचालित ईएचवी (जेनरेटर इंटरकनेक्शन सुविधाओं को छोड़कर) पर संचालित ईएचवी विद्युत लाइनों वाली प्रणाली या किसी अन्य पावर स्टेशन या उप-स्टेशनों के बीच या किसी बाहरी इंटरकनेक्शन उपकरण से या वितरण प्रणाली के साथ इंटरकनेक्शन तक और बिजली के संचरण के संबंध में प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा स्वामित्व या उपयोग किए जाने वाले संयंत्र और उपकरण और मीटर शामिल हैं, लेकिन किसी लाइसेंसधारी की वितरण प्रणाली का कोई भाग शामिल नहीं होगा;

(ह) "वर्ष" का अर्थ है एक कैलेंडर वर्ष के 1 अप्रैल से अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च तक बारह महीनों की अवधि।

2.2 इन विनियमों में प्रयुक्त अन्य सभी शब्द और अभिव्यक्तियाँ यदि यहाँ ऊपर विशेष रूप से परिभाषित नहीं हैं, लेकिन अधिनियम में परिभाषित हैं, तो उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में दिया गया है। ऐसे अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ, जिनका उपयोग यहाँ किया गया है, लेकिन इन विनियमों या अधिनियम में विशेष रूप से परिभाषित नहीं किया गया है लेकिन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बिजली उद्योग के लिए लागू संसद द्वारा पारित किसी अन्य कानून के अंतर्गत परिभाषित किया गया है, वही होगा जैसे की ऐसे कानून में उन्हें दिया गया है।

भाग क: प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया, नियम एवं शर्तें तथा अन्य संबंधित मामले

अध्याय-1

परियोजना का चयन और लागू करने वाली एजेंसी

3. राज्य के अंदर प्रसारण योजना

- 3.1 राज्य प्रसारण उपयोगिता (एसटीयू) के पास सभी संबंधित एजेंसियों के समन्वय में राष्ट्रीय विद्युत योजना के आधार पर नेटवर्क योजना और विकास की प्रमुख जिम्मेदारी है।
- 3.2 एसटीयू द्वारा विकसित की जाने वाली ऐसी नेटवर्क योजना विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2021 को जारी प्रसारण परियोजनाओं के विकास में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए जारी दिशा-निर्देशों और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार होगी।
- 3.3 राज्य प्रसारण उपयोगिता विद्युत अधिनियम 2003 के विनियम 39 (2) में निर्दिष्ट सभी एजेंसियों के साथ समन्वय में राज्य के अंदर प्रसारण प्रणाली से संबंधित योजना और समन्वय के सभी कार्यों का निर्वहन करेगी।

4. परियोजना विकासकर्ता का चयन

- 4.1 केंद्र सरकार द्वारा छूट प्राप्त परियोजनाओं के अलावा विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 10 अगस्त 2021 को अधिसूचित प्रसारण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी-बोली दिशानिर्देशों के अनुसार इंटर स्टेट ट्रांसमिशन परियोजनाओं को टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से लागू किया जाएगा।
- 4.2 केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) सरकार/प्रशासन द्वारा अधिसूचित एक बोली प्रक्रिया समन्वयक दिशानिर्देशों के अनुसार टैरिफ-आधारित प्रतिस्पर्धी बोली के अंतर्गत लागू की जाने वाली प्रत्येक राज्य के अंदर प्रसारण परियोजना के लिए आवश्यक प्रसारण सेवाओं की खरीद के लिए बोली प्रक्रिया के संचालन के लिए जिम्मेदार होगा।
- 4.3 यूटी सरकार/प्रशासन द्वारा अधिसूचित बोली प्रक्रिया समन्वयक आयोग को बोली प्रक्रिया शुरू करने के बारे में सूचित करेगा।
- 4.4 सफल बोलीदाता द्वारा अनुबंध निष्पादन गारंटी जमा करने और एसपीवी प्राप्त करने के बाद, बीपीसी द्वारा निगमित विशिष्ट उद्देश्य वाहन (एसपीवी) को ट्रांसमिशन सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी) के रूप में नामित किया जाएगा, जिसे टीएसपी कहा जाएगा।
- 4.5 प्रसारण सेवा प्रदाता प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने और प्रसारण प्रभारों को अपनाने के लिए उक्त एसपीवी की संपूर्ण इक्विटी के अधिग्रहण की तिथि से पांच (5) कार्य दिवसों की अवधि के अंदर आयोग से संपर्क करेगा।
- 4.6 केंद्र सरकार द्वारा छूट दी गई या आयोग द्वारा निर्दिष्ट सीमा सीमा से नीचे की परियोजनाओं को राज्य प्रसारण उपयोगिता या अन्य प्रस्तावित लाइसेंसधारी, या राज्य के स्वामित्व वाली या नियंत्रित कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के अंतर्गत विकसित किया जा सकता है।

अध्याय-II

प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

5. प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

- 5.1 यहां निहित विनियम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बिजली के प्रसारण के व्यवसाय में संलग्न होने के इच्छुक सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
- 5.2 किसी भी प्रसारण लाइसेंस के लिए आवेदन अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- 5.3 एक आवेदक इन विनियमों के परिशिष्ट -1 में निर्दिष्ट प्रपत्र में और आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।
- 5.4 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस के लिए देय शुल्क, जम्मू और कश्मीर यूटी और लद्दाख यूटी के लिए जेईआरसी और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार होंगे;
- 5.5 लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का विधिवत पालन करेगा।
- 5.6 प्रतिस्पर्धी बोली के दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए चुने गए व्यक्ति के मामले में, आवेदन में ऐसी अतिरिक्त जानकारी भी शामिल होगी, जो प्रतिस्पर्धी बोली के दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यक हो सकती है।
- 5.7 लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और आयोग के सचिव या ऐसे अधिकारी को संबोधित किया जाएगा जिसे आयोग इस संबंध में नामित कर सकता है और इसके साथ निम्न दस्तावेज़ होंगे :
 - (क) प्रिंट किए गए आवेदन की छह (6) प्रतियां, और एक (1) ड्राफ्ट लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी जैसा कि आवेदक द्वारा प्रस्तावित किया गया है, आवेदक और उसके एजेंट (यदि कोई हो) के नाम और पता ड्राफ्ट के बाहर प्रिंट होना चाहिए;
 - (ख) प्रसारण के प्रस्तावित क्षेत्र के मानचित्र की तीन (3) प्रतियां, प्रत्येक आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित, जो एक पैमाने पर होगी :
 - (i) लाइसेंस के प्रस्तावित क्षेत्र के मानचित्र 10 सेमी से एक किमी से कम के पैमाने पर नहीं होने चाहिए; या
 - (ii) यदि ऐसा कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सबसे बड़े पैमाने के ओर्डिनांस मानचित्रों से कम नहीं पर नहीं होने चाहिए ; या
 - (iii) एक विशिष्ट मामले में इस तरह के अन्य पैमाने को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
 - (ग) प्रसारण के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का एक विस्तृत मानचित्र आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्र और प्रसारण प्रणाली के विन्यास को दर्शाता है। मानचित्र स्पष्ट रूप से मौजूदा प्रणाली और किसी भी नई सुविधाओं के बीच अंतर करेगा जो बिजली के संचरण प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक हैं या होंगे। मानचित्र सब-स्टेशन, वितरण मेन, प्रसारण नेटवर्क, सड़कों और मार्गों को दर्शाएगा, जिन पर विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है और सार्वजनिक और निजी उपभोक्ताओं के बीच अंतर किया जाता है;
 - (घ) प्रसारण के क्षेत्र में आवेदक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित प्रसारण प्रणाली के निर्माण, संचालन और/या रखरखाव के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;
 - (ङ) लाइसेंस के प्रस्तावित क्षेत्र के प्रशासन के किसी भी हिस्से में निहित सभी स्थानीय प्राधिकरणों (अर्थात् ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र) की एक सूची जिसके माध्यम से प्रस्तावित प्रसारण लाइन गुजरेगी;
 - (च) किसी भी भूमि का वर्णन करने वाला एक अनुमानित विवरण जिसका अधिग्रहण आवेदक लाइसेंस व्यवसाय के उद्देश्य से कनरे का प्रस्ताव करता है और इस तरह के अधिग्रहण का साधन;

- (छ) उपयोगिता के संबंध में व्यय की जाने वाली प्रस्तावित पूंजी का अनुमानित विवरण और आयोग द्वारा अपेक्षित ऐसे अन्य विवरण;
- (ज) प्रसारण प्रणाली के प्रभावी ढंग से और कुशलता से निर्माण, संचालन और/या रखरखाव के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम कर्मियों की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और परियोजना को पूरा करने की वित्तीय क्षमता से संबंधित एक प्रासंगिक जानकारी;
- (झ) कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति, जहां आवेदक एक निकाय कॉर्पोरेट है, और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में निगमन, पंजीकरण या समझौते के लागू दस्तावेज;
- (ञ) चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपरोक्त कथनों पर संलग्न नोट और प्रमाणन, यदि कोई हो;
- (ट) आवेदक के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खातों की एक प्रति या इसी त्राह के अन्य दस्तावेज जो आवश्यक हो सकते हैं;
- (ठ) उपरोक्त खंड (5. 4) के अनुसार निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद;
- (ड) तकनीकी, पूंजी पर्याप्तता और ऋण-पात्रता सहित आवेदक का विवरण;
- (ढ) स्थानीय प्राधिकरण या सहमति पत्र से सहमति मांगने वाले पत्र की एक प्रति;
- (ण) अधिनियम की धारा 15(2)(ii) के अनुसार केंद्र सरकार से सहमति प्राप्त करने वाले पत्र की एक प्रति, यदि लागू हो;
- (त) जहां आवेदक एक कंपनी है, उत्पादन, वितरण, प्रसारण या व्यवसाय में लगी किसी भी समूह कंपनी का विवरण, चाहे वह जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश या किसी अन्य राज्य में हो;
- (थ) जहां आवेदक कोई कंपनी नहीं है, उत्पादन, वितरण, प्रसारण या व्यापार के व्यवसाय का विवरण, चाहे वह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के अंदर हो या किसी अन्य राज्य में, जिसमें आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता हो;
- (द) प्रवर्तकों का संक्षिप्त इतिहास जहां आवेदक एक कंपनी है;
- (ध) ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी जो आयोग मांग सकता है;

6. राज्य प्रसारण उपयोगिता (एसटीयू) के लिए प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिशें

- 6.1 प्रसारण लाइसेंस का आवेदक उपरोक्त विनिर्दिष्ट तरीके से आवेदन करने के तुरंत बाद आवेदन की एक प्रति सभी संलग्नकों के साथ राज्य प्रसारण उपयोगिता को उसकी सिफारिशों के लिए अग्रेषित करेगा।
- 6.2 राज्य प्रसारण उपयोगिता आवेदन की प्राप्ति की पावती देगी और उक्त आवेदन की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर अपनी सिफारिशें, यदि कोई हो, आयोग को भेजेगा।
- 6.3 राज्य प्रसारण उपयोगिता, आयोग को अपनी सिफारिशें भेजती है या नहीं, लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की प्रति प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के अंदर निम्नलिखित पहलुओं पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी :
 - (क) क्या प्रसारण लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र में उल्लिखित संपत्ति राज्य के अंदर प्रसारण प्रणाली का हिस्सा है;
 - (ख) क्या आवेदन में उल्लिखित परिसंपत्तियां प्रसारण योजना का हिस्सा हैं;
 - (ग) क्या आवेदन में उल्लिखित समापन कार्यक्रम व्यावहारिक है और अन्य भागों के विस्तार के साथ तालमेल खाता है;
 - (घ) संपत्तियों की तकनीकी उपयुक्तता;

(ङ) आवेदन में इंगित पूर्णता की अनुमानित लागत का औचित्य;

(च) कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी जो राज्य प्रसारण उपयोगिता आयोग को देना चाहती है;

6.4 सिफारिशें, यदि कोई हों, और राज्य प्रसारण उपयोगिता द्वारा रिपोर्ट आवेदक को पृष्ठांकित की जाएगी।

6.5 आयोग राज्य प्रसारण उपयोगिता की टिप्पणियों पर विचार करेगा लेकिन राज्य प्रसारण उपयोगिता की सिफारिशें और रिपोर्ट आयोग पर बाध्यकारी नहीं होंगी।

7. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मानचित्र और ड्राफ्ट लाइसेंस की प्रतियां

7.1 आवेदक अपने और अपने एजेंटों (यदि कोई हो) के कार्यालय में निलिखित को रखेगा और आपूर्ति के प्रस्तावित क्षेत्र के किसी भी हिस्से के प्रशासन के साथ निवेशित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करेगा :

- i. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपरोक्त खंड 5. 7 (ख) में संदर्भित मानचित्रों की प्रतियां; और
- ii. ड्राफ्ट लाइसेंस की पर्याप्त संख्या में प्रतियां उनके लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को सामान्य फोटोकॉपी शुल्क पर प्रस्तुत की जाएंगी।

8. ड्राफ्ट लाइसेंस की विषयवस्तु

8.1 ड्राफ्ट लाइसेंस में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :

- i. आवेदक के पते और विवरण के साथ प्रस्तावित उपयोगिता का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त नाम और यदि आवेदक एक कंपनी है, तो कंपनी के सभी निदेशकों के नाम;
- ii. प्रस्तावित प्रसारण क्षेत्र के स्थान;
- iii. प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण; और
- iv. ऐसे अन्य विवरण जो आयोग निर्देशित कर सकता है।

9. प्रसारण लाइसेंस की शर्तें

9.1 सामान्य शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस की प्रत्येक श्रेणी आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

9.2 आयोग उन विशेष शर्तों पर निर्णय ले सकता है जिनके अधीन आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाएगा।

9.3 लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का विधिवत पालन करेगा।

10. ड्राफ्ट लाइसेंस का प्रारूप

10.1 आयोग, समय-समय पर, जारी किए जाने वाले लाइसेंस के प्रारूप को निर्धारित कर सकता है और लाइसेंस के इस प्रारूप में इस तरह का संशोधन कर सकता है जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यकता होता है।

11. आवेदनपत्र की पावती और स्वीकृति

11.1 प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग के सचिव या प्राप्तकर्ता अधिकारी इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले एक रजिस्टर में विवरण दर्ज करेंगे और आवेदन को एक संदर्भ संख्या आवंटित करेंगे। सचिव या प्राप्तकर्ता अधिकारी आवेदक को प्राप्ति की तिथि और संदर्भ संख्या सहित आवेदन में बताए गए पते पर एक पावती भेजेगा।

12. आवेदनपत्र की जांच और अतिरिक्त सूचना की मांग

12.1 आयोग या सचिव या इस उद्देश्य के लिए आयोग द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, आवेदन की जांच के बाद, आवेदक को ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, जो आवेदन के उद्देश्य से आवश्यक समझे जा सकते हैं।

12.2 एक आवेदन की जांच जम्मू और कश्मीर के केंद्रशासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के लिए जेईआरसी और वायापार संचालन विनियमों और उसमें किए गए शंसोधनों के अनुसार की जाएगी;

वर्तते कि यदि जांच के दौरान लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिया गया आवेदन किसी भी तरह से अधूरा या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो इसे पूरा करने या कमियों को दूर करने के बाद नया आवेदन करने के लिए आवेदक को वापस कर दिया जाएगा। आवेदक को अभिवचनों में किसी भी दोष के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और उन्हें सुधारने के लिए अनुमत समय दिया जाएगा। आवेदक को अपने नए आवेदन के संबंध में इस विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, सिवाय इसके कि आवेदन प्रक्रिया शुल्क को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

13. आवेदन को भरने की अधिसूचना

13.1 यदि आयोग आवश्यक जानकारी, विवरण और दस्तावेजों के साथ आवेदन को पूरा पाता है, और पाता है कि आवेदक ने आवेदन करने और जानकारी, विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तो आयोग या सचिव प्रमाणित करेगा कि आवेदन लागू कानूनों के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के लिए विचार किए जाने के लिए तैयार है।

14. आवेदन की सार्वजनिक सूचना

14.1 जब तक कि लागू कानूनों/आयोग द्वारा छूट नहीं दी जाती है, आवेदक, आवेदन के दाखिल करने की तिथि से सात (7) दिनों के अंदर, एक अंग्रेजी और एक ऐसे स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा अपने लाइसेंस के लिए आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा जिसका प्रसारण का क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो और ऐसे विज्ञापन में ऐसे विवरण शामिल होंगे जो इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्देशित किए गए हैं :

(क) सबसे ऊपर बोल्ड में आवेदक का नाम जो स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आवेदक एक व्यक्ति है, या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित है या अन्य निगमित या अनिगमित निकाय है और अपने कार्यालय के पते का पूर्ण विवरण और पंजीकृत कार्यालय का पता, यदि कोई हो, स्पष्ट रूप से होना चाहिए;

(ख) यह कथन कि आवेदक ने अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत किया है;

(ग) प्रसारण लाइसेंस का प्रस्तावित क्षेत्र;

(घ) आवेदक की वित्तीय और तकनीकी शक्ति, प्रबंधन प्रोफाइल और शेयर होल्डिंग पैटर्न, यदि कोई हो;

(ङ) इस आशय का एक बयान कि समय-समय पर आयोग के समक्ष दायर किया गया आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदक के पास उपलब्ध हैं;

(च) प्रस्तावित प्रसारण लाइसेंस के क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों में आवेदक द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य आवश्यक विवरण, जो आवेदन और अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण, के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या जिनसे वे फोटोकॉपी शुल्क पर व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं।

(छ) प्रस्तावित प्रसारण लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;

- (ज) इस आशय का एक बयान कि पूरा किया गया आवेदन आवेदक की वेबसाइट या किसी अन्य अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है;
- (झ) यह बयान कि कोई भी आपत्ति, यदि कोई हो, सूचना के प्रकाशन के तीस (30) दिनों के अंदर सचिव, जम्मू और कश्मीर के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश, अंबेडकर रोड, पनामा चौक, जम्मू के समक्ष दायर की जा सकती है।
- (ञ) बशर्ते कि आवेदक आयोग से अनुरोध कर सकता है कि वह पर्याप्त और उचित आधार के साथ अपने व्यावसायिक हितों या बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए उपरोक्त किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से मना करे और आयोग उचित विचार के बाद ऐसे अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है;
- (ट) बशर्ते कि आवेदक को निर्दिष्ट तरीके से उपरोक्त जानकारी का एक अगोपनीय सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता हो सकती है;
- (ठ) उपरोक्त के अलावा, आयोग यह निर्देश दे सकता है कि केंद्र सरकार, यूटी सरकार/प्रशासन, किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति या निकाय को जैसा कि आयोग उचित समझे, के किसी नामित प्रतिनिधि को आवेदन की सूचना दी जानी चाहिए;
- (ड) आवेदक उपरोक्तानुसार नोटिस के प्रकाशन की तिथि से सात (7) दिनों के अंदर आयोग को एक हलफनामा, प्रकाशित नोटिस का विवरण प्रस्तुत करेगा, और समाचार पत्रों की प्रासंगिक प्रतियां भी दाखिल करेगा जिसमें नोटिस प्रकाशित किए गए हैं।

15. आवेदन और दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण

- 15.1 उपरोक्त विनियम 14 के अनुसार नोटिस के प्रकाशन की तिथि से, आवेदक समय-समय पर, आवेदन की प्रतियां और उसके साथ जमा किए गए सभी दस्तावेज अपने कार्यालय और अपने एजेंटों के कार्यालय (यदि कोई हो) और आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के पास भी उपलब्ध कराएगा।
- 15.2 आवेदक, आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को, अपने आवेदन की मुद्रित प्रतियां, संलग्नक के साथ, ऐसी सामग्री की फोटोकॉपी की उचित कीमत पर प्रस्तुत करेगा।

16. ड्राफ्ट लाइसेंस का संशोधन

- 16.1 कोई भी व्यक्ति जो ड्राफ्ट लाइसेंस में कोई संशोधन करवाना चाहता है, वह समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की सूचना का प्रकाशन की तिथि के बाद (30) दिनों की अवधि के अंदर सचिव या आयोग द्वारा नामित अधिकारी को संशोधन का विवरण देगा।

17. आपत्तियां और सुझाव

- 17.1 प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आपत्ति/सुझाव देने का इरादा रखने वाले व्यक्ति उपरोक्त विनियम 14 में संदर्भित पहले विज्ञापन के जारी होने की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर आपत्ति/सुझाव दर्ज करेंगे। आपत्तियों/सुझावों की एक प्रति आयोग के सचिव को संबोधित की जाएगी।
- 17.2 जहां किसी संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से आपत्ति प्राप्त होती है, जो यदि आयोग की राय में आपत्ति योग्य नहीं है, तो लिखित रूप में राय दर्ज करेगा और कारण सहित स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- 17.3 ऐसी आपत्तियों/सुझावों की प्राप्ति पर, सचिव/नामित अधिकारी उस पर प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए संबंधित आवेदन की संदर्भ संख्या अंकित करेगा और संबंधित आवेदन से संबंधित फ़ाइल में ऐसी आपत्तियों को रखेगा, और उसे आयोग की वेबसाइट पर भी पोस्ट करेगा।

- 17.4 आवेदक उपरोक्त खंड (17.1) में उल्लिखित तीस (30) दिनों के नोटिस की समाप्ति के पंद्रह (15) दिनों के अंदर उपरोक्त विनियम 14 के अंतर्गत नोटिस के जवाब में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।
- 17.5 आपत्तियों पर आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियां संशोधन के साथ जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के लिए जेईआरसी के प्रावधान के अनुसार एक उत्तर के रूप में दर्ज की जाएंगी;
- 17.6 रक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के कब्जे में किसी भी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, डॉकयार्ड या शिविर या किसी भी इमारत या जगह के पूरे या किसी भी हिस्से सहित किसी क्षेत्र के लिए प्रसारण लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने पर, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाइसेंस प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है :

बशर्ते कि यदि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो आयोग अपने विवेक से कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।

18. सुनवाई और स्थानीय पूछताछ

- 18.1 यदि आवेदक ने इच्छित आवेदन के नोटिस के प्रकाशन की विधिवत व्यवस्था की है और आपत्तियां दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है और आयोग को आवेदन करने के बाद केंद्र सरकार से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करना आवश्यक है तो आवेदन पर सामान्य सुनवाई की जाएगी।
- 18.2 आयोग आवेदक, आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों, केंद्र सरकार, संबंधित सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरण, व्यक्ति या निकाय को, जिसे आयोग उचित समझे, जांच या सुनवाई का नोटिस देगा।
- 18.3 यदि कोई व्यक्ति लाइसेंस के लिए आवेदन करने पर आपत्ति करता है, तो आयोग, यदि आवेदक या आपत्तिकर्ता की इच्छा है, तो एक स्थानीय जांच करवाएगा, जिसकी लिखित सूचना आवेदक और आपत्तिकर्ता दोनों को दी जाएगी। :
- बशर्ते कि आयोग ऐसी जांच से इंकार कर सकता है यदि उसकी राय में आपत्ति तुच्छ या तंग करने वाली प्रकृति की हो;
- बशर्ते यह भी कि आयोग, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, स्थानीय जांच के लिए उसके द्वारा निर्धारित समय बढ़ा सकता है।
- 18.4 ऐसी स्थानीय जांच के मामले में, की गई स्थानीय जांच के परिणामों का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा और उस पर आवेदक, अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए नामित व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जैसा कि आयोग निर्देश दे सकता है।
- 18.5 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर सुनवाई उसके बाद जहां तक संभव हो उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसा कि धारा (18. 7) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।
- 18.6 लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की सुनवाई करते समय आयोग द्वारा स्थानीय जांच के परिणाम पर विचार किया जाएगा।
- 18.7 आयोग किसी मामले की सुनवाई के चरणों, तरीके, स्थान, तिथि और समय का निर्धारण कर सकता है और आवेदक, व्यक्ति या निकाय, केंद्र सरकार, यूटी सरकार/प्रशासन, स्थानीय प्राधिकारी और ऐसे अन्य प्राधिकरण की सुनवाई का समय भी निर्धारित कर सकता है जैसा कि आयोग उचित समझता है और निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक के साथ आगे बढ़ सकता है
- (क) आयोग पक्षकारों के अभिवचनों पर मामले का निर्णय कर सकता है या पक्षकारों को हलफनामे के माध्यम से साक्ष्य प्रस्तुत करने या मामले में मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कह सकता है।

- (ख) यदि आयोग किसी पक्ष के साक्ष्य को मौखिक रूप से प्रस्तुत करने का निर्देश देता है, तो आयोग, यदि आवश्यक या वांछित समझता है, तो दूसरे पक्ष को साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों से जिरह करने का अवसर प्रदान कर सकता है।
- (ग) आयोग, यदि आवश्यक या वांछित समझता है, तो वह यह निर्देश दे सकता है कि किसी अधिकारी या आयोग द्वारा नामित व्यक्ति द्वारा किसी भी पक्ष के साक्ष्य को रिकॉर्ड किया जाएगा।
- (घ) आयोग पक्षकारों को मामले में तर्कों या प्रस्तुतियों के लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दे सकता है।

19. प्रसारण लाइसेंस के ड्राफ्ट का अनुमोदन

- 19.1 जांच, यदि कोई हो, और आवेदन की सुनवाई के बाद, आयोग लाइसेंस देने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है।

बशर्ते किहालांकि, आयोग किसी भी स्थिति में आवेदक को या तो लिखित रूप में जवाब दाखिल करने या मौखिक सुनवाई आयोजित करने का अवसर दिए बिना किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा।

- 19.2 यदि आयोग प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो लाइसेंस इन विनियमों के परिशिष्ट-2 में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा :

बशर्ते कि आयोग किसी लाइसेंस के लिए निर्दिष्ट फॉर्म को ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के अधीन जो आयोग निर्देशित कर सकता है, बदल या संशोधित कर सकता है, जैसा कि वह अपने विवेकानुसार आवश्यक समझ सकता है।

- 19.3 कोई भी लाइसेंस देने से पहले आयोग दो (2) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों और अपनी वेबसाइट पर एक नोटिस प्रकाशित करेगा, जिसे आयोग आवश्यक समझे, जिसमें उस व्यक्ति का नाम और पता प्रस्तुत करते हुए, जिसे वह लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव करता है, को प्रकाशित करेगा जिसमें इस तरह का अन्य विवरण प्रदान किया जाएगा जिसे आयोग उचित समझता है।

- 19.4 आयोग द्वारा ड्राफ्ट लाइसेंस को या तो उसके मूल रूप में या संशोधित रूप में अनुमोदित करने के बाद सचिव या कोई अन्य अधिकारी जिसे आयोग इस संबंध में नामित कर सकता है, आवेदक को इस तरह के अनुमोदन और उस रूप के बारे में सूचित करेगा जिसमें लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तावित लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक द्वारा भुगतान की जाने वाली फीस सहित आवेदक द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें शामिल होंगी।

- 19.5 लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद आयोग लाइसेंस की एक प्रति संबंधित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों को भेजेगा जिन्हें आयोग आवश्यक समझता है। आयोग प्रदान किए गए लाइसेंस की प्रति भी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

- 19.6 यदि आवेदक संशोधन, परिवर्तन या परिवर्धन, यदि कोई हो, के साथ प्रसारण लाइसेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है, और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के अधीन जैसा कि आयोग उक्त अनुच्छेद (19. 2) के अंतर्गत निर्देशित कर सकता है, आवेदक आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के सात (7) दिनों के अंदर स्वीकृति प्रदान करेगा।

- 19.7 जहां आयोग प्रसारण लाइसेंस देने से इनकार करता है, सचिव ऐसे इनकार के चौदह (14) दिनों के अंदर आवेदक को इस तरह के इनकार के समर्थन में आयोग के तर्कपूर्ण आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए इस तरह के इनकार की सूचना देगा।

20. प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने की अधिसूचना

- 20.1 आवेदक से लिखित रूप में यह सूचना प्राप्त होने पर कि वह आयोग द्वारा अनुमोदित प्रपत्र में लाइसेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है और आवेदक द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के लिए लगाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद, आयोग लाइसेंस या उसके ऐसे भाग या सारांश को प्रकाशित करेगा, जैसा कि आयोग उचित समझता है।

21. प्रसारण लाइसेंस के शुरू होने की तिथि और अवधि

- 21.1 प्रसारण लाइसेंस उस तिथि से शुरू होगा जिसे आयोग लाइसेंस के प्रारंभ होने की तिथि के रूप में निर्देशित कर सकता है और;
- 21.2 प्रसारण लाइसेंस प्रारंभ होने की तिथि से पच्चीस (25) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि इसे आयोग द्वारा पहले ही विधिवत निलंबित या निरस्त नहीं कर दिया जाता।
- 21.3 यदि जिस प्रसारण संपाती के लिए लाइसेंस जारी किया गया है उसका उपयोगी जीवन 25 वर्ष की अवधि से अधिक है तो आयोग प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर एक और अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर विचार कर सकता है जिसके लिए लाइसेंसधारी समाप्त होने की अवधि से 2 वर्ष पहले विनियम 5 के अनुसार आवेदन कर सकता है :

बशर्ते कि अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत दी गई परियोजनाओं के लिए, लाइसेंस को 35 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

बशर्ते कि जब लाइसेंसधारी 25 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो आयोग इसके उपयोगी जीवन के शेष भाग के लिए प्रसारण संपत्ति के संचालन के लिए उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए या जनहित में ऐसे निर्देश जारी कर सकता है या ऐसी योजनाएँ बना सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

- 21.4 धारा 63 के अंतर्गत दी गई परियोजनाओं के मामले में, 35 वर्षों के बाद परियोजना की अवधि समाप्त होने के बाद बिना किसी भार और देनदारी के और बिना किसी लागत के, अधिकारों, रास्ते के अधिकार और क्लेयरेंस के साथ परियोजना की संपाती और सब स्टेशन की भूमि को अनिवार्य रूप से एक यूटी सरकार/प्रशासन द्वारा निर्धारित एजेंसी को हस्तांतरित किया जाएगा।

बशर्ते कि राज्य प्रसारण उपयोगिता (एसटीयू) (योजना एजेंसी होने के रूप में), परियोजना की समाप्ति से तीन (3) वर्ष पहले के वर्ष में मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जांच करेगी जो कि प्रणाली उस समय के तकनीकी विकल्पों और प्रणाली अध्ययन पर निर्भर करेगी। इसके बाद परियोजना को नवीनीकरण और आधुनिकीकरण, यदि आवश्यक हो, और परियोजना की अनुबंध अवधि के बाद संचालन और रखरखाव के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित उत्तराधिकारी बोलीदाता को दिया जा सकता है। यदि एसटीयू द्वारा मौजूदा प्रणाली के उन्नयन या नवीनीकरण और आधुनिकीकरण की आवश्यकता की जांच करने और संपत्ति के हस्तांतरण के लिए कोई लागत खर्च की जाती है, तो उसे उत्तराधिकारी चयनित बोलीदाता से वसूल किया जा सकता है। सफल बोलीदाता को इन विनियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रावधानों के अनुसार नए लाइसेंस के अनुदान के लिए आवेदन करना होगा।

- 21.5 यदि अधिनियम की धारा 62 के अंतर्गत प्रसारण लाइसेंसधारी परियोजना लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि के बाद प्रसारण प्रणाली के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण का निर्णय लेता है, तो यह नवीकरण और आधुनिकीकरण की लागत के अनुमोदन के लिए नया लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन करेगा जिस पर आयोग द्वारा प्रचलित मानदंडों के अनुसार विचार किया जाएगा।

22. मानचित्र और प्रपत्र जमा करना

- 22.1 जब एक लाइसेंस प्रदान कर दिया जाता है, तो मानचित्रों के तीन (3) सेट और नीचे दिए गए खंड (22. 2) में निर्दिष्ट विवरण वाले प्रोफार्मा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सचिव या आयोग द्वारा नामित अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस के अनुदान की अधिसूचना की तिथि के अनुरूप दिनांकित किया जाएगा। ऐसे मानचित्रों का एक सेट उक्त अधिकारी द्वारा जमा किए गए मानचित्रों के रूप में रखा जाएगा और अन्य दो (2) सेट लाइसेंसधारी को दिए जाएंगे:

- 22.2 उपरोक्त अनुच्छेद (22. 1) के अंतर्गत प्रारूप में दिए जाने वाले विवरण निम्नानुसार होंगे :

- (क) आवेदक के पते और विवरण के साथ प्रस्तावित उपयोगिता का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त नाम, और यदि आवेदक एक कंपनी है, तो कंपनी के सभी निदेशकों के नाम;
- (ख) प्रदान किए गए लाइसेंस का प्रकार;
- (ग) संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का नाम;
- (घ) संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण और;
- (ङ) सामान्य शर्तें, उनसे विचलन और विशिष्ट शर्तें, यदि कोई हों, जो आयोग ने सामान्य शर्तों से किसी भी विचलन के लिए औचित्य के साथ लाइसेंस में निर्धारित की हैं;

22.3 जब भी आयोग द्वारा आवश्यक हो, लाइसेंसधारी मानचित्र की अतिरिक्त प्रतिलिपि और इलेक्ट्रॉनिक रूप में मानचित्र और प्रारूप भी प्रस्तुत करेगा।

23. लाइसेंस की मुद्रित प्रतियां जमा करना

23.1 प्रत्येक व्यक्ति जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है, उसके प्रदान करने के तीस (30) दिनों के अंदर केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किए गए अनुसार निम्नलिखित को रखने की व्यवस्था करेगा :

- (क) लाइसेंस की पर्याप्त संख्या में प्रतियां;
- (ख) लाइसेंस में निर्दिष्ट गतिविधि के क्षेत्र को दर्शाते हुए पर्याप्त संख्या मानचित्र;
- (ग) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए ऐसे लाइसेंस और मानचित्रों की एक प्रति अपने प्रधान कार्यालय, अपने स्थानीय कार्यालयों (यदि कोई हो) और गतिविधि के क्षेत्र के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में निर्धारित समय पर प्रदर्शित करने की व्यवस्था करें

23.2 ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी, तीस (30) दिनों की पूर्वोक्त अवधि के अंदर, लाइसेंस की एक (1) प्रति और गतिविधि के क्षेत्र के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को संबंधित मानचित्रों की निःशुल्क आपूर्ति करेगा, और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था भी करेगा। इसके लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्ति लाइसेंस की मुद्रित प्रतियों की बिक्री, सामान्य फोटोकॉपी शुल्क से अधिक कीमत पर नहीं करेंगे।

24. प्रसारण लाइसेंस का संशोधन

24.1 आयोग प्रसारण लाइसेंस में संशोधन के लिए स्वप्रेरणा से या प्रसारण लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर कार्यवाही आरंभ कर सकता है।

24.2 लाइसेंसधारी द्वारा किए गए लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदन इस विनियम के परिशिष्ट - 3 में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार होगा और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ किया जा सकता है।

24.3 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस के संशोधन के लिए देय शुल्क, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी और विनियमों में संशोधन के अनुसार होंगे।

24.4 आवेदन के साथ प्रस्तावित संशोधन का एक विवरण होगा और एक शपथपत्र होगा जैसा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी और संशोधनों सहित व्यापार विनियमों के संचालन में प्रावधान किया गया है;

24.5 आवेदक संशोधन के लिए आवेदन की स्वीकृति की तिथि से सात (7) दिनों के अंदर संचालन के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले दो (2) दैनिक समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा, जिनमें से एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा स्थानीय भाषा में होगा, जिसमें प्रसारण लाइसेंस में निम्नलिखित विवरण देते हुए संशोधन करने की मांग की गई हो :

- (क) मौजूदा प्रसारण लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;
 - (ख) मौजूदा प्रसारण लाइसेंस में प्रस्तावित संशोधन और परिवर्तन की मांग के संक्षिप्त कारण;
 - (ग) प्रदान किए गए लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारी के कार्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव;
 - (घ) ऐसे कार्यों के निर्वहन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था;
 - (ङ) प्रस्तावित प्रसारण लाइसेंस के क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों में आवेदक द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य आवश्यक विवरण, जो आवेदन और अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या जिनसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उचित फोटो प्रति शुल्क पर खरीदा जा सकता है;
 - (च) यह कथन कि कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित संशोधन के लिए कोई सुझाव या आपत्ति करने के इच्छुक हैं, आयोग के सचिव को संबोधित लिखित याचिका दायर करके ऐसा कर सकते हैं, जो कि सूचना के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर किया जाएगा।
- 24.6 जहां आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से प्रसारण लाइसेंस में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, आयोग प्रसारण लाइसेंस में संशोधन की मांग करते हुए दो (2) दैनिक समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा, जिनमें एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा स्थानीय भाषा में हो और जिसका परिचालन के क्षेत्र में व्यापक प्रसार हो, और अपनी वेबसाइट पर भी निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :
- (क) आपूर्ति के क्षेत्र में प्रसारण लाइसेंसधारी का नाम और मुख्य कार्यालय का पता;
 - (ख) आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन का विवरण;
 - (ग) प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संक्षिप्त कारण;
 - (घ) यह कथन कि कोई भी व्यक्ति जो प्रस्तावित संशोधन पर कोई सुझाव या आपत्ति करने का इच्छुक है, नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर सचिव को संबोधित लिखित याचिका दायर करके ऐसा कर सकता है।
- 24.7 प्रकाशन में उन कार्यालयों के पते दिये जाएंगे जहां संशोधन के लिए आवेदन की जांच की जा सकती है और दस्तावेजों की प्रतियां खरीदी जा सकती हैं और यह सूचित किया जाएगा कि आयोग को आवेदन के संदर्भ में कोई भी प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण, उपयोगिता या व्यक्ति , आयोग द्वारा नामित अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा ऐसा कर सकता है।
- 24.8 नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर प्रस्तावित संशोधन पर प्राप्त सभी आपत्तियों पर आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को प्रभावी करने या अस्वीकार करने से पहले विचार किया जाएगा।
- 24.9 जब तक आयोग द्वारा अन्यथा लिखित रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया का लाइसेंस में संशोधन करते समय पालन किया जाएगा, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है।
- 24.10 प्रसारण के ऐसे क्षेत्र के संबंध में परिवर्तन या संशोधन का प्रस्ताव करने वाले आवेदन के मामले में, जिसमें रक्षा उद्देश्य के लिए सरकार के कब्जे में कोई भी छावनी, हवाई अड्डा, जंगल, डॉकयार्ड या शिविर या कोई भवन या स्थान का पूरा या कोई शामिल है, केन्द्र सरकार की सहमति के बिना आयोग कोई बदलाव या संशोधन नहीं करेगा।

25 प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन

- 25.1 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस के नियमों या शर्तों, लागू कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या संभावित उल्लंघन के लिए, अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम के अनुसार आयोग आदेश पारित कर सकता है।
- 25.2 अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन या संभावित उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही से निपटने के लिए आयोग इन विनियमों में निर्देशित सामान्य प्रक्रिया का यथासंभव पालन कर सकता है।

26 लाइसेंस से छूट प्रदान करना

- 26.1. लाइसेंस से छूट लागू कानून के प्रावधानों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप प्रदान की जाएगी।

27 प्रसारण लाइसेंस को रद्द करना

- 27.1 लाइसेंस रद्द करने या अधिनियम की धारा 19 में बताए गए किसी भी अन्य आदेश को पारित करने की कार्यवाही आयोग द्वारा पारित एक आदेश द्वारा शुरू की जाएगी, जिसे आयोग स्वतः या लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से कोई शिकायत या जानकारी प्राप्त होने पर शुरू कर सकता है।
- 27.2 रद्द करने की प्रक्रिया और तरीका अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।
- 27.3 अधिनियम के प्रावधानों और उसमें निहित प्रक्रिया के अधीन, लाइसेंस को रद्द करने पर आयोग द्वारा जांच ऊपर विनियम 18 में निर्धारित तरीके से की जाएगी, जहां तक यह लागू है।
- 27.4 एक लाइसेंसधारी स्वयं अपने लाइसेंस को रद्द करने या आंशिक रूप से रद्द के लिए आवेदन करने या सहमति देने के लिए आयोग को आवेदन कर सकता है। आयोग ऐसे आवेदनों पर लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, को सुनने के बाद आदेश पारित करेगा।
- 27.5 लाइसेंसधारी या किसी व्यक्ति द्वारा लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन के साथ आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क देना होगा।
- 27.6 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, प्रसारण लाइसेंस को रद्द करने के लिए देय शुल्क का भुगतान जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और प्रभार और बाद में किए गए शंसोधनों के अनुसार किया जाएगा।

28 प्रदर्शन के मानक

- 28.1 आयोग, प्रसारण लाइसेंसधारियों और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के साथ परामर्श के बाद, एक लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के एक वर्ग के प्रदर्शन के मानकों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो उसकी राय में, ऐसे लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्य हैं और जिन्हें प्राप्त किए जाने चाहिए, और अलग-अलग लाइसेंसधारियों के लिए विभिन्न मानक हो सकते हैं। आयोग इस प्रकार से निर्धारित मानकों को उचित प्रारूप और तरीके से प्रकाशित कर सकता है।

29 लाइसेंस फीस का भुगतान

- 29.1 आयोग बिजली के प्रसारण का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या छूट प्रदान करते समय या किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्रदान करने वाला कोई अन्य आदेश देते हुए अधिनियम के प्रावधानों या जम्मू और कश्मीर के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियम और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार लाइसेंस या विशेषाधिकार प्रदान करते समय और उसके बाद और लाइसेंस लागू रहने के प्रत्येक वर्ष के लिए शुल्क लगा सकता है। लाइसेंसधारी जम्मू और कश्मीर के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियम और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
- 29.2 इन विनियमों के अंतर्गत देय शुल्क का भुगतान सचिव, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, अंबेडकर रोड, पनामा चौक जम्मू, जम्मू और कश्मीर के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के माध्यम से किया जाएगा।
- 29.3 इन नियमों के अंतर्गत आयोग के सचिव द्वारा प्राप्त शुल्क आयोग के बैंक खाते में ऐसे बैंक और ऐसी शाखाओं में जमा किया जाएगा, जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देशित कर सकता है या संबंधित मद के अंतर्गत सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है।

अध्याय- III

प्रसारण लाइसेंस की सामान्य शर्तें

30. प्रसारण लाइसेंसधारियों की गतिविधियाँ

- 30.1 प्रसारण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 40 में निर्धारित अपने कर्तव्यों का पालन करेगा और लाइसेंस में निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा करेगा।
- 30.2 प्रसारण लाइसेंसधारी एक कुशल समन्वित प्रसारण प्रणाली का निर्माण, रखरखाव और संचालन करेगा।
- 30.3 प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण प्रणाली का मितव्ययिता से संचालन करेगा ताकि प्रसारण प्रभागों को न्यूनतम रखा जा सके और इस प्रकार टैरिफ में प्रसारण लागत के घटक को भी न्यूनतम रखा जा सके।
- 30.4 प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण प्रणाली को इस प्रकार संचालित करेगा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के ग्रीड मानकों में निर्धारित सीमाओं में पैरामीटर हर समय बनाए रखा जाता है और यह सुनिश्चित करता है कि जनरेटर के लिए बिजली इंजेक्ट करने के लिए और वितरण लाइसेंसधारियों के लिए बिजली लेने के लिए प्रणाली (सहमति के अनुसार) हर समय उपलब्ध हो
- 30.5 प्रसारण लाइसेंसधारी उपभोक्ताओं को निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय विद्युत समिति, क्षेत्रीय एवं राज्य लोड प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय प्रसारण उपयोगिता, राज्य प्रसारण उपयोगिता, उत्पादक कंपनियों तथा लाइसेंसधारियों के साथ समन्वय करेगा।
- 30.6 प्रसारण लाइसेंसधारी को अपने क्षेत्र में उपभोक्ताओं को बिजली की आपूर्ति के लिए किसी अन्य कंपनी के साथ कोई समझौता करने से पहले आयोग से पूर्व लिखित स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- 30.7 प्रसारण लाइसेंसधारी समय-समय पर संशोधित केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (मीटरों की स्थापना और संचालन) विनियम, 2006 के अनुसार आवश्यक रूप से मीटर स्थापित करेगा और सिस्टम के प्रत्येक तत्व और उत्पादन द्वारा प्रेषित ऊर्जा के अपडेट किए गए रिकॉर्ड को रखा जाएगा और जहां भी आवश्यक हो आयोग और अन्य एजेंसियों को उपलब्ध करवाएगा।
- 30.8 प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण शुरू करने से पहले पर्याप्त संचार और सूचना प्रणाली सुविधाएं स्थापित करेगा।
- 30.9 प्रसारण लाइसेंसधारी क्रेडिट सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए लाइसेंस के उपयोग में विवेकपूर्ण और उचित तरीके से कार्य करेगा।

- 30.10 प्रसारण लाइसेंसधारी सभी परिस्थितियों में अपनी संपत्ति के बंधक के मामले में अपनी संपत्ति पर परिचालन नियंत्रण बनाए रखेगा।
- 30.11 प्रसारण लाइसेंसधारी ऋण देने से पहले आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा, या किसी भी व्यक्ति के किसी भी दायित्व के लिए कोई गारंटी जारी करेगा, सिवाय इसके कि जब लाइसेंससुदा व्यवसाय के उद्देश्यों के लिए बनाया या जारी किया गया हो, हालांकि कर्मचारियों को उनकी सेवा की शर्तों और अग्रिमों के अनुसार ऋण व्यापार के सामान्य कोर्स में आपूर्तिकर्ताओं को इस तरह की मंजूरी लेने की आवश्यकता से बाहर रखा गया है।
- 30.12 प्रसारण लाइसेंसधारी अपने प्रसारण व्यवसाय के संबंध में लाइसेंसधारी को कोई सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन किसी सहयोगी को नियुक्त कर सकता है :
- (क) लेन-देन नजदीकी के आधार पर होगा;
- (ख) प्रसारण व्यवसाय के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित लेनदेन की संरचना आयोग द्वारा बनाए गए किसी भी विनियमन के अनुरूप की जाएगी और;
- (ग) प्रसारण लाइसेंसधारी प्रस्तावित व्यवस्था के प्रारंभ होने से पहले आयोग को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस देगा।

31 निषिद्ध गतिविधियाँ

- 31.1 कोई लाइसेंसधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :
- (क) खरीद या अधिग्रहण के माध्यम से या अन्यथा, किसी अन्य लाइसेंसधारी की कोई उपयोगिता प्राप्त करने के लिए कोई लेनदेन; या
- (ख) उसकी यूटिलिटी को किसी अन्य लाइसेंसधारी की अन्य यूटिलिटी के साथ मर्ज करना।
- 31.2 कोई लाइसेंसधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा के माध्यम से अपनी उपयोगिता या लाइसेंस या उसके हिस्से को सौंपना या स्थानांतरित नहीं करेगा।
- 31.3 उपरोक्त खंड (31. 1) से (31. 2) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने से पहले, एक लाइसेंसधारी हर दूसरे लाइसेंसधारी को कम से कम एक (1) महीने का नोटिस देगा, जो ऐसे लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली वितरित करता है, जो इस तरह के अनुमोदन के लिए आयोग को आवेदन करता है।
- 31.4 उपरोक्त खंड (31. 1) से (31. 3) के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा किया गया कोई भी समझौता तब तक शून्य हो जाएगा जब तक कि आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती।
- 31.5 जहां इस तरह की अनुमति की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी सभी प्रासंगिक जानकारी को विधिवत प्रस्तुत करते हुए आयोग के पास एक आवेदन दाखिल करेगा। आयोग इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर, नियमों और शर्तों के अधीन आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकता है, जैसा कि वह आवश्यक समझे या ऐसी अस्वीकृति के समर्थन में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों को बताते हुए आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
- 31.6 प्रसारण लाइसेंसधारी विनियम 35 में यथा उपबंधित आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, विद्युत के प्रसारण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रणाली की परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं करेगा।

32 संपत्ति का हस्तांतरण

- 32.1 प्रसारण लाइसेंसधारी इस विनियम 32 में निर्धारित शर्तों का पालन किए बिना, एकल लेन-देन या संबंधित लेन-देनों के एक समूह में बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा द्वारा अपनी उपयोगिता या उसके किसी भी हिस्से को स्थानांतरित नहीं करेगा।

- 32.2 प्रसारण लाइसेन्सधारी अपनी उपयोगिता को हस्तांतरित करने और सभी प्रासंगिक तथ्यों का प्रकटीकरण करने के अपने इरादे की पूर्व लिखित सूचना आयोग को देगा। आयोग, नोटिस की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर, लेन-देन के समर्थन में और अधिक जानकारी मांग सकता है और आम तौर पर प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा ऐसी और जानकारी प्रस्तुत किए जाने के तीस (30) दिनों के अंदर, और जहां ऐसी कोई जानकारी नहीं है आयोग द्वारा नहीं मांगी गई है, आवेदन दाखिल करने के साथ (60) दिनों के अंदर ऐसे नियमों और शर्तों या संशोधनों के अधीन स्थानांतरण व्यवस्था की अनुमति देगा, जैसा कि उचित माना जा सकता है या उसे कारणों के साथ अस्वीकार कर सकता है।
- 32.3 प्रसारण लाइसेंसधारी अपनी उपयोगिता को स्थानांतरित कर सकता है जैसा कि खंड (32. 2) के अंतर्गत दिए गए किसी भी नोटिस में निर्दिष्ट है यदि :
- (क) आयोग लिखित रूप में पुष्टि करता है कि वह आयोग की शर्तों के अधीन इस तरह के हस्तांतरण के लिए सहमति देता है; या
- (ख) निर्णय के लिए खंड (32.2) के अंतर्गत निर्दिष्ट समय के अंदर आयोग प्रसारण लाइसेंसधारी के नोटिस का कोई जवाब नहीं देता है कि वह प्रसारण लाइसेंसधारी के आवेदन से निपटने का इरादा रखता है।
- 32.4 प्रसारण लाइसेंसधारी अपनी यूटिलिटी को स्थानांतरित कर सकता है जहां:
- (क) आयोग ने इस विनियम 32 के प्रयोजनों के लिए एक निर्दिष्ट विवरण के लेन-देन के लिए एक सामान्य सहमति (शर्तों के अधीन है या नहीं), के लिए निर्देश जारी किए हैं, और / या एक निर्दिष्ट विवरण के हस्तांतरण के लिए निर्देश जारी किए हैं, और स्थानांतरण सहमति के अधीन किन्हीं शर्तों के अनुसार है; या
- (ख) प्रश्रुत स्थानांतरण किसी भी कानून के शासनादेश द्वारा या उसके अंतर्गत आवश्यक है; या
- (ग) विचाराधीन परिसंपत्ति को प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा विशेष रूप से या मुख्य रूप से किसी अन्य व्यवसाय के संबंध में अधिग्रहित और उपयोग किया गया था जिसे विनियम 21 के अनुसार चलाने के लिए अधिकृत किया गया है और यह भूमि में कानूनी या लाभकारी हित पैदा नहीं करता है, या अन्यथा प्रसारण प्रणाली का हिस्सा नहीं है या अन्यथा लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के लिए आवश्यक संपत्ति नहीं है।
- (घ) उक्त के बावजूद, प्रसारण लाइसेंसधारी, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से ऋण और ऋण सुविधाओं सहित व्यवसाय के सामान्य कोर्स में लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय को वित्त पोषण या वित्तपोषण की सुविधा के रूप में संपत्ति का उपयोग करने का हकदार होगा, बशर्ते कि :
- प्रसारण लाइसेंसधारी संबंधित करारों के प्रभावी होने की तिथि से कम से कम पन्द्रह (15) दिन पहले ऐसी व्यवस्थाओं के बारे में आयोग को सूचित करेगा;
 - प्रसारण लाइसेंसधारी संपत्ति के ऐसे उपयोग में विवेकपूर्ण और उचित तरीके से कार्य करता है; और
 - प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण प्रणाली में संपत्ति पर परिचालन नियंत्रण रखता है।
- 33 अन्य व्यवसाय**
- 33.1 प्रसारण लाइसेंसधारी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधनों के साथ जेईआरसी प्रसारण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्यों का व्यवहार के अनुसार अन्य व्यवसाय के लिए आयोग के अनुमोदन के लिए एक आवेदन दाखिल करेगा;

- 33.2 जहां प्रसारण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, ऐसे व्यवसाय से होने वाली आय की गणना जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधनों के साथ जेईआरसी प्रसारण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्यों का व्यवहार के अनुसार की जाएगी और इसमें से लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता की कटौती की जाएगी।
- 33.3 बशर्ते कि लाइसेंसधारी प्रसारण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए एक उचित आधार का पालन करेगा और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संशोधनों के साथ जेईआरसी प्रसारण लाइसेंसधारियों के अन्य कार्यों का व्यवहार के अनुसार लेखा विवरण तैयार करेगा और टैरिफ के निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा;
- 33.4 बशर्ते कि जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग ऐसे अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे अन्य व्यवसाय के कारण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता में कोई राशि जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 34 लेखा और लेखा परीक्षा**
- 34.1 प्रत्येक प्रसारण लाइसेंसधारी प्रत्येक वर्ष मार्च के इक्कीसवें (31) दिन तक अपनी उपयोगिता का लेखा-जोखा बनवाएगा।
- 34.2 प्रसारण लाइसेंसधारी :
- (क) लाइसेंसदा व्यवसाय और प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा चलाए जा रहे किसी भी अन्य व्यवसाय के लिए अलग-अलग जानकारी और खातों का विवरण रखेगा।
- (ख) बशर्ते कि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस वाले व्यवसाय के लिए अलग-अलग खाते और समग्र रूप से कंपनी के समग्र खाते प्रस्तुत करेगा।
- (ग) खातों के विवरण को ऐसे रूप में बनाए रखेगा और ऐसे विवरण शामिल करेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और जब तक ये आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, खातों को कंपनी अधिनियम, 1956, और कंपनी अधिनियम 2013 जैसा की समय-समय पर संशोधित किया जाता है, के अनुसार बनाए रखा जाएगा, जहां ऐसा अधिनियम लागू होता है;
- (घ) इस तरह के रिकॉर्ड से एक सुसंगत आधार पर तैयार करेगा, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए लेखा विवरण तैयार करेगा जिसमें लाभ और हानि खाता शामिल है, एक बैलेंस शीट और स्रोत का विवरण और टिप्पणियों के साथ धन का उपयोग और किसी भी राजस्व की मात्रा को अलग-अलग दिखाते हुए , लागत, संपत्ति, देनदारी, रिजर्व, या प्रावधान तैयार करेगा जो या तो :
- i) किसी अन्य व्यवसाय से या उस शुल्क के आधार के विवरण के साथ चार्ज किया गया है, या;
- ii) विभाजन या आवंटन के आधार के विवरण के साथ विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित किया गया है;
- (ङ) पूर्वगामी खंडों के अनुसार तैयार किए गए लेखा विवरणों के संबंध में, प्रत्येक वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, जिसमें कथन किया गया हो कि क्या उनकी राय में विवरण ठीक से तैयार किए गए हैं और राजस्व, लागत, संपत्ति और देनदारियों का सही और निष्पक्ष अवलोकन प्रदान करते हैं।

- (च) सारण लाइसेन्सधारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपरोक्त तिथि से छह (6) महीने की अवधि के अंदर या आयोग द्वारा बढ़ाई गई ऐसी विस्तारित अवधि के अंदर अपने लेखापरीक्षित खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा उस विस्तारित अवधि के अंदर प्रस्तुत करेगा जो यह संतुष्ट होने के बाद प्राधिकृत प्रदान कर सकता है कि निर्धारित अवधि लाइसेन्सधारी के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से अपर्याप्त है और विवरण को उतनी संख्या में प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा जैसा कि आयोग निर्देश देता है;
- (छ) खाते ऐसे रूपों में बनाए जाएंगे जो आयोग समय-समय पर निर्देश दे। सभी प्रपत्रों पर प्रसारण लाइसेन्सधारी या उसके प्रत्यायित और विधिवत प्राधिकृत एजेंट या प्रबंधक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे;
- (ज) आयोग विशेष या सामान्य आदेश द्वारा निर्देश दे सकता है कि ऊपर खंड 34. 2 (च) में निर्देशित प्रपत्रों में खातों के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के अलावा, एक प्रसारण लाइसेन्सधारी आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। यह इस संबंध में ऐसी अतिरिक्त जानकारी निर्दिष्ट कर सकता है जिसकी उसे इस उद्देश्य के लिए आवश्यकता हो सकती है;
- 34.3 आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति प्रसारण लाइसेन्सधारी के खातों का निरीक्षण और सत्यापन करने का हकदार होगा और प्रसारण लाइसेन्सधारी ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा :
- 34.4 बशर्ते कि यदि आयोग उचित समझे, तो आयोग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से प्रसारण लाइसेन्सधारी खातों का स्वतंत्र ऑडिट करवा सकता है।
- 34.5 प्रसारण लाइसेन्सधारी किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरण तैयार करने के संबंध में राजस्व या व्यय के प्रभार या प्रभाजन या आवंटन के पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में लागू किए गए आधार को आयोग से पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं बदलेगा। :
- 34.6 बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान एक प्रसारण लाइसेन्सधारी अपने लेखा विवरणों में शुल्क या विभाजन या आवंटन के आधार को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अपनाए गए से बदल देता है तो आयोग अपनाए गए आधारों के अतिरिक्त प्रसारण लाइसेन्सधारी को पिछले आधार पर इस तरह के लेखांकन विवरण तैयार करने का निर्देश दे सकता है।
- 34.7 यदि प्रसारण लाइसेन्सधारी अपनी संपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है, तो वह इस तरह के लेखा अभिलेखों से लगातार आधार तैयार करेगा और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जेईआरसी प्रसारण लाइसेन्सधारियों के अन्य व्यवसाय विनियम के अनुसार आयोग को वितरित करेगा;
- 34.8 प्रसारण लाइसेन्सधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरण और ऊपर वर्णित प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट को इस तरह से प्रचारित किया जाएगा जैसा कि आयोग निर्देशित कर सकता है, और अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी कीमत पर उपलब्ध कराया जाएगा जो प्रतिलिपि की उचित लागत से अधिक नहीं होगी, या ऐसी कीमत पर जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।
- 35 व्यवसाय योजना**
- 35.1 प्रसारण लाइसेन्सधारी संपूर्ण नियंत्रण अवधि के लिए आयोग के अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत रूप से अनुमोदित एक व्यापार योजना फाइल करेगा, जो जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उत्पादन, प्रसारण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ और के लिए जेईआरसी विनियम और इसके संशोधन के अनुसार होगी;
- 36 निवेश**
- 36.1 प्रसारण लाइसेन्सधारी केंद्र शासित प्रदेशों में एक कुशल, समन्वित और किफायती प्रसारण प्रणाली के निर्माण, रखरखाव और संचालन के द्वारा निर्देशित विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करेगा।
- 36.2 प्रसारण लाइसेन्सधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रसारण प्रणाली का संवर्द्धन किया जाए ताकि ओवरलोड वाले भागों का आवश्यकतानुसार विकास किया जा सके।

36.3 प्रसारण लाइसेन्सधारी केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए जेईआरसी उत्पादनप्रसारण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ विनियम और इसके संशोधन का विधिवत पालन करेगा ;

37 सामग्री/उपकरण/सेवाओं की खरीद

37.1 प्रसारण लाइसेंसधारी सभी सामग्री/उपकरणों की खरीद करेगा या केवल पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई अनुबंध निष्पादित करेगा।

38 प्रमुख घटनाएं

38.1 प्रसारण लाइसेन्सधारी के क्षेत्र में हुई किसी भी बड़ी घटना की सूचना प्रसारणलाइसेन्सधारी आयोग को देगा। मानक संचालन स्थिति से प्रसारण प्रणाली के किसी भी भाग से विचलन, जो जनरेटर की प्रणाली, वितरण प्रणाली या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं की प्रणाली में सीमा पार से होने प्रभाव के कारण हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण या जीवन या एक व्यक्ति या जानवर की हानि हुई है, एक बड़ी घटना मानी जाएगी। प्रसारण लाइसेंसधारी निम्न कार्य भी करेगा :

(क) कुल बिजली व्यवस्था के संबंध में घटनाओं, कारणों और प्रतिकूल प्रभावों के तथ्य देते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा (जिसमें कुल बिजली प्रणाली में प्रसारण प्रणाली, उत्पादन इकाइयां, वितरण प्रणाली और ईएचटी उपभोक्ताओं की प्रणालियां शामिल हैं);

(ख) प्रमुख घटना के लाइसेंसधारी के विश्लेषण और ऐसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के सुझावों से युक्त एक नोट प्रस्तुत करेगा;

(ग) प्रसारण लाइसेंसधारी जल्द से जल्द संभावित तिथि को और किसी भी मामले में, इस तरह की बड़ी घटना की तिथि से दो (2) महीने से पहले :

i. घटना और उसके कारण के बारे में लाइसेंसधारी अपने ज्ञान के अनुसार तथ्यों का पूरा विवरण देते हुए आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा;

ii. यदि किसी मामले में उप-खंड (क) के अंतर्गत रिपोर्ट में प्रमुख घटना की तिथि से पंद्रह (15) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना है, प्रसारण लाइसेंसधारी घटना की ऐसी तिथि से पंद्रह (15) दिनों के अंदर एक प्रारंभिक रिपोर्ट जमा करेगा जिसमें प्रसारण लाइसेन्सधारी यथोचित रूप से विवरण प्रस्तुत कर सकता है और कारण बतागा कि प्रसारण लाइसेन्सधारी को ऐसी घटना की पूरी रिपोर्ट देने के लिए पंद्रह (15) दिनों से अधिक की आवश्यकता क्यों है;

iii. रिपोर्ट और नोट की प्रतियां स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, राज्य प्रसारण उपयोगिता, यूटी सरकार/प्रशासन और मुख्य विद्युत निरीक्षणालय आदि को भेजेगा।

38.2 आयोग किसी बड़ी घटना के मामले में किसी स्वतंत्र व्यक्ति को जांच करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है।

38.3 आयोग रिपोर्ट और सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और तय करेगा कि क्या कोई बड़ी घटना अप्रत्याशित घटना है या ट्रांसमिशन लाइसेंस की शर्तों या ग्रिड कोड के प्रावधानों या अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के तहत नियमों और विनियमों के उल्लंघन के कारण हुई है।

38.4 आयोग निम्नलिखित निर्णय ले सकता है:

(क) समान प्रमुख घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुल बिजली प्रणाली (ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी सहित) के एक या एक से अधिक ऑपरेटरों (या मालिकों) द्वारा उठाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय;

- (ख) चूक के लिए एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले दंडात्मक उपायजिन के कारण बड़ी घटना हुई है;
- (ग) एक पार्टी द्वारा दूसरी पार्टी को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा [कुल बिजली प्रणाली के एक खंड के मालिक (या ऑपरेटर) द्वारा कुल बिजली प्रणाली के दूसरे खंड के मालिक (या ऑपरेटर) को]।
- 38.5 आयोग राज्यभार प्रेषण केंद्र, मुख्य विद्युत निरीक्षक, राज्य पारेषण उपयोगिता आदि को प्रमुख घटना पर अपने विचार और निर्णय भेज सकता है।

39 ओपन एक्सेस

- 39.1 प्रसारण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत आयोग द्वारा अपनाए गए/जारी किए गए (जो लागू हो) मुक्त पहुंच विनियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रसारण प्रणाली के लिए गैर-भेदभावपूर्ण मुक्त पहुंच के प्रावधान की व्यवस्था करेगा।

40 अपेक्षित राजस्व और शुल्क का भुगतान

- 40.1 प्रसारण लाइसेंसधारी प्रभागों से अपेक्षित राजस्व का विवरण दाखिल करते समय और इसके किसी भी या सभी टैरिफों को प्रस्तावित या संशोधित करने के लिए टैरिफ विनियमों में शामिल पद्धति, प्रक्रियाओं और अन्य निर्देशों का पालन करेगा।
- 40.2 लाइसेंसधारी को किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने टैरिफ से वसूल करने की अनुमति दी गई राशि वह राशि है जो आयोग वित्तीय सिद्धांतों और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 में प्रदान किए गए उनके अनुप्रयोगों के अनुसार निर्धारित करता है, जो कि प्रसारण लाइसेंसधारी को उचित रिटर्न कमाने का उचित अवसर प्रदान करेगा।
- 40.3 प्रसारण लाइसेंसधारी, अपने प्रसारण व्यवसाय के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ स्थापित करेगा और इस लाइसेंस, विनियमों, आयोग के आदेशों और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अनुसार अपने शुल्कों की गणना करेगा।
- 40.4 प्रसारण लाइसेंसधारी उपरोक्त खंड (40.3) में संदर्भित या आयोग द्वारा निर्देशित अनुमोदित टैरिफ में निहित टैरिफ शुल्क और अन्य नियमों और शर्तों को दर्शाते हुए बिजली के अपने प्रसारण के लिए एक टैरिफ प्रकाशित करेगा।
- 40.5 प्रसारण लाइसेंसधारी अधिनियम और आयोग के लागू विनियमों और निर्देशों के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।
- 40.6 प्रसारण लाइसेंसधारी अधिनियम के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा, यदि आयोग द्वारा चिन्हित किए गए किसी भी अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए आयोग को इसकी आवश्यकता है।
- 40.7 यदि विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित प्रसारण सेवा के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी-बोली दिशानिर्देशों के अनुसार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए लाइसेंसधारी का चयन किया गया है, तो आयोग द्वारा प्रसारण शुल्क अधिनियम की धारा 63 के अनुसार अपनाया जाएगा।

बशर्ते कि यदि लाइसेंस किसी अतिरिक्त अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, तो 35वें वर्ष तक विस्तारित अवधि के लिए टैरिफ, संचालन के संबंधित वर्ष के लिए आयोग द्वारा अपनाई गई विस्तारित अवधि के लिए बोलीदाता द्वारा उद्धृत दर के आधार पर देय होगा।

- 40.8 अधिनियम की धारा 63 के अनुसार आयोग द्वारा अपनाए गए प्रसारण शुल्कों पर कानून में बदलाव का प्रभाव समझौतों में किए गए प्रावधानों के अधीन होगा।
- 41 आयोग और अन्य हितधारकों को सूचना का प्रावधान**
- 41.1 प्रसारण लाइसेंसधारी बिना किसी अनुचित विलंब के आयोग को लाइसेंससुदा व्यवसाय या इसकी परिसंपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लाइसेंसधारी के किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित ऐसी जानकारी, दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसकी आयोग को समय-समय पर अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय आयोग, और/या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य प्रसारण उपयोगिता और राज्य भार प्रेषण केंद्र के प्रयोजनों के लिए आवश्यकता हो सकती है।
- 41.2 प्रसारण लाइसेंसधारी अपने प्रसारण व्यवसाय में सुधार और प्रसारण व्यवसाय से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए समय-समय पर आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने वाले अध्ययन भी करेगा।
- 41.3 प्रसारण लाइसेंसधारी आयोग को अपने लाइसेंस के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने से रोकने वाली किसी भी घटना के बारे में विधिवत सूचित करेगा, जिसमें आयोग का कोई भी कार्य या दूसरों के किसी भी कार्य और ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।
- 41.4 आयोग किसी भी समय लाइसेंसधारी को धारा 41.3 के प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए कह सकता है, जो आयोग विशेष रूप से निर्देशित कर सकता है और लाइसेंसधारी उसी का पालन करने के लिए बाध्य होगा।
- 41.5 प्रसारण लाइसेंसधारी समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर हितधारकों/ उपभोक्ताओं/ उपभोक्ता संघों/उपभोक्ता निकायों आदि द्वारा आवश्यक सामग्री के रूप में उपलब्ध विवरण/डेटा/दस्तावेज प्रदान करेगा। यदि आयोग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तो लाइसेंसधारी अनुरोध की तिथि से अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि के अंदर इसे प्रदान करेगा।

अध्याय - IV

प्रसारण लाइसेंस की तकनीकी शर्तें

- 42 प्रसारण योजना, पावर सप्लाई योजना और सुरक्षा मानक, प्रसारण संचालन के मानक; और बिजली आपूर्ति संचालन मानक**
- 42.1 प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण प्रणाली की योजना बनाएगा और संचालन करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रसारण प्रणाली प्रसारण की एक कुशल, समन्वित और किफायती प्रणाली प्रदान करने में सक्षम है।
- 42.2 प्रसारण लाइसेंसधारी विशेष रूप से :
- (क) आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड कोड के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम प्लानिंग और सुरक्षा मानकों के अनुसार अपनी प्रसारण प्रणाली की योजना बनाएं और विकसित करेगा; और
- (ख) आयोग द्वारा अनुमोदित ग्रिड कोड के साथ ट्रांसमिशन सिस्टम ऑपरेटिंग मानकों के अनुसार प्रसारण लाइसेंसधारक के प्रसारण प्रणाली को संचालित करेगा।
- 42.3 प्रसारण लाइसेंसधारी, लाइसेंस जारी होने की तिथि से बारह (12) महीनों के अंदर, बिजली आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानकों और बिजली आपूर्ति संचालन मानकों का अनुपालन करने की व्यवस्था करेगा।
- 42.4 प्रसारण लाइसेंसधारी, लाइसेंस के प्रभावी होने की तिथि से साठ (60) दिनों के अंदर; निम्नलिखित के लिए आयोग को मौजूदा मानक प्रस्तुत करेगा :
- (क) अपनी प्रसारण प्रणाली के लिए मानक, योजना और सुरक्षा मानक, संचालन मानक;
- (ख) अपनी बिजली आपूर्ति प्रणाली, योजना और सुरक्षा मानक, संचालन मापदण्डों के लिए मानक;

(ग) निम्नलिखित से संबंधित मानक :

लाइसेंसधारी द्वारा अपनाई जा रही इसकी प्रसारण प्रणाली से जुड़ी उत्पादन क्षमता;

इस तरह के मौजूदा मानक, और इस तरह के संशोधन के साथ जैसा कि आयोग निर्देशित कर सकता है, तब तक प्रभाव में रहेंगे जब तक कि खंड (42.5) और (42.6) के अनुसार आयोग द्वारा अनुमोदित नए मानक प्रभावी न हों।

42.5 प्रसारण लाइसेंसधारी छह (6) महीने के अंदर, या आयोग द्वारा अनुमति दी जा सकने वाली लंबी अवधि के अंदर, लाइसेंस के प्रभावी होने के बाद, आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादक कंपनियों, केंद्रीय प्रसारण उपयोगिता, क्षेत्रीय बिजली बोर्डों और ऐसे अन्य व्यक्तियों के परामर्श से, जिन्हें आयोग निर्दिष्ट कर सकता है, प्रसारण योजना और सुरक्षा मानकों के लिए लाइसेंसधारी प्रसारण नियोजन और सुरक्षा मानक, प्रसारण संचालन मानक, विद्युत आपूर्ति नियोजन और सुरक्षा मानक तथा विद्युत आपूर्ति मानकों के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा, जो विनियम 42 के अनुसार होंगे।

42.6 इस पैराग्राफ के अनुसार लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत प्रसारण योजना और सुरक्षा मानक, प्रसारण संचालन मानक, बिजली आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानक और बिजली आपूर्ति संचालन मानक, ऐसे संशोधनों के साथ आयोग की आवश्यकता हो सकती है, आयोग द्वारा निर्दिष्ट तिथि से प्रभावी होंगे।

42.7 प्रसारण लाइसेंसधारी लाइसेंस के अंतर्गत अपने दायित्वों का उल्लंघन में नहीं करेगा यदि वह प्रसारण प्लानिंग और सुरक्षा मानकों या ट्रांसमिशन ऑपरेटिंग मानकों को पूरा करने में विफल रहा है, जो सीधे अप्रत्याशित घटना के कारण होता है, बशर्ते लाइसेंसधारी ने ट्रांसमिशन प्लानिंग और सुरक्षा मानकों या ट्रांसमिशन ऑपरेटिंग मानकों का पालन करने के लिए जैसा भी मामला हो कि अनुपालना के लिए अपने उचित प्रयासों का इस्तेमाल किया हो।

42.8 प्रसारण लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं को बिक्री के लिए पर्याप्त बिजली आपूर्ति योजना और सुरक्षा मानकों और आयोग द्वारा अनुमोदित बिजली आपूर्ति संचालन मानकों को पूरा करने के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

42.9 प्रसारण लाइसेंसधारी, आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, यूटी में वितरण लाइसेंसधारियों, केंद्रीय प्रसारण उपयोगिता, और ऐसे व्यक्तियों के परामर्श से जिसके लिए आयोग आदेश दे सकता है, प्रत्येक अवसर पर मानकों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करेगा। ऐसी समीक्षा के बाद, प्रसारण लाइसेंसधारी आयोग को निम्न भेजेगा :

(क) ऐसी समीक्षा के परिणाम पर एक रिपोर्ट; और

(ख) कोई भी संशोधन जो लाइसेंसधारी समय-समय पर ऐसे दस्तावेजों में करने का प्रस्ताव करता है (ऐसी समीक्षा के परिणाम के संबंध में); और आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कंपनियों, केंद्रीय प्रसारण उपयोगिता, और ऐसे अन्य व्यक्तियों से जिन्हें आयोग परामर्श प्रक्रिया के दौरान आदेश दे सकता है, कोई लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियां (लाइसेंसधारी द्वारा स्वीकार नहीं किए गए सहित)।

(ग) आयोग, प्रसारण लाइसेंसधारी के आवेदन पर, प्रसारण लाइसेंसधारी को मानकों और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा करने के दायित्व से उस सीमा मुक्त कर सकता है जहां तक इस शर्त के लिए आयोग द्वारा प्रसारण लाइसेंसधारी को जारी किए गए निर्देशों में निर्दिष्ट किया जाएगा।

42.10 विनियम (42.9(ग)) में संदर्भित किसी भी लिखित अभ्यावेदन या आपत्तियों के संबंध में, और इस तरह के आगे के परामर्श (यदि कोई हो) के बाद जैसा कि आयोग उचित समझ सकता है, यह प्रसारण लाइसेंसधारी को ऐसे मानकों को संशोधित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है जिस तरह से निर्देशों में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

42.11 आयोग प्रसारण लाइसेंसधारी को आयोग द्वारा निर्दिष्ट तरीके से किसी भी मानक को संशोधित करने के लिए निर्देश जारी कर सकता है।

42.12 प्रसारण लाइसेन्सधारी, वितरण लाइसेन्सधारी(यों) के परामर्श से वार्षिक आधार पर :

- (क) अगले दस (10) वर्षों में से प्रत्येक में प्रसारण और थोक आपूर्ति के क्षेत्र के अंदर बिजली की मांग का पूर्वानुमान लगाएगा; और
 - (ख) आयोग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार पूर्वानुमान तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- 42.13 प्रसारण लाइसेन्सधारी प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के तीन (3) महीनों के अंदर, पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रसारण प्रणाली के प्रदर्शन को इंगित करते हुए आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
- 42.14 प्रसारण लाइसेन्सधारी, यदि आयोग द्वारा आवश्यक हो, आयोग द्वारा निर्धारित तरीके से रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करेगा।

43 प्रसारण लाइसेंसधारी द्वारा ग्रिड कोड का अनुपालन

- 43.1 प्रसारण लाइसेंसधारी भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और समय समय पर अपनाए गया या अधिसूचित जेईआरसी राज्य ग्रिड कोड, कि उचित अनुपालन सुनिश्चित करेगा।
- 43.2 आयोग, उचित आधार पर और प्रभावित उत्पादन कंपनी, प्रसारण लाइसेंसधारी, राज्य प्रसारण उपयोगिता, राज्य लोड डिस्पैच सेंटर और विद्युतव्यवसायियों के साथ परामर्श के बाद, लाइसेंसधारी को राज्य ग्रिड कोड के ऐसे हिस्सों के संबंध में उसके दायित्वों उस सीमा तक मुक्त करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर सकता है जो आयोग द्वारा तय किया जा सकता है।

44 प्रसारण संपत्तियों की संचालन योजना

- 44.1 आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादन कंपनियां, केंद्रीय प्रसारण उपयोगिता, वितरण लाइसेंसधारी और द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में अन्य उपयोगिताओं द्वारा प्रदान की गई जानकारी के संबंध में (बिजली की मांग के पूर्वानुमान स्तर और उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के रूप में जानकारी सहित) और प्रसारण योजना और सुरक्षा मानकों और इस लाइसेंस में संदर्भित प्रसारण परिचालन मानकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, प्रसारण लाइसेंसधारी वितरण लाइसेंसधारी(यों) के परामर्श से इसके लिए अनुबंधित सभी जनरेटिंग सेटों के संभावित आउटपुट और प्रसारण लाइसेंसधारी के प्रसारण से जुड़े किसी भी अन्य थोक आपूर्ति और अन्य स्रोतों या विद्युत ऊर्जा को पूरा करने वाली परिचालन योजना का कार्य करेगा (जिसमें सुरक्षा मार्जिन या उत्पादन उपलब्धता प्रदान करने के लिए उत्पादन का रिजर्व शामिल है), जो निम्न को ध्यान में रखने के बाद संभावित मांग का अनुमान लगाएगी :
- (क) जनरेटिंग सेट की अनुपलब्धता; और
 - (ख) समय-समय पर समग्र प्रणाली में तकनीकी सीमाएं या अन्य प्रसारण प्रणालियों या उसके किसी भाग(गों) के साथ अंतर्संबंधों द्वारा उत्पन्न अवरोध;
 - (ग) इस खंड (44.1) के अनुरूप और ग्रिड कोड के अनुसार, रखरखाव के लिए प्रसारण प्रणाली के भागों को सेवा से हटाना और सुदृढीकरण के लिए मरम्मत करना।
- 44.2 खंड (44.3) में निर्दिष्ट कारकों को ध्यान में रखते हुए, लाइसेंसधारी उत्पादन सेटों और बिजली के अन्य स्रोतों से बिजली के प्रेषण के लिए अनुसूची और सीधे निर्देश जारी करेगा, जो बिजली उत्पन्न करने के दौरान उपलब्ध हैं और जो प्रेषण निर्देशों के अधीन हैं :

- (क) जलविद्युत उत्पादन पर बाधाओं को ध्यान में रखते हुए, समग्र प्रणाली में बिजली उत्पादन के लिए पेश की जाने वाली प्रासंगिक कीमतों के आरोही क्रम में; और
- (ख) जैसा कि समग्र रूप से (और समग्र प्रणाली से अन्य श्रोतों को या अन्य श्रोतों से समग्र प्रणाली में भेजी गई विद्युत को ध्यान में रखने के बाद) हर समय आपूर्तिकर्ताओं, केंद्रीय प्रसारण उपयोगिता और क्षेत्रीय बिजली बोर्ड द्वारा प्रदान की गई सूचना को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित मांग को एक उचित मार्जिन रिजर्व के साथ पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा (जेनरेशन सेट की उपलब्धता के संबंध में संभव सीमा तक)।

44.3 खंड 44.2 में निर्दिष्ट कारकों में शामिल हैं :

- (क) अपेक्षित मांग (हानि सहित);
- (ख) आर्थिक और तकनीकी बाधाएँ जो समय-समय पर कुल प्रणाली या उसके किसी भाग में आती हैं;
- (ग) उपलब्ध जनरेशन सेट की गतिशील परिचालन विशेषताएं; और
- (घ) ग्रिड कोड में प्रदान किए गए अन्य मामले।

44.4 प्रसारण लाइसेंसधारी आयोग को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जिसकी आवश्यकता आयोग को खंड (44.2(क)) में वर्णित योग्यता आदेश प्रेषण या इसके संचालन के किसी भी पहलू के संबंध में होगी।

45 सिस्टम के उपयोग और सिस्टम से कनेक्शन के लिए शर्तों की पेशकश करने की आवश्यकता

45.1 प्रसारण लाइसेंसधारी तीसरे पक्ष द्वारा प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिए विनियम 45 में निर्दिष्ट के अनुसार व्यवस्था करेगा। ऐसे किसी तृतीय पक्ष द्वारा प्रसारण लाइसेंसधारी प्रसारण प्रणाली के उपयोग के लिए किए गए आवेदन पर प्रसारण लाइसेंसधारी उस व्यक्ति के साथ निम्न के लिए एक समझौते में प्रवेश करने की पेशकश करेगा।

- (क) उस व्यक्ति द्वारा प्रदान की गई प्रसारण प्रणाली बिजली को स्वीकार करने के लिए ;
- (ख) निर्दिष्ट निकास बिंदु पर ऐसी बिजली प्रदान करने के लिए जो बिजली के नुकसान के लिए समायोजित की जाती है;
- (ग) जो समझौता निर्दिष्ट करता है कि उपयोगकर्ता द्वारा भुगतान किए जाने वाले सिस्टम शुल्क का उपयोग विनियम 40 के अनुसार होगा।

स्पष्टीकरण: इस खंड (45.1) में संदर्भित तीसरे पक्ष का अर्थ है :

- (क) ऊर्जा के एक अंतर-राज्य परिवहन में प्रसारण प्रणाली में भेजी गई विद्युत के लिए भारत संघ द्वारा अधिनियमित कानून के अंतर्गत अधिकृत व्यक्ति;
- (ख) ऐसे व्यक्ति जिन्हें आयोग प्रसारण प्रणाली का उपयोग करने के लिए अधिकृत कर सकता है।

45.2 प्रसारण प्रणाली से सीधे जुड़ने के इच्छुक उपभोक्ता को कनेक्शन देने के लिए आपूर्तिकर्ता द्वारा किए गए आवेदन पर, लाइसेंसधारी ऐसे आपूर्तिकर्ता और/या उपभोक्ता, जैसा भी मामला हो, के साथ प्रसारण प्रणाली के लिए या इस तरह के एक मौजूदा कनेक्शन के संशोधन के लिए कनेक्शन के लिए एक समझौते में प्रवेश करने की पेशकश करेगा और इस तरह का प्रस्ताव निम्न के लिए प्रावधान करेगा :

- (क) मीटर लगाने सहित आवश्यक कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक कार्य करना;
- (ख) लाइसेंसधारी की प्रसारण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कोई आवश्यक कार्य करना;
- (ग) विनियम 40 के अनुसार भुगतान किए जाने वाले कनेक्शन शुल्क; और
- (घ) कार्य पूरा होने की तिथि और ऐसी अन्य शर्तें जो परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक हैं।

- 45.3 प्रसारण लाइसेंसधारी यथाशीघ्र व्यवहार्य खंड (45.1) या (45.2) के अनुसार समझौतों के लिए शर्तों की पेशकश करेगा, लेकिन (जहां आयोग द्वारा प्रदान की गई लंबी अवधि के लिए सहमति को छोड़कर) खंड (45.1) या (45.2) के अंतर्गत एक आवेदन के बाद दो (2) महीने से पहले।
- 45.4 प्रसारण लाइसेंसधारी विनियम 30 के अनुसार किसी समझौते में प्रवेश करने या करने की पेशकश करने के लिए बाध्य नहीं होगा यदि :
- (क) इसमें प्रसारण लाइसेंसधारी के निम्न में शामिल होने की संभावना है;
- i. अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत अपने कर्तव्यों के उल्लंघन में या;
- ii. प्रसारण व्यवसाय के लिए लागू सुरक्षा या मानकों से संबंधित किसी भी नियम या विनियम के उल्लंघन में; या
- iii. ग्रिड कोड के उल्लंघन में; या
- iv. इस लाइसेंस की किसी भी शर्त के उल्लंघन में; या यदि
- (ख) आवेदन करने वाले व्यक्ति समय-समय पर लागू ग्रिड कोड का उस सीमा तक पालन करने का वचन नहीं देते हैं जिस सीमा तक यह उस व्यक्ति पर लागू होता है, या;
- (ग) अनुच्छेद (45.1) के अंतर्गत सिस्टम के उपयोग के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों के मामले में ऐसे व्यक्ति उसमें निर्दिष्ट के रूप में अधिकृत नहीं रहा जाते हैं; या
- (घ) यदि उन व्यक्तियों के पास प्रसारण शुल्क का भुगतान करने के लिए वित्तीय संसाधन नहीं हैं।
- 45.5 यदि, एक अवधि के बाद, जो आयोग को इस उद्देश्य के लिए उचित प्रतीत होता है, लाइसेंसधारी खंड 45 के अंतर्गत एक अनुरोध के अनुसार खंड (45.1) और (45.2) में संदर्भित किसी भी आवेदक के साथ एक समझौते में प्रवेश करने में विफल रहा है, तो आयोग किसी पक्ष के अनुरोध पर लाइसेंसधारी और उस व्यक्ति के बीच विवाद में ऐसी शर्तों को लागू कर सकता है और प्रसारण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार इस तरह के समझौते में प्रवेश करेगा और उसे लागू करेगा।
- 45.6 प्रसारण लाइसेंसधारी वार्षिक आधार पर आयोग को तैयार करेगा और मानक नियोजन मानदंड के अंतर्गत प्रसारण प्रणाली पर आने वाले पांच (5) वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के संबंध में सर्किट क्षमता, बिजली प्रवाह और प्रसारण प्रणाली पर लोड का पूर्वानुमान दिखाते हुए एक समझौता प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ निम्नलिखित सूचनाएं होंगी :
- (क) ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो किसी भी व्यक्ति को सिस्टम का उपयोग करने के इच्छुक व्यक्ति को ऐसी प्रणाली से जुड़ने और उपयोग करने के दौरान उपलब्ध अवसरों की पहचान करने और उनका मूल्यांकन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक होगी; और
- (ख) लाइसेंसधारी द्वारा तैयार किया गया नोट जिसमें लाइसेंसधारी के प्रसारण प्रणाली के उन हिस्सों के बारे में लाइसेंसधारी के विचार दर्शाए गए हों जो नए कनेक्शनों और बिजली की अधिक मात्रा के परिवहन के लिए सबसे उपयुक्त हैं।
- 45.7 खंड (45.1) या (45.2) के अंतर्गत प्रसारण प्रणाली का उपयोग करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता के अनुरोध पर, प्रसारण लाइसेंसधारी नवीनतम डेटा को शामिल करते हुए, लेकिन विशेष रूप से किसी भी सुविधा को शामिल करते हुए उपरोक्त कथन के लिए एक अद्यतन तैयार करेगा जिसके लिए किसी अन्य व्यक्ति या आपूर्तिकर्ता ने प्रसारण प्रणाली के उपयोग और कनेक्शन का अनुरोध किया है।
- 45.8 प्रसारण लाइसेंसधारी सिस्टम का उपयोग करने की मांग करने वाले व्यक्तियों को दिए गए या भेजे गए किसी भी कथन के लिए एक ऐसी राशि का प्रभार लगा सकता है जो प्रसारण लाइसेंसधार को इस प्रकार का कथन प्रदान करने में आने वाली उचित लागत को प्रतिबिम्बित करती है।

भाग ख : वितरण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें विनियम, 2023

अध्याय - V

वितरण लाइसेंस प्रदान करने की प्रक्रिया

46 वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

- 46.1 यहां निहित विनियम जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर बिजली के वितरण के कारोबार में संलग्न होने के इच्छुक सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।
- 46.2 किसी भी वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन अधिनियम और इन विनियमों के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
- 46.3 एक आवेदक इन विनियमों के परिशिष्ट - 4 में निर्दिष्ट प्रपत्र में और आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से और समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क के साथ लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।
- 46.4 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस देने के लिए देय शुल्क, जम्मू और कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियम और इसके बाद के संशोधन के अनुसार होंगे;
- 46.5 लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का विधिवत पालन करेगा।
- 46.6 लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रत्येक आवेदन आवेदक द्वारा या आवेदक की ओर से अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा और आयोग के सचिव या ऐसे अधिकारी को संबोधित किया जाएगा जिसे आयोग इस संबंध में नामित कर सकता है और इसके साथ निम्न दस्तावेजों को जमा किया जाएगा :
- (क) प्रिंट किए गए आवेदन की छह (6) प्रतियां, और एक (1) ड्राफ्ट लाइसेंस की सॉफ्ट कॉपी जैसा कि आवेदक द्वारा आवेदक और उसके एजेंट (यदि कोई हो) का नाम और पता ड्राफ्ट के बाहर मुद्रित किया जाना चाहिए।
- (ख) जिस क्षेत्र में बिजली की जानी है उस प्रस्तावित सेवा क्षेत्र के मानचित्र और सड़कों या मार्गों कि तीन (3) प्रतियां, जिनमें से प्रत्येक आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित कि जानी चाहिए, जो इस प्रकार चिह्नित की जाएगी या ऐसे क्षेत्र के किसी भी हिस्से और सड़कों या सड़कों को रंगों के साथ परिभाषित करना है जो किसी स्थानीय प्राधिकरण के प्रशासनिक नियंत्रण में हैं और ये निम्न पैमाने पर होंगे :
- i. एक किमी के लिए कम से कम 10 सेमी के पैमाने पर लाइसेंस के प्रस्तावित क्षेत्र के मानचित्र; या
- ii. यदि ऐसा कोई मानचित्र उपलब्ध नहीं है, तो उपलब्ध सबसे बड़े पैमाने के अध्यादेश मानचित्रों से कम नहीं होना चाहिए; या
- iii. एक विशिष्ट मामले में इस तरह के अन्य पैमाने को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जा सकता है।
- (ग) आपूर्ति के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का एक विस्तृत मानचित्र जो आपूर्ति किए जाने वाले क्षेत्र और वितरण प्रणाली के विन्यास को दर्शाता है। मानचित्र स्पष्ट रूप से मौजूदा प्रणाली और किसी भी नई सुविधा के बीच अंतर करेगा जो बिजली की आपूर्ति प्रदान करने के उद्देश्य से आवश्यक है। मानचित्र सब-स्टेशन, वितरण कि मेन लाइन, वितरण नेटवर्क, गलियों और सड़कों को इंगित करेगा, जिन पर विभिन्न उपभोक्ताओं को ऊर्जा की आपूर्ति की जाती है और सार्वजनिक और निजी उपभोक्ताओं के बीच अंतर किया जाएगा;
- (घ) वितरण के क्षेत्र में आवेदक द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित वितरण प्रणाली के निर्माण, संचालन और/या रखरखाव के संबंध में एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट;

- (ड) लाइसेंस के प्रस्तावित क्षेत्र के किसी भी हिस्से के प्रशासन के साथ निहित सभी स्थानीय प्राधिकरणों (अर्थात् ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, नगरपालिका क्षेत्र) की एक सूची जिसके माध्यम से प्रस्तावित वितरण लाइन गुजरेगी;
- (च) किसी भी भूमि का वर्णन करने वाला एक अनुमानित विवरण जिसे आवेदक लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के उद्देश्य और ऐसे अधिग्रहण के साधनों के लिए अधिग्रहण करने का प्रस्ताव करता है;
- (छ) उपयोगिता के संबंध में व्यय की जाने वाली प्रस्तावित पूंजी का अनुमानित विवरण और ऐसे अन्य विवरण जिनकी आयोग को आवश्यकता हो सकती है;
- (ज) वितरण प्रणाली को प्रभावी ढंग से और कुशलता से बनाने, संचालित करने और/या बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में सक्षम कर्मियों की उपलब्धता, बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता और परियोजना को पूरा करने की वित्तीय क्षमता से संबंधित एक प्रासंगिक जानकारी;
- (झ) कंपनी के मेमोरेण्डम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की एक प्रति यदि आवेदक एक निकाय कॉर्पोरेट है, और अन्य व्यावसायिक संस्थाओं के मामले में निगमन, पंजीकरण या समझौते के लागू दस्तावेज;
- (ञ) चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपरोक्त बयानों पर संलग्न नोट और प्रमाणन, यदि कोई हो;
- (ट) आवेदक के पिछले तीन वर्षों के वार्षिक खातों की एक प्रति या अन्य समान दस्तावेज जो आवश्यक हो सकते हैं;
- (ठ) उपरोक्त खंड (46.4) के अनुसार निर्दिष्ट आवेदन शुल्क के भुगतान की रसीद;
- (ड) तकनीकी, पूंजी पर्याप्तता और क्रेडिट योग्यता सहित आवेदक का विवरण;
- (ढ) स्थानीय प्राधिकरण या सहमति पत्र से सहमति मांगने वाले पत्र की एक प्रति;
- (ण) अधिनियम की धारा 15 (2) (ii) के अनुसार केंद्र सरकार से सहमति मांगने के लिए पत्र की एक प्रति, यदि लागू हो;
- (त) जहां आवेदक एक कंपनी है, उत्पादन, वितरण या व्यापार के कारोबार में लगी किसी भी समूह कंपनी का विवरण, जो कि जम्मू और कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के अंदर या किसी अन्य राज्य में हो ;
- (थ) जहां आवेदक एक कंपनी नहीं है, उत्पादन, वितरण या व्यापार के व्यवसाय का विवरण, जो कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश के अंदर या किसी अन्य राज्य में हो, जिसमें आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रुचि रखता हो;
- (द) जहां आवेदक एक कंपनी है, प्रमोटरों का संक्षिप्त इतिहास;
- (ध) ऐसे अन्य दस्तावेज या जानकारी जो आयोग मांग कर सकता है;

47. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए मानचित्र और ड्राफ्ट लाइसेंस की प्रतियां

- 47.1 आवेदक निम्नलिखित को अपने और अपने एजेंटों (यदि कोई हो) के कार्यालय में रखेगा और आपूर्ति के प्रस्तावित क्षेत्र के किसी भी हिस्से के प्रशासन के साथ निवेशित प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में जमा करेगा :
- i. सार्वजनिक निरीक्षण के लिए उपरोक्त खंड 46.6 (बी) में संदर्भित मानचित्रों की प्रतियां; और
 - ii. आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को ड्राफ्ट लाइसेंस की पर्याप्त संख्या में प्रतियां सामान्य फोटोकॉपी शुल्कों की कीमत पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

48. ड्राफ्ट लाइसेंस की सामग्री**48.1. ड्राफ्ट लाइसेंस में निम्नलिखित विवरण शामिल होंगे :**

- i. आवेदक के पते और विवरण के साथ प्रस्तावित उपयोगिता का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त नाम और यदि आवेदक एक कंपनी है, तो कंपनी के सभी निदेशकों के नाम;
- ii. लाइसेंस का प्रकार जिसके लिए आवेदन किया गया है;
- iii. प्रस्तावित सेवा क्षेत्र के स्थान;
- iv. प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण; और
- v. ऐसे अन्य विवरण जो आयोग निर्देशित कर सकता है।

49. वितरण लाइसेंस की शर्तें

- 49.1. सामान्य शर्तें जिनके अधीन लाइसेंस की प्रत्येक श्रेणी आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी
- 49.2. आयोग विशेष शर्तों पर निर्णय ले सकता है जिसके अधीन आवेदक को लाइसेंस जारी किया जाएगा।
- 49.3. लाइसेंस के लिए आवेदन करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं का विधिवत पालन करेगा।

50. ड्राफ्ट लाइसेंस का प्रारूप

- 50.1. आयोग, समय-समय पर, जारी किए जाने वाले लाइसेंस के प्रारूप को निर्धारित कर सकता है और लाइसेंस के इस प्रारूप को, इस तरह के बदलाव के साथ, जैसा कि प्रत्येक मामले की परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए उपयोग किया जा सकता है।

51. आवेदन की प्राप्ति और पावती

- 51.1 वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग के सचिव या प्राप्तकर्ता अधिकारी इस उद्देश्य के लिए रखे जाने वाले एक रजिस्टर में विवरण दर्ज करेंगे और आवेदन को एक संदर्भ संख्या आवंटित करेंगे। सचिव या प्राप्तकर्ता अधिकारी आवेदक को प्राप्ति की तिथि और संदर्भ संख्या सहित आवेदन में बताए गए पते पर एक पावती भेजेगा।

52. आवेदन की जांच और अतिरिक्त सूचना की मांग

- 52.1. आयोग या सचिव या इस प्रयोजन के लिए आयोग द्वारा नामित कोई अन्य अधिकारी, आवेदन की जांच के बाद, आवेदक को ऐसी अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता हो सकती है, जो आवेदन की प्रक्रिया के उद्देश्य से आवश्यक समझे जा सकते हैं।
- 52.2. एक आवेदन की जांच जम्मू और कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के लिए संशोधनों के साथ जेईआरसी के अनुसार होगी;

बशर्ते कि यदि जांच के दौरान लाइसेंस प्रदान करने के लिए दिया गया आवेदन किसी भी तरह से अधूरा या त्रुटिपूर्ण पाया जाता है, तो इसे पूरा करने या कमियों को दूर करने के बाद नया आवेदन करने के लिए आवेदक को वापस कर दिया जाएगा। आवेदक को कथनों में किसी भी दोष के बारे में लिखित रूप में सूचित किया जाएगा और उन्हें ठीक करने के लिए अनुमत समय दिया जाएगा। आवेदक को अपने नए आवेदन के संबंध में इस विनियम में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा, सिवाय इसके कि आवेदन प्रक्रिया शुल्क को फिर से भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी।

53. आवेदन की नियत फाइलिंग की अधिसूचना

53.1. यदि आयोग आवश्यक जानकारी, विवरण और दस्तावेजों के साथ आवेदन को पूरा पाता है, और पाता है कि आवेदक ने आवेदन करने और सूचना, विवरण और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, तो आयोग या सचिव प्रमाणित करेगा कि आवेदन लागू कानूनों के अनुसार लाइसेंस प्रदान करने के लिए विचार किए जाने के लिए तैयार है।

54. आवेदन की सार्वजनिक सूचना

54.1. जब तक लागू कानूनों/आयोग द्वारा छूट नहीं दी जाती है, आवेदक, आवेदन के प्रवेश की तिथि से सात (7) दिनों के अंदर, एक अंग्रेजी और एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र में सार्वजनिक विज्ञापन द्वारा अपने आवेदन की सूचना प्रकाशित करेगा, जिसका उस क्षेत्र में व्यापक प्रसार होजिसके लिए लाइसेंस मांगा गया है, और ऐसे विज्ञापन में ऐसे विवरण शामिल होंगे जो इन विनियमों में आयोग द्वारा निर्देशित किए गए हैं, अर्थात् :

- (क) सबसे ऊपर बोल्ड में आवेदक का नाम स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि आवेदक एक व्यक्ति है, या भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 के अंतर्गत पंजीकृत एक साझेदारी फर्म, या एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी है, जो कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत निगमित एक कंपनी है या कोई अन्य निगमित या अनिगमित निकाय है और साथ ही अपने कार्यालय के पते का पूर्ण विवरण और पंजीकृत कार्यालय का पता, यदि कोई हो प्रदान किया जाएगा;
- (ख) एक बयान कि आवेदक ने अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आयोग को एक आवेदन प्रस्तुत किया है;
- (ग) वितरण लाइसेंस का प्रस्तावित क्षेत्र;
- (घ) आवेदक की वित्तीय और तकनीकी शक्ति, प्रबंधन प्रोफाइल और शेयर होल्डिंग पैटर्न, यदि कोई हो;
- (ङ) इस आशय का एक बयान कि समय-समय पर आयोग के समक्ष दायर किया गया आवेदन और अन्य दस्तावेज किसी भी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण के लिए आवेदक के पास उपलब्ध होंगे;
- (च) प्रस्तावित वितरण लाइसेंस के क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों में आवेदक द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य आवश्यक विवरण, आवेदन और अन्य दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए उपलब्ध करा सकते हैं या जिनसे वे उचित शुल्क पर व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा खरीदा जा सकता प्राप्त कर लिए जा सकते हैं।
- (छ) प्रस्तावित वितरण लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;
- (ज) इस आशय का एक बयान कि पूरा किया गया आवेदन आवेदक की वेबसाइट या किसी अन्य अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसे मुफ्त में डाउनलोड किया जा सकता है;
- (झ) एक बयान कि नोटिस के प्रकाशन के तीस (30) दिनों के अंदर आपत्ति, यदि कोई हो, सचिव, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, अंबेडकर रोड, पनामा चौक, जम्मू और कश्मीर के समक्ष दायर की जा सकती है।

बशर्ते कि आवेदक आयोग से अनुरोध कर सकता है कि वह पर्याप्त और उचित आधार के साथ अपने व्यावसायिक हितों या बौद्धिक संपदा अधिकारों की रक्षा के लिए उपरोक्त किसी भी जानकारी को प्रकाशित करने से मना करे और आयोग उचित विचार के बाद ऐसे अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है;

बशर्ते आगे कि आवेदक को निर्दिष्ट तरीके से उपरोक्त जानकारी का एक अगोपनीय सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता हो सकती है;

- (ज) उपरोक्त के अलावा, आयोग यह निर्देश दे सकता है कि केंद्र सरकार के किसी भी नामित प्रतिनिधि, यूटी सरकार/प्रशासन, कोई स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण या व्यक्ति या निकाय जैसा कि आयोग उचित समझे, को आवेदन की सूचना दी जाए;
- (ट) आवेदक, पूर्वोक्त नोटिस के प्रकाशन की तिथि से सात (7) दिनों के अंदर आयोग को एक हलफनामा, प्रकाशित नोटिस का विवरण प्रस्तुत करेगा, और समाचार पत्रों की प्रासंगिक प्रतियां भी फाइल करेगा जिसमें नोटिस प्रकाशित किए गए।

55. आवेदन और दस्तावेजों का सार्वजनिक निरीक्षण

- 55.1. उपरोक्त विनियम 54.1 के अनुसार नोटिस के प्रकाशन की तिथि से, आवेदक अपने कार्यालय और अपने एजेंटों के कार्यालय (यदि कोई हो) और आयोग द्वारा निर्दिष्ट प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी के पास समय-समय पर आवेदन की प्रतियां और उसके साथ जमा किए गए सभी दस्तावेज भी उपलब्ध कराएगा।
- 55.2. आवेदक, आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को अपने आवेदन की मुद्रित प्रतियां, संलग्नक के साथ, ऐसी सामग्री की फोटोकॉपी की उचित कीमत पर प्रस्तुत करेगा।

56. ड्राफ्ट लाइसेंस का संशोधन

- 56.1. कोई भी व्यक्ति जो ड्राफ्ट लाइसेंस में कोई भी संशोधन करवाना चाहता है, वह आवेदक और सचिव या ऐसे अधिकारी के रूप में आयोग द्वारा निर्दिष्ट व्यक्ति को समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से आवेदन की सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों की अवधि के अंदर संशोधन का विवरण देगा।

57. आपत्तियां और सुझाव

- 57.1. कोई भी व्यक्ति जो वितरण लाइसेंस प्रदान करने पर आपत्ति/सुझाव देना चाहता है,
- 57.2. वह उपरोक्त विनियम 56.1 में निर्दिष्ट पहले विज्ञापन के जारी होने की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर आपत्ति/सुझाव दर्ज करेगा। आपत्तियों/सुझावों को आवेदक को एक प्रति के साथ आयोग के सचिव को संबोधित किया जाएगा।
- 57.3. जहां किसी संबंधित स्थानीय प्राधिकरण से आपत्ति प्राप्त होती है, यदि आयोग की राय में आपत्ति योग्य नहीं है, आय आयोग लिखित रूप में राय दर्ज करेगा और कारण सहित स्थानीय प्राधिकरण को सूचित करेगा।
- 57.4. ऐसी आपत्तियों/सुझावों की प्राप्ति पर, सचिव/नामित अधिकारी उस पर वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए संबंधित आवेदन की संदर्भ संख्या अंकित करेगा और संबंधित आवेदन से संबंधित फाइल में ऐसी आपत्तियों को रखेगा, और उसे आयोग की वेबसाइट पर भी पोस्ट करेगा।
- 57.5. ऊपर दिए गए खंड (54.1) में उल्लिखित तीस (30) दिनों के नोटिस की समाप्ति के पंद्रह (15) दिनों के अंदर उपरोक्त विनियम 54.1 के अंतर्गत नोटिस के जवाब में प्राप्त आपत्तियों या सुझावों पर आवेदक अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगा।
- 57.6. आपत्तियों पर आपत्ति/सुझाव/टिप्पणियां एक उत्तर के रूप में दायर की जाएंगी और जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश के लिए संशोधन के साथ जेईआरसी के प्रावधान के अनुसार होंगी;

- 57.7. रक्षा उद्देश्यों के लिए केंद्र सरकार के कब्जे में किसी भी छावनी, हवाई अड्डे, किले, शस्त्रागार, डॉकयार्ड या शिविर या किसी भी इमारत या स्थान या किसी भी हिस्से सहित एक क्षेत्र के लिए वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन के मामले में वितरण लाइसेंस देने के मामले में, आयोग यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे लाइसेंस देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से कोई आपत्ति नहीं है।
- 57.8. बशर्ते कि यदि इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, तो आयोग अपने विवेक से कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई कर सकता है।
- 58. सुनवाई और स्थानीय पूछताछ**
- 58.1. यदि आवेदक ने इच्छित आवेदन के नोटिस के प्रकाशन की विधिवत व्यवस्था की है और आपत्तियां दाखिल करने का समय समाप्त हो गया है और आवेदक द्वारा आयोग को अनापत्ति प्रस्तुत करने के बाद, केंद्र सरकार से आवश्यक होने पर, आयोग नियमित सुनवाई के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा।
- 58.2. आयोग आवेदक, आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्तियों, केंद्र सरकार, संबंधित सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकरण, व्यक्ति या निकाय को, जिसे आयोग उचित समझे, जांच या सुनवाई का नोटिस देगा।
- 58.3. यदि कोई व्यक्ति आवेदन किए गए लाइसेंस को प्रदान करने पर आपत्ति करता है, तो आयोग, यदि आवेदक या आपत्तिकर्ता ऐसा चाहता है, तो एक स्थानीय जांच करवाएगा, जिसकी लिखित सूचना आवेदक और आपत्तिकर्ता दोनों को दी जाएगी।
- 58.4. बशर्ते कि आयोग ऐसी जांच से इंकार कर सकता है यदि उसकी राय में आपत्ति तुच्छ या तंग करने वाली प्रकृति की हो;
- 58.5. बशर्ते यह भी कि आयोग, लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, स्थानीय जांच के लिए उसके द्वारा निर्धारित समय बढ़ा सकता है।
- 58.6. ऐसी स्थानीय जांच के मामले में, की गई स्थानीय जांच के परिणामों का एक ज्ञापन तैयार किया जाएगा और आवेदक, अधिकारी या इस उद्देश्य के लिए नामित व्यक्ति और ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा जिसे आयोग निर्देशित कर सकता है।
- 58.7. इसके बाद लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर सुनवाई यथासंभव उसी तरीके से आगे बढ़ेगी जैसा कि खंड (58.7) के अंतर्गत प्रावधान किया गया है।
- 58.8. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की सुनवाई करते समय आयोग द्वारा स्थानीय जांच के परिणाम पर विचार किया जाएगा।
- 58.9. आयोग किसी मामले की सुनवाई के चरण, तरीके, स्थान, तिथि और समय निर्धारित कर सकता है और आवेदक, केंद्र सरकार, यूटी सरकार/प्रशासन, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य प्राधिकरण, व्यक्ति या निकाय की सुनवाई का समय भी निर्धारित कर सकता है जिसे आयोग उचित समझता है। आयोग जैसा उचित समझे और निम्नलिखित तरीकों में से किसी एक या अधिक के साथ आगे बढ़ सकता है :
- (क) आयोग पक्षों की दलीलों पर मामले का फैसला कर सकता है या पक्षों को हलफनामे के माध्यम से सबूत पेश करने या मामले में मौखिक सबूत पेश करने के लिए निर्देश दे सकता है।
- (ख) यदि आयोग मौखिक प्रस्तुतियों के माध्यम से किसी पक्ष के साक्ष्य का नेतृत्व करने का निर्देश देता है, तो आयोग, यदि आवश्यक या समीचीन समझा जाता है, तो दूसरे पक्ष को साक्ष्य देने वाले व्यक्तियों की जिरह करने का अवसर प्रदान कर सकता है।

- (ग) आयोग, यदि आवश्यक समझता है तो यह निर्देश दे सकता है कि किसी भी पक्ष के साक्ष्य आयोग द्वारा नामित अधिकारी या व्यक्ति द्वारा दर्ज किए जाएं।
- (घ) आयोग पक्षों को मामले में तर्कों या प्रस्तुतियों के लिखित नोट दाखिल करने का निर्देश दे सकता है।

59. ड्राफ्ट वितरण लाइसेंस का अनुमोदन

- 59.1. जांच, यदि कोई हो, और आवेदन की सुनवाई के बाद, आयोग लाइसेंस देने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता है :

बशर्ते कि आयोग किसी भी स्थिति में आवेदक को सुनवाई का अवसर दिए बिना किसी आवेदन को अस्वीकार नहीं करेगा, या तो आवेदक को लिखित रूप में जवाब दाखिल करने या मौखिक सुनवाई आयोजित करने की आवश्यकता होगी।

- 59.2. यदि आयोग वितरण लाइसेंस प्रदान करने का निर्णय लेता है, तो लाइसेंस इन विनियमों के परिशिष्ट-5 में निर्दिष्ट प्रपत्र में होगा : बशर्ते कि आयोग किसी लाइसेंस के लिए निर्दिष्ट फॉर्म को बदलने या संशोधित करने के लिए जोड़ सकता है जैसा ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के अधीन जो आयोग निर्देशित कर सकता है, जिन्हें वह अपने विवेकानुसार आवश्यक समझ सकता है;

- 59.3. कोई भी लाइसेंस देने से पहले, आयोग दो (2) ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा, जिसे आयोग आवश्यक समझे और अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा और उस व्यक्ति का नाम और पता जिसे वह लाइसेंस जारी करने का प्रस्ताव करता है तथा अन्य विवरण को प्रकाशित करेगा जिस आयोग उचित समझता है।

- 59.4. जब आयोग ड्राफ्ट लाइसेंस को उसके मूल रूप में या संशोधित रूप में अनुमोदित कर देता है, तो सचिव या ऐसे अन्य अधिकारी जिसे आयोग इस संबंध में नामित कर सकता है, आवेदक को इस तरह के अनुमोदन और उस प्रारूप के बारे में सूचित करेगा जिसमें इसे प्रदान किया जाएगा और उन शर्तों का उल्लेख करेगा जिन्हें लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक को पूरा करना है और निर्धारित शुल्क का उल्लेख भी करेगा।

- 59.5. लाइसेंस जारी करने के तुरंत बाद आयोग संबंधित सरकार, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, स्थानीय प्राधिकरण और ऐसे अन्य व्यक्तियों को लाइसेंस की एक प्रति अग्रेषित करेगा, जिसे आयोग आवश्यक समझता है। आयोग प्रदान किए गए लाइसेंस की प्रति भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा।

- 59.6. यदि आवेदक वितरण लाइसेंस को संशोधनों, परिवर्तनों या परिवर्धन के साथ, यदि कोई हो, और ऐसे अन्य नियमों और शर्तों के अधीन स्वीकार करने के लिए तैयार है, जैसा कि आयोग उपरोक्त खंड (16. 1) के अंतर्गत निर्देशित कर सकता है, तो आवेदक आयोग आयोग से अनुमोदन प्राप्त होने के सात (7) दिनों के अंदर स्वीकृति प्रदान करेगा।

- 59.7. जहां आयोग ने वितरण लाइसेंस देने से इनकार करने का फैसला किया है, सचिव इस तरह के इनकार के चौदह (14) दिनों के अंदर, इस तरह के इनकार के समर्थन में आयोग के तर्कपूर्ण आदेश की एक प्रति संलग्न करते हुए इस तरह के इनकार के बारे में आवेदक को सूचित करेगा।

60. वितरण लाइसेंस प्रदान करने की अधिसूचना

- 60.1. आवेदक से लिखित रूप में यह सूचना प्राप्त होने पर कि वह आयोग अनुमोदित प्रपत्र में लाइसेंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है और आवेदक द्वारा लाइसेंस प्रदान करने के लिए लगाई गई शर्तों को पूरा करने के बाद, आयोग लाइसेंस या उसके ऐसे भाग या सारांश को प्रकाशित करेगा।

61. मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी के आपूर्ति के क्षेत्र में वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन

61. 1 एक मौजूदा वितरण लाइसेंसधारी की आपूर्ति के एक ही क्षेत्र के अंदर अपनी स्वयं की वितरण प्रणाली के माध्यम से बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस देने के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति, विनियम 3 के प्रावधानों के अलावा, पूंजी पर्याप्तता, साख सहित ऐसी अतिरिक्त आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा। या समय-समय पर संशोधित विद्युत लाइसेंस (पूंजी पर्याप्तता, साख और आचार संहिता की अतिरिक्त आवश्यकताएं) नियम, 2005 के वितरण के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आचार संहिता कि अनुपालना करेगा। इस संबंध में विद्युत लाइसेंस वितरण (पूंजी पर्याप्तता, साख और आचार संहिता की अतिरिक्त आवश्यकताएं) नियम, 2005 के मौजूदा प्रावधान इस प्रकार हैं :

"पूंजी पर्याप्तता और साख की आवश्यकताएं।

- (1) *विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप-धारा (1) के अंतर्गत बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्राप्त होने पर, आयोग आवेदक की सुनवाई के बाद और धारा 43 के संदर्भ में आपूर्ति के क्षेत्र के आकार और उस क्षेत्र के अंदर सेवा दायित्व को ध्यान में रखते हुए वितरण नेटवर्क के लिए पूंजी निवेश की आवश्यकता का निर्णय करेगा।*
- (2) *लाइसेंस देने के लिए आवेदक को आयोग को संतुष्ट करना होगा कि उप-नियम (1) के अंतर्गत निवेश की लागत पर 30% इक्विटी के मानदंड पर, वह प्रमोटरों सहित, यदि आवेदक एक कंपनी है, अपने अन्य प्रतिबद्ध निवेशों को छोड़कर पिछले तीन वर्षों में प्रमोटरों सहित अपने व्यवसाय के आंतरिक संसाधनों की निवल संपत्ति और सृजन के आधार पर परियोजना की ऐसी इक्विटी के लिए संसाधन उपलब्ध कराने की स्थिति में होगा।*

स्पष्टीकरण- अधिनियम की धारा 14 के छोटे प्रावधान के अनुसार उसी क्षेत्र के अंदर बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करने के लिए, भारत के संविधान की धारा 243 (क्यू) में परिभाषित नगर परिषद या नगर निगम के अंदर आने वाला क्षेत्र या एक राजस्व जिला आपूर्ति का न्यूनतम क्षेत्र होगा।

"आचार संहिता की आवश्यकताएं।

लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदक आयोग को इस बात से संतुष्ट करेगा कि वह लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के अंदर निम्नलिखित प्रावधानों में से किसी के अंतर्गत दोषी नहीं पाया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है :

- (क) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 203, धारा 274, धारा 388 ख या धारा 397;
- (ख) धारा 276, धारा 276बी, धारा 276बीबी, धारा 276सी, धारा 277 या आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 278;
- (ग) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम 1992 की धारा 15 ग, धारा 15 छ, धारा 15 झ या धारा 15 झ क;
- (घ) सीमा शुल्क अधिनियम 1944 की धारा 9 की उप-धारा (1) के अनुच्छेद (ख), (ख ख), (ख ख ख), (ख ख ख ख), (ग) या (घ);
- (ङ) सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 132 या धारा 135,

और यह कि आवेदक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके मामले में आवेदन की तिथि से पिछले तीन वर्षों के अंदर लाइसेंस धारा 24 के अंतर्गत निलंबित कर दिया गया था या अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत निरस्त कर दिया गया था:

बशर्ते कि जहां आवेदक एक कंपनी है, वह इस नियम के प्रावधानों के अलावा आयोग को संतुष्ट करेगा कि कंपनी या उसी प्रमोटर की किसी अन्य कंपनी को अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होने के आधार पर बंद करने की कोई याचिका कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 443 (ड) के अंतर्गत स्वीकार नहीं की गई है।

62. प्रस्तावित वितरण लाइसेंस प्रदान करना

62.1. जब तक आयोग द्वारा अन्यथा निर्देशित नहीं किया जाता है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों में बिजली के व्यापार वितरण में लगे व्यक्तियों के निम्नलिखित वर्गों को यहां निहित उद्देश्यों के लिए और अनुच्छेद (62.2) में निहित शर्तों की को पूरा करने के अधीन वितरण लाइसेंस के लिए आवेदन करने और प्रदान करने के लिए मान्य किया जाएगा :

- (क) वे व्यक्ति जो स्वयं के द्वारा उत्पन्न बिजली की आपूर्ति करते हैं और/या किसी अधिकृत व्यक्ति द्वारा उन्हें आपूर्ति की जाती है, किसी घटना या समारोह के प्रयोजनों के लिए दो (2) महीने से कम के लिए, और जब बिजली उनके स्वामित्व वाली प्रणाली के माध्यम से वितरित की जाती है;
- (ख) व्यक्ति जो अपने कर्मचारियों के उपयोग और व्यवसाय के लिए और/या कर्मचारियों को सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करने वाले व्यक्तियों के उपयोग और व्यवसाय के लिए ऐसी कॉलोनियों के रखरखाव के एक हिस्से के रूप में आवासीय कॉलोनियों को बिजली की आपूर्ति करते हैं, जहां ऐसे व्यक्ति बिजली की खरीद करते हैं किसी भी लाइसेंसधारी से या आयोग द्वारा अनुमोदित किसी अन्य स्रोत से और आवासीय कॉलोनियों के अंदर बिना किसी लाभकारी उद्देश्य से बिजली वितरित करता है;
- (ग) ऐसे अन्य व्यक्ति जिन्हें आयोग समय-समय पर आदेश द्वारा ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन अधिसूचित कर सकता है, जिन्हें आयोग निर्देशित कर सकता है।

62.2. खंड (62.1) के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी :

- (क) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बिजली में व्यापार नहीं करेगा या अपने संचालन के क्षेत्र के बाहर बिजली का वितरण नहीं करेगा और बिजली की आपूर्ति प्रासंगिक अनुमोदित उद्देश्य तक सख्ती से सीमित होगी;
- (ख) विद्युत लाइन स्थापित करेगा या संचालन के क्षेत्र के अंदर ही काम करेगा;
- (ग) यदि आवश्यक हो, तो आयोग को आयोग के कार्यों के निर्वहन के प्रयोजनों के लिए आयोग द्वारा आवश्यक ऐसी जानकारी प्रस्तुत करेगा, जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देशित कर सकता है;
- (घ) अधिनियम के प्रावधानों, आयोग के विनियमों, ग्रिड कोड, विद्युत आपूर्ति कोड, वितरण कोड, प्रदर्शन के मानकों और प्रदर्शन के समग्र मानकों या आयोग द्वारा जारी किए गए किसी अन्य दिशानिर्देश जैसे तकनीकी कोडों का अनुपालन करेगा;
- (ङ) संचालन की सुरक्षा और सुरक्षा से संबंधित सभी लागू नियमों और विनियमों का अनुपालन करेगा;
- (च) किसी लाइसेंसधारी द्वारा आपूर्ति की गई बिजली की आपूर्ति के आसपास के क्षेत्र में प्रचलित शुल्कों को ध्यान में रखते हुए लाइसेंसधारी द्वारा उपभोक्ताओं पर लगाए जाने वाले शुल्क के संबंध में आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले किसी भी निर्देश का पालन करेगा;

63. एसईजेड के लिए प्रस्तावित वितरण लाइसेंसधारी का दर्जा

63.1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 (ख) के अनुसार, विशेष आर्थिक क्षेत्र को प्रस्तावित वितरण लाइसेंसधारी के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिसूचना एस. ओ. सं. 528(ई), दिनांक 3 मार्च, 2010 द्वारा अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान शामिल किया गया था।

"वर्तते कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के अंतर्गत अधिसूचित एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता को अधिसूचना की तिथि से इस खंड के प्रयोजन के लिए ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र का एक लाइसेंसधारी माना जाएगा।"

63.2. एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकासकर्ता जम्मू और कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और प्रभार विनियम और इसके बाद के संशोधन के अनुसार आवेदन शुल्क के साथ निम्नलिखित के लिए आयोग के समक्ष एक आवेदन करेंगे :

- (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के संदर्भ में विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14, एसईजेड अधिनियम, 2005 की धारा 49 के अंतर्गत प्रस्तावित वितरण स्थिति को रिकॉर्ड करने के लिए;
- (ख) अधिनियम की धारा 16 और 181 के अनुसार याचिकाकर्ता के लिए लागू वितरण लाइसेंस की विशिष्ट शर्तों को जारी करने के लिए।
- (ग) अंतरिम रूप से, याचिकाकर्ता को अपने लाइसेंस क्षेत्र में उपभोक्ताओं से समय-समय पर संशोधित आपूर्ति के संबंधित क्षेत्र में उपभोक्ताओं की संबंधित श्रेणी के लिए लागू टैरिफ को वसूल करने की अनुमति देने के लिए, जैसा कि सीलिंग टैरिफ के रूप में आपूर्ति के अपने क्षेत्र में लागू किया गया है और उपयुक्त टैरिफ अनुसूची को अनुमति प्रदान करने के लिए।
- (घ) याचिकाकर्ता को अपने लाइसेंस क्षेत्र में उपभोक्ताओं से समय-समय पर संशोधित आपूर्ति के मौजूदा क्षेत्र में लागू समान अनुसूचित शुल्कों को वसूल करने की अनुमति देने के लिए।

63.3. आवेदक को एक आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित को जमा करना होगा :

- (क) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार द्वारा विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में आवेदक के विरुद्ध स्वीकृति पत्र;
- (ख) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग), भारत सरकार द्वारा आवेदक के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्र का अधिसूचित क्षेत्र;
- (ग) प्रस्तावित वितरण लाइसेंसधारी का उपभोक्ता आधार;
- (घ) प्रस्तावित लाइसेंस मांगने की तिथि और अवधि;
- (ङ) आवेदक के संचालन की विशिष्टता पर विचार करने वाली कोई अन्य अतिरिक्त जानकारी।

64. वितरण लाइसेंस के प्रारंभ होने की तिथि और अवधि

- 64.1. वितरण लाइसेंस उस तिथि से शुरू होगा जिस तिथि को आयोग लाइसेंस के प्रारंभ होने की तिथि के रूप में निर्देशित कर सकता है और;
- 64.2. वितरण लाइसेंस इसके प्रारंभ होने की तिथि से पच्चीस (25) वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक कि आयोग द्वारा इसे विधिवत रूप से निलंबित या निरस्त नहीं किया जाता है।
- 64.3. आयोग प्रत्येक मामले की योग्यता के आधार पर एक और अवधि के लिए लाइसेंस प्रदान करने पर विचार कर सकता है जिसके लिए लाइसेंसधारी लाइसेंस की प्रारंभिक अवधि समाप्त होने से दो साल पहले विनियम 3 के अनुसार आवेदन कर सकता है :

बशर्ते कि जब लाइसेंसधारी 25 वर्ष की प्रारंभिक अवधि के बाद लाइसेंस देने के लिए आवेदन नहीं करता है, तो आयोग, उपभोक्ताओं के हित की रक्षा के लिए या जनहित में उपयोगी जीवन के शेष भाग के लिए वितरण संपत्तियों के संचालन के लिए ऐसे निर्देश जारी कर सकता है या ऐसी योजनाएँ बना सकता है, जो वह आवश्यक समझे।

65. मानचित्र और प्रारूप जमा करना

- 65.1. जब एक लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो नीचे दिए गए अनुच्छेद (65. 2) में निर्दिष्ट मानचित्रों और प्रारूप के तीन (3) सेटों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और सचिव या किसी आयोग द्वारा नामित अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस देने की अधिसूचना की तिथि के अनुरूप दिनांकित किया जाएगा। ऐसे नक्शों का एक सेट उक्त अधिकारी द्वारा जमा किए गए नक्शों के रूप में रखा जाएगा और अन्य दो (2) सेट लाइसेंसधारी को दिए जाएंगे :
- 65.2. उपरोक्त अनुच्छेद (65. 1) के अंतर्गत प्रोफार्मा में दिए जाने वाले विवरण निम्नानुसार होंगे :
- (क) आवेदक के पते और विवरण के साथ प्रस्तावित उपयोगिता का वर्णन करने वाला एक संक्षिप्त नाम, और यदि आवेदक एक कंपनी है, तो कंपनी के सभी निदेशकों के नाम;
- (ख) प्रदान किए गए लाइसेंस का प्रकार;
- (ग) संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का स्थान;
- (घ) संचालन के प्रस्तावित क्षेत्र का विवरण और;
- (ङ) सामान्य शर्तें, उनसे विचलन और साथ ही विशिष्ट शर्तें, यदि कोई हों, जो आयोग ने सामान्य शर्तों से दिए गए किसी विचलन के लिए औचित्य के साथ लाइसेंस में निर्धारित की हैं;
- 65.3. लाइसेंसधारी, जब भी आयोग द्वारा आवश्यक हो, नक्शे की अतिरिक्त प्रति और नक्शे और प्रारूप को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेगा।
- 66. लाइसेंस की मुद्रित प्रतियां जमा करना**
- 66.1. प्रत्येक व्यक्ति जिसे लाइसेंस प्रदान किया गया है, उसके प्रदान करने के तीस (30) दिनों के अंदर निम्नलिखित को रखने की व्यवस्था करेगा जैसा कि केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया है :
- (क) मुद्रित लाइसेंस की पर्याप्त संख्या में प्रतियां मुद्रित करवाना;
- (ख) लाइसेंस में निर्दिष्ट आपूर्ति के क्षेत्र को दिखाते हुए पर्याप्त संख्या में मानचित्र तैयार करवाना;
- (ग) सार्वजनिक निरीक्षण के लिए इस तरह के लाइसेंस और मानचित्रों की एक प्रति अपने मुख्य कार्यालय में, अपने स्थानीय कार्यालयों (यदि कोई हो) और आपूर्ति के क्षेत्र के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण के कार्यालय में प्रदर्शित करने की व्यवस्था करना।
- 66.2. ऐसा प्रत्येक लाइसेंसधारी, तीस (30) दिनों की पूर्वोक्त अवधि के अंदर, आपूर्ति के क्षेत्र के अंदर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकरण को लाइसेंस की एक (1) प्रति और संबंधित मानचित्रों की निःशुल्क आपूर्ति करेगा, और इसके लिए आवश्यक व्यवस्था भी करेगा। इसके लिए आवेदन करने वाले सभी व्यक्तियों को लाइसेंस की मुद्रित प्रतियों की बिक्री, सामान्य फोटोकॉपी शुल्क पर करनी होगी।
- 67. वितरण लाइसेंस का संशोधन**
- 67.1. आयोग स्वप्रेरणा से या वितरण लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर वितरण लाइसेंस में संशोधन के लिए कार्यवाही शुरू कर सकता है।
- 67.2. लाइसेंसधारी द्वारा किए गए लाइसेंस के संशोधन के लिए आवेदन, इस विनियम के परिशिष्ट - 6 में निर्दिष्ट प्रपत्र के अनुसार और इस तरह के शुल्क के साथ होगा जिसे होगा समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।
- 67.3. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस के संशोधन के लिए देय शुल्क, जम्मू और कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियम और इसके बाद के संशोधनों के अनुसार होगा;

- 67.4. इस तरह के आवेदन के साथ प्रस्तावित संशोधन का एक विवरण होगा और एक हलफनामे द्वारा समर्थित किया जाएगा जैसा कि जम्मू और कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के लिए जेईआरसी व्यापार विनियमों के संचालन के लिए विनियमों और उनके संशोधनों में प्रावधान किया गया है;
- 67.5. आवेदक संशोधन के लिए आवेदन की स्वीकृति की तिथि से सात (7) दिनों के अंदर, संचालन के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वालेदो (2) दैनिक समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा जो एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा स्थानीय भाषा में होगा जिसमें वितरण लाइसेंस में निम्नलिखित विवरण देते हुए संशोधन करने की मांग की जाएगी :
- (क) मौजूदा वितरण लाइसेंस का संक्षिप्त विवरण;
 - (ख) मौजूदा वितरण लाइसेंस में प्रस्तावित संशोधन और संशोधन की मांग के संक्षिप्त कारण;
 - (ग) प्रदान किए गए लाइसेंस के अंतर्गत लाइसेंसधारी के कार्यों के निर्वहन पर प्रस्तावित संशोधन का प्रभाव;
 - (घ) कार्यों के ऐसे निर्वहन के लिए प्रस्तावित वैकल्पिक व्यवस्था;
 - (ङ) प्रस्तावित वितरण लाइसेंस के क्षेत्र के प्रमुख शहरों या कस्बों में आवेदक द्वारा नामित व्यक्तियों के नाम, पते और अन्य आवश्यक विवरण, जो आवेदन और अन्य दस्तावेजों के निरीक्षण लिए उपलब्ध करा सकते हैं या जिनसे उन्हें व्यक्तिगत रूप से या डाक द्वारा उचित शुल्क, फोटोकॉपी शुल्क से अधिक नहीं, पर खरीदा जा सकता है;
 - (च) एक बयान कि कोई भी व्यक्ति, प्रस्तावित संशोधन के लिए कोई सुझाव या आपत्ति करने का इच्छुक है, सूचना के पहले प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर आयोग के सचिव को संबोधित लिखित याचिका दायर करके ऐसा कर सकता है।
- 67.6. जहां आयोग द्वारा स्वप्रेरणा से वितरण लाइसेंस में संशोधन प्रस्तावित किया जाता है, आयोग संशोधन की मांग किए जाने वाले वितरण लाइसेंस के संचालन के क्षेत्र में व्यापक प्रसार वालेदो (2) दैनिक समाचार पत्रों में एक नोटिस प्रकाशित करेगा जो एक अंग्रेजी भाषा में और दूसरा स्थानीय भाषा में होगा जिसमें निम्नलिखित विवरण दिया जाएगा और इसकी वेबसाइट पर भी निम्नलिखित विवरण दिए जाएंगे :
- (क) आपूर्ति के क्षेत्र में वितरण लाइसेंसधारी का नाम और मुख्य कार्यालय का पता;
 - (ख) आयोग द्वारा किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन का विवरण;
 - (ग) प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन के संक्षिप्त कारण;
 - (घ) एक बयान कि कोई भी व्यक्ति, प्रस्तावित संशोधन के लिए कोई सुझाव या आपत्ति करने का इच्छुक है, नोटिस के पहले प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर सचिव को संबोधित लिखित याचिका दायर करके ऐसा कर सकता है।
- 67.7. प्रकाशन में उन कार्यालयों के पते दिए जाएंगे जहां संशोधन के लिए आवेदन का निरीक्षण किया जा सकता है और दस्तावेजों की प्रतियां खरीदी जा सकती हैं और यह सूचित किया जाएगा कि आयोग को आवेदन के संदर्भ में कोई भी प्रतिनिधित्व करने के इच्छुक प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी, उपयोगिता या व्यक्ति, ऐसे अधिकारी को संबोधित पत्र द्वारा ऐसा कर सकता है जिसे आयोग इस संबंध में नामित कर सकता है।
- 67.8. नोटिस के पहले प्रकाशन की तिथि से तीस (30) दिनों के अंदर प्राप्त प्रस्तावित संशोधन पर सभी आपत्तियों पर आयोग द्वारा प्रस्तावित संशोधन को प्रभावी या अस्वीकार करने से पहले विचार किया जाएगा।
- 67.9. जब तक आयोग द्वारा अन्यथा लिखित रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, लाइसेंस के संशोधन के लिए एक आवेदन को स्वीकार करने के दौरान लाइसेंस के प्रदान करने के लिए इन विनियमों में निर्दिष्ट प्रक्रिया, जहां तक इसे लागू किया जा सकता है, का पालन किया जाएगा।

67.10. वितरण के क्षेत्र के संबंध में परिवर्तन या संशोधन का प्रस्ताव करने वाले आवेदन के मामले में, जिसमें रक्षा उद्देश्य के लिए सरकार के कब्जे में किसी भी छावनी, हवाई अड्डे, जंगलों, डॉकयार्ड या शिविर या किसी भवन या स्थान का पूरा या कोई हिस्सा शामिल है, केंद्र सरकार की सहमति के बिना आयोग कोई बदलाव या संशोधन नहीं करेगा।

68. आपूर्ति की आदर्श शर्तें

68.1. लाइसेंसधारी जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के लिए जेईआरसी व्यापार संचालन विनियमों और किए गए संशोधनों के अनुसार आपूर्ति की मॉडल स्थिति का पालन करेगा।

69. वितरण लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन

69.1. लाइसेंस के नियमों या शर्तों, लागू कानून के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन या संभावित उल्लंघन के लिए, आयोग अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियम या विनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार आदेश पारित कर सकता है।

69.2. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, आयोग एक लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन या संभावित उल्लंघन से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही से निपटने के लिए इन विनियमों में निर्देशित सामान्य प्रक्रिया का यथासंभव पालन कर सकता है।

70. लाइसेंस से छूट प्रदान करना

70.1. लाइसेंस से छूट इस तरीके से दी जाएगी जो लागू कानून के प्रावधानों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप हो।

71. वितरण लाइसेंस को रद्द करना

71.1. लाइसेंस को रद्द करने या किसी अन्य आदेश को पारित करने के लिए अधिनियम की धारा 19 में उल्लेखित कार्यवाही आयोग द्वारा पारित एक आदेश द्वारा शुरू की जाएगी, जिसे आयोग स्वतः या लाइसेंसधारी के आवेदन पर या किसी व्यक्ति से कोई शिकायत या जानकारी प्राप्त होने पर शुरू कर सकता है।

71.2. प्रक्रिया और निरस्तीकरण का तरीका अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

71.3. अधिनियम के प्रावधानों और उसमें निहित प्रक्रिया के अधीन, लाइसेंस के निरसन पर आयोग द्वारा जांच, जहां तक यह लागू है, ऊपर विनियम 15 में निर्धारित तरीके से ही होगी।

71.4. एक लाइसेंसधारी स्वयं अपने लाइसेंस के निरसन या आंशिक निरसन के लिए आवेदन करने या सहमति देने के लिए आयोग को आवेदन कर सकता है। आयोग ऐसे आवेदनों पर लाइसेंसधारी और ऐसे अन्य व्यक्तियों, जिन्हें वह उचित समझे, को सुनने के बाद आदेश पारित करेगा।

71.5. लाइसेंसधारी या किसी व्यक्ति द्वारा लाइसेंस रद्द करने के लिए आवेदन के साथ आयोग द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क देना होगा।

71.6. जब तक अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है, वितरण लाइसेंस के निरसन के लिए देय शुल्क, जम्मू और कश्मीर के यूटी और लद्दाख के यूटी के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और शुल्क विनियम और इसके बाद के संशोधन के अनुसार होगा;

72. वितरण लाइसेंस और उपयोगिता की बिक्री का निलंबन

72.1. यदि किसी भी समय आयोग की राय में जनहित में यह आवश्यक है, तो आयोग, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अधिनियम की धारा 24 में दिए गए परिस्थितियों, तरीके और प्रपत्र में वितरण लाइसेंसधारी के लाइसेंस को निलंबित कर सकता है।

73. लाइसेंसधारी के विद्युत क्रय के विनियम :

- 73.1. लाइसेंसधारी आयोग के पास लाइसेंसधारी द्वारा पहले से किए गए सभी बिजली खरीद समझौतों की प्रतियों को पूर्ण रूप से फाइल करेगा।
- 73.2. आयोग को यह निर्देश देने का अधिकार होगा कि लाइसेंसधारी आयोग की संतुष्टि करेगा कि लाइसेंसधारी द्वारा बिजली की खरीद एक पारदर्शी बिजली खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत है और किफायती है और लाइसेंसधारी को अपनी सेवा पूरी करने के लिए बिजली की आवश्यकता है।
- 73.3. लाइसेंसधारी, लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तावित बिजली खरीद समझौते के मसौदे को मंजूरी देने के लिए आयोग को आवेदन करेगा। आयोग निम्न आदेश पारित कर सकता है :
- समझौते को मंजूरी; या
 - समझौते की शर्तों में प्रस्तावित संशोधनों के साथ समझौते को मंजूरी देना;
 - समझौते को खारिज करना।
- 73.4. इन नियमों में निहित कुछ भी उत्पादन कंपनियों, बिजली व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से बिजली की खरीद, आयात या अधिग्रहण के लिए मौजूदा अनुबंधों और व्यवस्थाओं के अंतर्गत वितरण लाइसेंसधारी के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा, जिनके साथ लाइसेंसधारी ने बिजली खरीद या ऊर्जा की खरीद के समझौते या व्यवस्थाएं जो ऐसे समझौतों और व्यवस्थाओं के नियमों और शर्तों के अनुसार आयोग द्वारा सहमति या अनुमोदन से की हैं।
- 73.5. उपरोक्त उप-विनियम (ii) और (iii) के प्रावधान या उसमें की गई कोई भी कार्रवाई किसी भी तरह से, लागू कानून के किसी भी अन्य प्रावधानों के अंतर्गत आयोग के कार्यों और शक्तियों के प्रयोग तथा समय-समय पर जारी किये गए आदेशों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगी।

74. प्रदर्शन के मानक

- 74.1. आयोग, वितरण लाइसेंसधारियों और प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के साथ परामर्श के बाद, लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के एक वर्ग के प्रदर्शन के मानकों को निर्दिष्ट कर सकता है, जो उसकी राय में, ऐसे लाइसेंसधारियों द्वारा प्राप्य हैं और प्राप्त किए जाने चाहिए, और विभिन्न लाइसेंसधारियों के लिए अलग-अलग मानक हो सकते हैं, जिन्हें आयोग ऐसे प्रारूप या तरीके से प्रकसित कर सकता है जिसे आयोग उचित समझता है।

75. लाइसेंस फीस का भुगतान

- 75.1. आयोग बिजली के वितरण का व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस या छूट प्रदान करते समय या किसी भी व्यक्ति को कोई विशेषाधिकार प्रदान करने वाला कोई अन्य आदेश दे सकता है और लाइसेंस या विशेषाधिकार प्रदान करते समय और उसके बाद, प्रत्येक वर्ष के लिए जब तक लाइसेंस लागू रहता है, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और प्रभार विनियम और इसके बाद के संशोधन के अनुसार देय शुल्क लगा सकता है और एकत्र कर सकता है, लाइसेंसधारी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश के लिए जेईआरसी शुल्क, जुर्माना और प्रभार विनियम और इसके बाद के संशोधन के अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
- 75.2. इन विनियमों के अंतर्गत देय शुल्क का भुगतान बैंक ड्राफ्ट या भुगतान आदेश के माध्यम से किया जाएगा, जो सचिव, जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग, अंबेडकर रोड, पनामा चौक जम्मू, जम्मू और कश्मीर के पक्ष में तैयार किया जाएगा।

- 75.3. इन नियमों के अंतर्गत आयोग के सचिव द्वारा प्राप्त शुल्क आयोग द्वारा बनाए जाने वाले बैंक खाते में ऐसे बैंक और ऐसी शाखाओं में जमा किया जाएगा, जैसा कि आयोग समय-समय पर निर्देशित कर सकता है या संबंधित मद के अंतर्गत सरकारी खाते में जमा किया जा सकता है।

अध्याय VI

वितरण लाइसेंस की सामान्य शर्तें

76. अनुरोध पर बिजली की आपूर्ति करने

- 76.1. अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, वितरण लाइसेंसधारी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति कोड विनियमों और शंसोधनों की आवश्यकताओं, आयोग के निर्देशों और आदेशों की अनुपालन करेगा।

77. मीटर लगाना

- 77.1. वितरण लाइसेंसधारी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के विद्युत आपूर्ति कोड विनियमों और शंसोधनों की आवश्यकताओं, आयोग के निर्देशों और आदेशों की अनुपालन करेगा।

78. जुर्माना और शुल्क लगाने और वसूलने की प्रक्रिया

- 78.1. यदि किसी कार्यवाही के निष्कर्ष पर, आयोग संतुष्ट है कि कोई व्यक्ति जुर्माना या प्रभारों के लिए उत्तरदायी है, तो यह लिखित आदेश द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इस तरह का जुर्माना या शुल्क लगा सकता है, और और मुआवजा भी प्रदान कर सकता है।

- 78.2. जुर्माने या शुल्क की मात्रा का निर्धारण करते समय, आयोग अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा :

- (क) गैर-अनुपालन या उल्लंघन की प्रकृति और सीमा;
- (ख) गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप प्राप्त गलत लाभ या अनुचित लाभ;
- (ग) गैर-अनुपालन या उल्लंघन के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति (व्यक्तियों) को हुई हानि या उत्पीड़न का स्तर, और
- (घ) गैर-अनुपालन या उल्लंघन के दोहराव की प्रकृति।

- 78.3. इस विनियम के अंतर्गत एक आदेश पारित करते समय, आयोग शिकायतकर्ता या प्रभावित पक्ष को उस उल्लंघन करने वाले व्यादती लसे मुआवजा दिलवा सकता है।

- 78.4. आयोग उस अवधि के लिए निर्देश दे सकता है जिसके अंदर संबंधित व्यक्ति द्वारा जुर्माना, शुल्क या मुआवजा भुगतान किया जाना चाहिए,

- 78.5. आयोग केंद्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार जुर्माना और शुल्क एकत्र करने के लिए एक अधिकारी को नामित कर सकता है।

79. ओपन एक्सेस

- 79.1. वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत आयोग द्वारा जारी ओपन एक्सेस विनियमों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को अपनी वितरण प्रणाली के लिए गैर-भेदभावपूर्ण खुली पहुंच के प्रावधान की व्यवस्था करेगा।

80. वितरण लाइसेंसधारी के अन्य व्यवसाय

- 80.1. वितरण लाइसेंसधारी जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समय समय पर शंसोधित वितरण लाइसेंसधारी के अन्य विद्युत व्यवसायविनयमों के अनुसार अन्य व्यवसाय के लिए आयोग के अनुमोदन के लिए एक आवेदन दायर करेगा;
- 80.2. जहां वितरण लाइसेंसधारी किसी अन्य व्यवसाय में लगा हुआ है, ऐसे व्यवसाय से आय की गणना जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समय समय पर शंसोधित वितरण लाइसेंसधारी के अन्य विद्युत व्यवसाय विनयमों के अनुसार की जाएगी और लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता से घटाया जाएगा :
- 80.3. बशर्ते कि लाइसेंसधारी वितरण व्यवसाय और अन्य व्यवसाय के बीच सभी संयुक्त और सामान्य लागतों के आवंटन के लिए एक उचित आधार का पालन करेगा और जम्मू और कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समय समय पर शंसोधित वितरण लाइसेंसधारी के अन्य विद्युत व्यवसाय विनयमों के अनुसार लेखा विवरण तैयार करेगा और टैरिफ निर्धारण के लिए अपने आवेदन के साथ आयोग को प्रस्तुत करेगा।
- 80.4. बशर्ते कि जहां ऐसे अन्य व्यवसाय की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लागत का कुल योग ऐसे अन्य व्यवसाय से प्राप्त राजस्व से अधिक हो, तो ऐसे अन्य व्यवसाय के कारण वितरण लाइसेंसधारी की कुल राजस्व आवश्यकता में कोई राशि जोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

81. फ्रेंचाइजी

- 81.1. वितरण लाइसेंसधारी अपनी किसी भी सहायक कंपनी या होल्डिंग कंपनी या ऐसी होल्डिंग कंपनी की सहायक कंपनी को लाइसेंस वाले व्यवसाय के संबंध में लाइसेंसधारी को कोई सामान या सेवाएं प्रदान करने के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त कर सकता है :
- (क) लेन-देन समीपता के आधार पर और ऐसे मूल्य पर होगा जो परिस्थितियों के अनुसार उचित हो;
- (ख) लेन-देन लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय के संबंध में वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान से संबंधित आयोग द्वारा बनाए गए किसी भी विनियम के अनुरूप होगा; और
- (ग) लाइसेंसधारी प्रस्तावित व्यवस्था के शुरू होने से पहले आयोग को पंद्रह (15) दिनों का नोटिस देगा और नोटिस के साथ व्यवस्था के सभी प्रासंगिक विवरण प्रदान करेगा।
- 81.2. लाइसेंसधारी सहायक कंपनियों की स्थापना कर सकता है या संबद्ध कंपनियों की स्थापना कर सकता है या फ्रेंचाइजी प्रदान कर सकता है या प्रबंधन अनुबंधों में प्रवेश कर सकता है जिसमें उन कार्यों को करने या संचालन के लिए बिलिंग एजेंट की नियुक्ति शामिल है, जिन्हें करने के लिए लाइसेंसधारी अधिनियमों और इस लाइसेंस के अंतर्गत अधिकृत है। बशर्ते कि :
- (घ) ऐसी कोई भी सहायक या संबद्ध कंपनी या फ्रेंचाइजी या ठेकेदार या एजेंट लाइसेंसधारी के समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण के अंतर्गत और इस लाइसेंस की शर्तों पर काम करेंगे; और
- (ङ) लाइसेंसधारी, ऐसी किसी भी सहायक या संबद्ध कंपनी या फ्रेंचाइजी या ठेकेदार को किसी भी कार्य को सौंपने से पहले, प्रति वर्ष 100 लाख रुपये से अधिक मूल्य के लेनदेन के लिए आयोग को सूचित करेगा, जो ऐसी शर्तों के अधीन जो आयोग निर्धारित कर सकता है ;
- (च) लाइसेंसधारी सहयोगी या संबद्ध कंपनियों या फ्रेंचाइजी या एजेंटों या ठेकेदारों के सभी कार्यों के लिए भी जिम्मेदार होगा और लाइसेंसधारी की संतुष्टि के अनुसार उनका प्रदर्शन नहीं होने की स्थिति में व्यवस्था को समाप्त कर सकता है।

- 81.3. जहां ऐसी पूर्व अनुमति की आवश्यकता है, लाइसेंसधारी प्रासंगिक तथ्यों को प्रकट करते हुए आयोग को एक उपयुक्त आवेदन दाखिल करेगा। आयोग आवेदन दाखिल करने के तीस (30) दिनों के अंदर आवेदन के समर्थन में और अधिक जानकारी मांग सकता है। आयोग आम तौर पर लाइसेंसधारी द्वारा इस तरह की और जानकारी प्रस्तुत करने के तीस (30) दिनों के अंदर, और जहां आयोग द्वारा ऐसी कोई और जानकारी नहीं मांगी जाती है, आम तौर पर आवेदन दाखिल करने के साठ (60) दिनों के अंदर अनुमति देता है जो आयोग की शर्तों या परिवर्तनों के अधीन होगा जैसा की आयोग उचित समझता है या इसे अस्वीकार कर सकता है, जिसके लिए आयोग द्वारा लिखित में कारण बताया जाएगा।
- 81.4. लाइसेंसधारी इस लाइसेंस या इस लाइसेंस के अंतर्गत किसी भी कार्य को किसी अन्य व्यक्ति को केवल आयोग की पूर्व स्वीकृति के साथ स्थानान्तरित करने या सौंपने का हकदार होगा। उपरोक्तानुसार आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए, लाइसेंसधारी इस संबंध में प्रासंगिक तथ्यों को प्रकट करते हुए आयोग के पास एक उपयुक्त आवेदन दाखिल करेगा और आयोग ऐसे आवेदन का शीघ्र निपटान करेगा।
- 82. उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम की स्थापना**
- 82.1. वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 42 के अधीन समय-समय पर आयोग द्वारा जारी विनियमों के अनुसार उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए एक फोरम की स्थापना करेगा।
- 83. रेलवे, राजमार्ग आदि का संरक्षण।**
- 83.1. वितरण लाइसेंसधारी बिजली के वितरण, आपूर्ति या उपयोग के दौरान किसी भी तरह से किसी भी रेलवे, राजमार्ग, हवाई अड्डे, ट्रामवे, नहर या जलमार्ग या किसी डॉक, घाट या ढांचे को क्षतिग्रस्त नहीं करेगा जो स्थानीय प्राधिकरण के नियंत्रण में हो सकता है, या किसी भी तरह से किसी भी रेलवे, एयरवे, ट्रामवे, नहर या जल मार्ग को बाधित नहीं करेगा।
- 83.2. वितरण लाइसेंसधारी अपनी विद्युत लाइनों, विद्युत संयंत्र और अन्य कार्यों के निर्माण, विद्युत और लगाने में और अपनी प्रणाली के काम में सभी उचित सावधानी बरतेंगे, ताकि किसी भी तार के काम को, चाहे चुम्बकीय प्रभाव द्वारा या अन्यथा, टेलीफोन या इलेक्ट्रिक सिग्नलिंग संचार के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली लाइन, या ऐसे तार या लाइन को हानिकारक रूप से प्रभावित न हो।
- 83.3. जहां वितरण लाइसेंसधारी इस खंड की आवश्यकताओं के अनुपालन में चूक करता है, वह किसी भी टॉस या उसके कारण हुई क्षति के लिए पूर्ण मुआवजे का भुगतान करेगा, और जहां इस तरह के मुआवजे की राशि के रूप में कोई मतभेद या विवाद उत्पन्न होता है, मामला अधिनियम की धारा 158 के अनुसार आयोजित मध्यस्थता द्वारा निपटाया जाना चाहिए।
- 84. प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला व्यापार संचालन**
- 84.1. प्रत्येक लाइसेंसधारी ऐसे समझौते में प्रवेश नहीं करेगा या अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग नहीं करेगा या किसी भी संयोजन में प्रवेश नहीं करेगा जिससे बिजली के वितरण में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है या हो सकता है।
- 85. राज्य प्रसारण उपयोगिता, स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और अन्य लाइसेंसधारियों के साथ सहयोग**
- 85.1. वितरण लाइसेंसधारी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर और राज्य प्रसारण उपयोगिता और/या अन्य लाइसेंसधारियों को ऐसी जानकारी प्रदान करेगा जो उनके द्वारा अधिनियम और/या शंसोधन अधिनियम के अंतर्गत अपने कार्यों को करने और अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो सकती है।
- 85.2. वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम और/या शंसोधन अधिनियम के अंतर्गत जारी स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर और राज्य प्रसारण उपयोगिता के निर्देशों का हमेशा पालन करेगा।

85.3. वितरण लाइसेन्सधारी विद्युत प्रणाली के कुशल एवं समन्वित संचालन के लिए उत्पादन कंपनियों, अन्य लाइसेन्सधारियों तथा स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर के साथ सहयोग करेगा।

86. निवेश

86.1. वितरण लाइसेंसधारी केंद्र शासित प्रदेशों में एक कुशल, समन्वित और किफायती वितरण प्रणाली के निर्माण, रखरखाव और संचालन के कर्तव्य द्वारा निर्देशित विवेकपूर्ण तरीके से निवेश करेगा।

86.2. वितरण लाइसेंसधारी संयुक्त विद्युत नियामक आयोग उत्पादन, प्रसारण और वितरण बहुवर्षीय टैरिफ विनियमों और समय-समय पर संशोधित दिशा-निर्देशों, निर्देशों और आदेशों का विधिवत पालन करेगा, जो वितरण व्यवसाय में निवेश किए जाने के संबंध में आयोग समय-समय पर जारी कर सकता है।

87. सामग्री/उपकरण/सेवाओं की खरीद

87.1. वितरण लाइसेंसधारी सभी सामग्री/उपकरणों की खरीद करेगा या केवल पारदर्शी प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बिजली खरीद सहित सेवाओं का लाभ उठाने के लिए कोई अनुबंध निष्पादित करेगा।

88. अपेक्षित राजस्व और शुल्क जमा करना

88.1. लाइसेंसधारी प्रभारों से अपेक्षित राजस्व का विवरण दाखिल करते समय और इसके किसी या सभी टैरिफों को प्रस्तावित या संशोधित करने के लिए टैरिफ विनियमों में शामिल पद्धति, प्रक्रियाओं और अन्य निर्देशों का पालन करेगा।

88.2. लाइसेंसधारी को किसी भी वित्तीय वर्ष में अपने टैरिफ से वसूल करने की अनुमति दी गई राशि वह राशि है जो आयोग वित्तीय सिद्धांतों और विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 62 के प्रावधानों के अनुसार उनके प्रयोगों के अनुसार निर्धारित करता है, जो कि लाइसेंसधारी को वाजिब रिटर्न कमाने का अवसर प्रदान करता है।

88.3. लाइसेंसधारी, लाइसेंसधारी के वितरण व्यवसाय के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित टैरिफ को निर्धारित करेगा और इस लाइसेंस, विनियमों, आयोग के आदेशों और समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित अन्य आवश्यकताओं के अनुसार अपने शुल्कों की गणना करेगा।

88.4. लाइसेंसधारी बिजली के अपने वितरण के लिए एक टैरिफ प्रकाशित करेगा जिसमें उपरोक्त खंड (88. 3) में संदर्भित या आयोग द्वारा निर्देशित अनुमोदित टैरिफ में निहित टैरिफ शुल्क और अन्य नियम और शर्तें शामिल होंगी।

88.5. लाइसेंसधारी अधिनियम और आयोग के लागू विनियमों और निर्देशों के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा।

88.6. लाइसेंसधारी अधिनियम के अनुसार अपने टैरिफ में संशोधन करने के लिए आयोग को आवेदन करेगा यदि आयोग द्वारा चिन्हित किए गए किसी भी अनुचित भेदभाव को दूर करने के लिए आयोग को इसकी आवश्यकता है।

89. लेखा और लेखा परीक्षा

89.1. प्रत्येक वितरण लाइसेन्सधारी प्रत्येक वर्ष मार्च के इकतीसवें (31) दिन तक अपनी उपयोगिता का लेखा-जोखा बनवाएगा।

89.2. वितरण लाइसेंसधारी :

(क) लाइसेंस प्राप्त व्यवसाय और किसी अन्य व्यवसाय के लिए अलग-अलग जानकारी और खातों का विवरण बनाए रखेगा,

बशर्ते, कि लाइसेंसधारी अपने लाइसेंस वाले व्यवसाय के लिए अलग-अलग खाते और कंपनी के खाते को समग्र रूप से प्रस्तुत करेगा।

- (ख) खातों के विवरण को ऐसे रूप में बनाए रखेगा और ऐसे विवरण शामिल करेगा जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं और जब तक ये आयोग द्वारा निर्दिष्ट किए जाते हैं, खातों को समय-समय पर संशोधित कंपनी अधिनियम, 1956, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार बनाए रखा जाएगा, जहां ऐसा अधिनियम लागू होता है;
- (ग) इस तरह के लेखों से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए एक लेखांकन विवरण तैयार करेगा जिसमें टिप्पणियों सहित लाभ और हानि खाता, एक बैलेंस शीट और स्रोत का विवरण और धन के प्रयोगका विवरण शामिल होगा और किसी भी राजस्व, लागत, संपत्ति, देनदारी, रिजर्व या प्रावधान का विवरण प्रस्तुत करेगा जो या तो :
- किसी अन्य व्यवसाय से या उस शुल्क के आधार के विवरण के साथ प्रभारित होगा या;
 - विभाजन या आवंटन के आधार के विवरण के साथ विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों के बीच विभाजन या आवंटन द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
- (घ) प्रत्येक वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षकों द्वारा पूर्वगामी खंडों के अनुसार तैयार किए गए लेखा विवरणों के संबंध में एक रिपोर्ट प्रदान करेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि क्या उनकी राय में विवरण ठीक से तैयार किए गए हैं और राजस्व का सही और निष्पक्ष विवरण प्रस्तुत करते हैं, लागत, संपत्ति और देनदारियां, उस व्यवसाय के लिए यथोचित रूप से जिम्मेदार हैं, जिससे बयान संबंधित हैं, और
- (ङ) वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्वोक्त तिथि से छह (6) महीने की अवधि के अंदर या आयोग द्वारा यह संतुष्ट होने के बाद कि दिया गया समय लाइसेंसधारी के नियंत्रण से परे किसी भी कारण से अपर्याप्त है, बढ़ाई गई ऐसी विस्तारित अवधि के अंदर अपने लेखा परीक्षित खातों का वार्षिक विवरण तैयार करेगा और आयोग को प्रस्तुत करेगा और आयोग द्वारा निर्देशित प्रतियों की संख्या में विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।
- (च) खाते ऐसे प्रारूपों में बनाए जाएंगे जो आयोग समय-समय पर निर्देश दे सकता है। सभी प्रपत्रों पर वितरण लाइसेंसधारी या उसके प्रत्यायित और विधिवत प्राधिकृत एजेंट या प्रबंधक के हस्ताक्षर होने चाहिए।
- 89.3. (छ) आयोग विशेष या सामान्य आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकता है कि उपरोक्त खंड 49. 2 (च) में निर्देशित प्रपत्रों में खातों के वार्षिक विवरण प्रस्तुत करने के अलावा, एक वितरण लाइसेंसधारी ऐसी अतिरिक्त जानकारी जो इस उद्देश्य के लिए आवश्यक हो सकती है आयोग या ऐसे अन्य प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। जैसा कि यह इस संबंध में आयोग निर्दिष्ट कर सकता है
- 89.4. आयोग द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति वितरण लाइसेंसधारी के खातों का निरीक्षण और सत्यापन करने का हकदार होगा और वितरण लाइसेंसधारी ऐसे व्यक्ति को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करेगा।
- 89.5. बशर्ते, आगे, यदि आयोग उचित समझे तो वह भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) सहित किसी भी स्वतंत्र एजेंसी से वितरण लाइसेंसधारी के खातों का स्वतंत्र ऑडिट करवा सकता है।
- 89.6. वितरण लाइसेंसधारी पिछले वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरणों की तैयारी के संबंध में प्रभार या विभाजन या राजस्व या व्यय के आवंटन के आधार को आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना परिवर्तित नहीं करेगा;
- बशर्ते कि वित्तीय वर्ष के दौरान जब एक वितरण लाइसेंसधारी अपने लेखांकन विवरणों में शुल्क या विभाजन या आवंटन के आधार को तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के लिए अपनाए गए आधारों में बदल देता है, तो आयोग वितरण लाइसेंसधारी को पिछले आधार पर इस तरह के लेखांकन विवरणों को तैयार करने का निर्देश दे सकता है और इसके अलावा उस आधार पर भी लेखांकन विवरण तैयार करने के का निर्देश दे सकता है जो उसने अपनाया है।
- 89.7. यदि वितरण लाइसेंसधारी अपनी संपत्ति के इष्टतम उपयोग के लिए कोई अन्य व्यवसाय कर रहा है, तो वह संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के समय-समय पर संशोधित वितरण लाइसेंसधारियों के अन्य व्यवसाय विनियम के अनुसार इस तरह के लेखा रिकॉर्ड से अन्य व्यवसाय के लिए लेखांकन विवरण तैयार करेगा और आयोग को वितरित करेगा।

89.8. वितरण लाइसेन्सधारी यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखांकन विवरण और प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट यहां ऊपर वर्णित तरीके से प्रचारित की जाती है, जैसा कि आयोग निर्देशित कर सकता है, और उन्हें अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी कीमत पर जो उनकी प्रतिलिपि करने की उचित लागत से अधिक न हो, या ऐसी कीमत पर जो आयोग द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है, उपलब्ध कराएगा।

90. सब्सिडी पर प्रतिबंध

90.1. वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम की धारा 65 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश सरकार द्वारा दी गई सब्सिडी को छोड़कर वितरण लाइसेंसधारी के किसी भी व्यक्ति या किसी अन्य व्यवसाय को कोई सब्सिडी या वित्तीय सहायता नहीं देगा।

91. आयोग और अन्य हितधारकों को सूचना का प्रावधान

91.1. लाइसेंसधारी लाइसेंस की इन शर्तों के लागू होने से साठ (60) दिनों के अंदर संलग्न प्रारूपों में लाइसेंसधारी के लिए लागू होने वाली सभी जानकारी प्रदान करेगा। इसके बाद, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के पूरा होने के एक महीने के अंदर, लाइसेंसधारियों द्वारा सभी प्रारूपों को वार्षिक रूप से भरकर प्रस्तुत किया जाएगा।

91.2. वितरण लाइसेन्सधारी बिना किसी अनुचित विलम्ब के आयोग को ऐसी सूचना, दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत करेगा जो अनुज्ञप्त व्यवसाय या लाइसेन्सधारी के किसी अन्य व्यवसाय से संबंधित है, जो लाइसेन्सधारी व्यवसाय की संपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए काम कर रहे हैं, जैसा कि आयोग को अपने स्वयं के प्रयोजनों के लिए या भारत सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय आयोग, और/या केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, राज्य प्रसारण उपयोगिता और राज्य भार प्रेषण केंद्र के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर आवश्यकता हो सकती है।

91.3. वितरण लाइसेन्सधारी समय-समय पर संशोधित आयोग द्वारा अधिसूचित वितरण लाइसेन्सधारी विनियमों के निष्पादन के मानकों में विनिर्दिष्ट निष्पादन के मानकों के कार्यान्वयन पर सूचना प्रस्तुत करेगा।

91.4. वितरण लाइसेन्सधारी किसी बड़ी घटना या दुर्घटना के घटित होने पर ऐसी घटना के बारे में आयोग को सूचित करेगा जैसा कि विद्युत आपूर्ति संहिता और आयोग द्वारा अधिसूचित और समय-समय पर संशोधित वितरण लाइसेन्सधारी विनियमों के निष्पादन के मानकों में प्रावधान है।

91.5. वितरण लाइसेन्सधारी अपने वितरण व्यवसाय में सुधार तथा वितरण व्यवसाय से संबंधित किसी भी अन्य मामले के लिए आयोग द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किए जाने वाले अध्ययन भी करेगा।

91.6. वितरण लाइसेंसधारी किसी भी ऐसी घटना के बारे में आयोग को विधिवत सूचित करेगा जो इसे अपने लाइसेंस के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में बाधा डालती है, जिसमें आयोग या दूसरों द्वारा आयोग के किसी भी कार्य और ऐसी घटना के प्रभाव को कम करने के लिए लाइसेंसधारी द्वारा उठाए गए कदम शामिल हैं।

91.7. आयोग किसी भी समय लाइसेंसधारी को खंड (91. 3) से (91. 5) के प्रावधानों का पालन करने के लिए कह सकता है, जो कि आयोग विशेष रूप से निर्देशित कर सकता है और लाइसेंसधारी उसके अनुपालन के लिए बाध्य होगा, भले ही ऐसी घटनाएं प्रमुख घटनाएं न हों; बशर्ते कि खंड (91. 3) में निर्दिष्ट समय सीमा उस तिथि से शुरू होगी जिसे आयोग लाइसेंसधारी को ऐसी आवश्यकता के बारे में सूचित करता है।

91.8. लाइसेंसधारी समय-समय पर आयोग द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर हितधारकों/उपभोक्ताओं/उपभोक्ता संघों/उपभोक्ता निकायों आदि द्वारा आवश्यक सामग्री के रूप में उपलब्ध विवरण/डेटा/दस्तावेज प्रदान करेगा। यदि आयोग द्वारा कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की जाती है तो लाइसेंसधारी अनुरोध की तिथि से अधिकतम तीस (30) दिनों की अवधि के अंदर इसे प्रदान करेगा।

92. वितरण लाइसेंसधारी के लिए वर्जित कार्य

- 92.1. कोई भी लाइसेंसधारी, आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, निम्नलिखित कार्य नहीं करेगा :
- (क) खरीद या अधिग्रहण के माध्यम से या अन्यथा, किसी अन्य लाइसेंसधारी की किसी भी उपयोगिता का अधिग्रहण करने के लिए कोई लेनदेन; या
- (ख) उसकी उपयोगिता को किसी अन्य लाइसेंसधारी की अन्य उपयोगिता के साथ विलय करना।
- 92.2. लाइसेंसधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना बिक्री, पट्टे, विनिमय या अन्यथा के माध्यम से अपनी उपयोगिता या लाइसेंस या उसके हिस्से को नहीं सौंपगा या स्थानांतरित नहीं करेगा।
- 92.3. उपरोक्त खंड (92. 1) से (92. 2) के अंतर्गत अनुमोदन प्राप्त करने से पहले, एक लाइसेंसधारी हर दूसरे लाइसेंसधारी को कम से कम एक (1) महीने का नोटिस देगा, जो ऐसे लाइसेंसधारी के क्षेत्र में बिजली वितरित करता है, जो इस तरह के अनुमोदन के लिए आयोग को आवेदन करता है।
- 92.4. उपरोक्त खंड (92. 1) से (92. 3) के संबंध में लाइसेंसधारी द्वारा किया गया कोई भी समझौता तब तक अमान्य होगा यदि आयोग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की जाती।
- 92.5. जहां इस तरह की अनुमति की आवश्यकता होती है, लाइसेंसधारी आयोग के पास विधिवत सभी प्रासंगिक जानकारी प्रस्तुत करते हुए एक आवेदन दाखिल करेगा। आयोग, इस तरह के आवेदन की प्राप्ति के तीस (30) दिनों के अंदर, नियमों और शर्तों के अधीन आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकता है, या ऐसी अस्वीकृति के समर्थन में लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से आवेदन को अस्वीकार कर सकता है।
- 92.6. वितरण लाइसेंसधारी, विनियम 37 के प्रावधान के अनुसार आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना, विद्युत के वितरण के अलावा किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रणाली की परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं करेगा।

93. प्रमुख घटनाएं

- 93.1. वितरण लाइसेंसधारी, वितरण लाइसेंसधारी के क्षेत्र में हुई किसी भी बड़ी घटना की सूचना आयोग को देगा। वितरण प्रणाली के किसी भी हिस्से में मानक परिचालन स्थिति से विचलन, जो जनरेटर की प्रणाली, प्रसारण प्रणाली या अतिरिक्त उच्च वोल्टेज उपभोक्ताओं की प्रणाली में सीमा पार प्रभाव के कारण हो सकती है, जिसके परिणामस्वरूप उपकरण या जीवन, एक व्यक्ति या जानवर, की हानि हुई है, एक बड़ी घटना मानी जाएगी। लाइसेंसधारी निम्न कार्य भी करेगा :
- (क) घटनाओं, कारणों और समग्र बिजली व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव के तथ्यों को प्रदान करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। (जिसमें कुल बिजली प्रणाली में प्रसारण प्रणाली, उत्पादन इकाइयां, वितरण प्रणाली और ईएचटी उपभोक्ताओं की प्रणालियां शामिल हैं)।
- (ख) लाइसेंसधारी के प्रमुख घटना के विश्लेषण और ऐसी बड़ी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक उपाय करने के सुझावों के साथ एक नोट प्रस्तुत करेगा।
- (ग) लाइसेंसधारी तुरंत संभावित तिथि पर और किसी भी मामले में इस तरह की बड़ी घटना की तिथि से दो (2) महीने के अंदर :
- i. घटना और उसके कारण के बारे में लाइसेंसधारी के संज्ञान में तथ्यों का पूरा विवरण देते हुए आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

- ii. यदि उप-खंड (क) के अंतर्गत रिपोर्ट के मामले में प्रमुख घटना की तिथि से पंद्रह (15) दिनों से अधिक समय लगने की संभावना है, तो लाइसेंसधारी घटना की ऐसी तिथि से पंद्रह (15) दिनों के अंदर एक प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा जिसमें इस तरह के विवरण दिया जायेगा जो लाइसेंसधारी यथोचित रूप से प्रस्तुत कर सकता है और कारण बता सकता है कि ऐसी घटना की पूरी रिपोर्ट देने के लिए लाइसेंसधारी को पंद्रह (15) दिनों से अधिक की आवश्यकता क्यों है।
 - iii. रिपोर्ट की प्रतियां स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी, राज्य सरकार और मुख्य विद्युत निरीक्षणालय आदि को भेजेगा।
- 93.2. एक बड़ी घटना के मामले में आयोग एक स्वतंत्र व्यक्ति को जांच करने और उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकता है। आयोग रिपोर्ट और सभी स्रोतों से प्राप्त जानकारी का विश्लेषण कर सकता है और यह तय करेगा कि कोई बड़ी घटना अप्रत्याशित घटना है या इसके कारण हुई है या लाइसेंस की शर्तों या ग्रिड कोड के प्रावधानों या अधिनियम के प्रावधानों या अधिनियम के अंतर्गत नियमों और विनियमों के उल्लंघन के कारण हुई है।
- 93.3. आयोग निम्नलिखित निर्णय ले सकता है :
- (क) इस तरह की प्रमुख घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए समग्रविद्युत प्रणाली (वितरण लाइसेंसधारी सहित) के एक या एक से अधिक ऑपरेटरों (या मालिकों) द्वारा उठाए जाने वाले उपचारात्मक उपाय।
 - (ख) चूक के लिए जिम्मेदार एक या एक से अधिक व्यक्तियों पर लगाए जाने वाले दंडात्मक उपाय।
 - (ग) एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा [समग्र बिजली प्रणाली के एक भाग के मालिक (या ऑपरेटर) द्वारा समग्रविद्युत प्रणाली के दूसरे भाग के मालिक (या ऑपरेटर) को]।
- 93.4. आयोग प्रमुख घटना पर अपने विचार और निर्णय स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर को भेज सकता है,

अध्याय VII

वितरण लाइसेंस की तकनीकी शर्तें

94. बिजली की खरीद

- 94.1. वितरण लाइसेंसधारी अपने आपूर्ति क्षेत्र में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए बिजली की खरीद के लिए एक योजना तैयार करेगा और व्यवसाय योजना के एक भाग के रूप में ऐसी योजना आयोग को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा :
- बशर्ते आगे कि ऐसी बिजली खरीद योजना में बिजली खरीद के दीर्घकालिक, मध्यम अवधि और अल्पकालिक स्रोत शामिल हो सकते हैं।
- 94.2. लोड पूर्वानुमान, बिजली खरीद योजना और बिजली खरीद प्रक्रिया तैयार करने के संबंध में आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करने के बाद लाइसेंसधारी आयोग द्वारा अनुमोदित एक पारदर्शी खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत किफायती और कुशल तरीके से बिजली खरीदेगा।
95. कानूनों, नियमों और विनियमों का अनुपालन
- 95.1. वितरण लाइसेंसधारी अधिनियम के प्रावधानों, नियमों, विनियमों और समय-समय पर आयोग द्वारा जारी आदेशों और निर्देशों का पालन करेगा।

- 95.2. वितरण लाइसेंसधारी लाइसेंस में निर्दिष्ट इस सामान्य शर्तों के अनुसार कार्य करेगा, सिवाय इसके कि जहां लाइसेंसधारी को एक अलग आदेश के माध्यम से इन दिशानिर्देशों से किसी भी विचलन के लिए विशेष रूप से छूट दी गई हो या आयोग द्वारा अनुमति दी गई हो।
- 95.3. वितरण लाइसेंसधारी अपने कार्यों के निर्वहन में स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर एवं अन्य सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा जारी आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगा।
- 95.4. वितरण लाइसेंसधारी अपने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के संबंध में आयोग द्वारा अनुमोदित तथा समय-समय पर संशोधित निष्पादन विनियमों तथा विद्युत आपूर्ति संहिता के मानकों का पालन करेगा।

अध्याय - VIII

विविध

96. इन सामान्य शर्तों की व्याख्या और उनके नियमों और शर्तों के संबंध में उत्पन्न होने वाले सभी मुद्दे आयोग के निर्धारण के निर्णय के विषय होंगे और ऐसे मुद्दों पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।
97. आयोग, भाग ख के अध्याय 2 और भाग क के अध्याय 3 के अंतर्गत सामान्य शर्तों के अलावा, विशिष्ट प्रसारण लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों के वर्ग के लिए लागू विशिष्ट शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है और ऐसी शर्तों को ऐसे लाइसेंसधारी या लाइसेंसधारियों की श्रेणी के लिए लाइसेंस की शर्तों के रूप में माना जाएगा।
98. **आयोग को रिपोर्ट करना**
- 98.1. अनुज्ञप्तिधारी आयोग द्वारा समय-समय पर मांगी गई ऐसी रिपोर्ट, सूचना, डाटा प्रस्तुत करेगा।
99. **शेष**
- 99.1. इन विनियमों में कुछ भी आयोग की ऐसे निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति को सीमित या प्रभावित नहीं करेगा जो न्याय के उद्देश्य को पूरा करने या आयोग द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।
- 99.2. इन विनियमों में कुछ भी आयोग को अधिनियम के प्रावधान के अनुरूप ऐसी प्रक्रिया को अपनाने से नहीं रोकेगा, जो इन विनियमों के किसी भी प्रावधान से भिन्न हो, यदि आयोग लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से ऐसे मामले या मामलों के वर्ग से निपटने के लिए आवश्यक या समीचीन समझता है।
- 99.3. इन विनियमों में कुछ भी स्पष्ट रूप से या निहित रूप से आयोग को किसी भी मामले से निपटने या अधिनियम के अंतर्गत किसी भी शक्ति का प्रयोग करने से नहीं रोकता है जिसके लिए कोई विनियमन नहीं बनाया गया है।
100. **कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति**
- 100.1 यदि इन विनियमों के किसी भी प्रावधान को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो आयोग सामान्य या विशिष्ट आदेश द्वारा ऐसे प्रावधानों को अधिनियम, या संशोधन अधिनियम या उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, विनियमों या कोड के प्रावधानों के साथ असंगत बना सकता है, जो कठिनाइयों को दूर करने के उद्देश्य से आवश्यक या समीचीन प्रतीत होता है।
101. **संशोधन करने की शक्ति**
- 101.1. आयोग, किसी भी समय इन विनियमों में किसी भी प्रावधान को जोड़ सकता है, बदल सकता है, परिवर्तित कर सकता है और संशोधित कर सकता है।

आयोग के आदेश द्वारा

वी. के. धर, (जेकेएस) सचिव जेईआरसी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख

[विज्ञापन-III/4/असा./694/2022-23]

परिशिष्ट 1
प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पत्र

आवेदन संख्या.....

मामला संख्या..... (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत के प्रसारण के लिए लाइसेंस प्रदान करना :

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :

2. निगमन का प्रपत्र, यदि कोई हो :

3. पता :

4. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :

5. दूरभाष. :

6. फैक्स नं. :

7. ई-मेल आईडी :

8. निगमन/पंजीकरण का स्थान :

9. निगमन/पंजीकरण का वर्ष :

10. भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर आवेदक विद्युत का प्रसारण करने का प्रस्ताव रखता है :

11. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं :

(क) पंजीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र;

(ख) व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र;

(ग) मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन;

(घ) आवेदक या उसके प्रोमोटोर को प्रतिबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता का मूल मुख्तारनामा;

(ङ) आयकर पंजीकरण का विवरण;

(च) ड्राफ्ट लाइसेंस;

(छ) जम्मू और कश्मीर के लिए संयुक्त विद्युत नियामक आयोग के नियमन 5. 7 और लद्दाख के केंद्रशासित प्रदेश (प्रसारण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2023 में उल्लिखित सभी दस्तावेज

आवेदक की वित्तीय सूचना का विवरण

12. पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के लिए नेट वर्थ (प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित विनियम दर पर किए जाने वाले समतुल्य भारतीय रुपये में रूपांतरण) (लागू वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)

(दिन/माह/वर्ष)से(दिन/माह/वर्ष)	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनियम दर	समतुल्य भारतीय रुपए में

उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित लेखापरीक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

13. पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक टर्नओवर (भारतीय रुपये के समतुल्य - प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित विनियम दर पर रूपांतरण किया जाना है)। (लागू वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)

(दिन/माह/वर्ष)से (दिन/माह/वर्ष)	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनियम दर	समतुल्य भारतीय रुपए में

उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित लेखापरीक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

14. क्रेडिट रेटिंग का प्रमाण पत्र

15. 'मानक' उधार खाते का प्रमाण पत्र

16. यह प्रमाण पत्र कि आरबीआई ने आवेदक को 'विलफुल डिफॉल्टर' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।

17. उक्त क्रम सं. (10) और (11) के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची :

क्रम संख्या	दस्तावेज का नाम
(क)	
(ख)	

18. क) क्या आवेदक बिजली के प्रस्तावित प्रसारण का पूरी तरह से अपने बैलेंस शीट पर स्वयं वित्तपोषण करेगा

ख) यदि, हाँ, आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी

i. राशि :

ii. प्रतिशत :

19. यदि आवेदक इक्विटी के लिए किसी अन्य एजेंसी के साथ समझौता करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी एजेंसी का नाम और पता :

(क) अन्य एजेंसी के संदर्भ व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :

(ख) दूरभाष नंबर :

(ग) फैक्स नं. :

(घ) ई-मेल आईडी :

(ङ) अन्य एजेंसी से प्रस्तावित इक्विटी

i. राशि

ii. कुल इक्विटी का प्रतिशत :

iii. मुद्रा जिसमें इक्विटी प्रस्तावित है :

(च) इक्विटी भारीदारी के लिए आवेदक के साथ संबद्ध करने के लिए अन्य एजेंसी का सहमति पत्र संलग्न किया जाना है।

(छ) आवेदक और अन्य एजेंसी के बीच प्रस्तावित टाई-अप की प्रकृति।

20. प्रसारण गतिविधियों के लिए प्रस्तावित ऋण का विवरण :

(क) उधारदाताओं का विवरण :

(ख) विभिन्न उधारदाताओं से प्राप्त की जाने वाली राशि :

(ग) उपर्युक्त के समर्थन में उधारदाताओं के पत्र संलग्न किए जाएंगे।

21. आवेदक की क्षमता

(आवेदक को अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों और बिजली क्षेत्र में सामान्य रूप से और विशेष रूप से बिजली के प्रसारण के पिछले अनुभव का वर्णन करना आवश्यक है)

22. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता :

(आवेदक को इन विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं, आदि के रूप में प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे और विनियमों के संदर्भ में उनकी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।)

24. दृष्टिकोण और पद्धति :

(आवेदक को अपनी प्रसारण प्रणाली स्थापित करने और उसके द्वारा प्रस्तावित विद्युत के प्रसारण के व्यवसाय के संचालन के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली का वर्णन करना आवश्यक है। इसमें लाइसेंस प्रदान करने के बाद प्रथम वर्ष के दौरान विद्युत के प्रसारण के व्यापार के संचालन पर आवेदनकर्ता का विवरण और अगले पाँच वर्षों की भावी योजना का विवरण होना चाहिए)

24. आवेदक के भविष्य के व्यवसाय से संबंधित डेटा

क) बिजली के प्रसारण के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है और भविष्य में लोड की वृद्धि के लिए रखरखाव, संचालन, सुधार और विस्तार के लिए प्रस्तावित लाइसेंस के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था।

ख) अनुमानों के आधार की जानकारी देते हुए लागत, बिक्री, राजस्व और परियोजना वित्तपोषण के पांच साल के वार्षिक पूर्वानुमान।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावित लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

आवेदन संख्या।.....

मामला संख्या (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत के प्रसारण के लिए प्रस्तावित लाइसेंस प्रदान करना :

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का पूरा नाम :
2. आवेदक का पता :
3. आवेदन शुल्क (डीडी विवरण) :
4. पंजीकृत कार्यालय का पता :
5. स्थानीय कार्यालय का पता/प्रशासनिक कार्यालय का पता :
6. दूरभाष सं. :
7. फैक्स नं. :
8. ई-मेल आईडी :
9. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण :
10. निगमन का प्रपत्र, यदि कोई हो :
11. निगमन/पंजीकरण का स्थान :
12. निगमन/पंजीकरण का वर्ष :
13. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं :
 - (क) पंजीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र;
 - (ख) व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र;
 - (ग) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (विधिवत उल्लेख किया गया पावर ट्रांसमिशन व्यावसायिक गतिविधि में से एक है);
 - (घ) आवेदक या उसके प्रवर्तक को प्रतिबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता का मूल मुख्तारनामा;
 - (ङ) आयकर पंजीकरण का विवरण;
14. निदेशकों/सक्षम अधिकारियों के नाम और पते (यदि लागू हो तो विवरण दें) :
15. प्रमुख शेयरधारक/भागीदार/सदस्य : प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि :
16. भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर आवेदक प्रसारण करने का प्रस्ताव करता है (जरूरत पड़ने पर संलग्न मानचित्र का उल्लेख करते हुए सीमाओं का उल्लेख करना है) :
17. बिजली विवरण :
 - (क) बिजली की सोर्सिंग :
 - i. वोल्टेज :
 - ii. आपूर्ति का स्रोत (स्वयं का उत्पादन/दूसरों/डिस्कॉम से खरीद) :
 - iii. पिछले 12 महीनों में हैंडल की गई बिजली की मात्रा :
 - मांग (मेगावाट) :
 - ऊर्जा (एमयू) :
 - iv. क्या आपका किसी डिस्कॉम/जनरेटर/व्यापारी के साथ कोई बिजली आपूर्ति समझौता है, यदि हां, तो बिजली खरीद का संक्षिप्त विवरण दें
 - (ख) भविष्य में लोड की वृद्धि आदि को पूरा करने के लिए रखरखाव, संचालन, सुधार और विस्तार के लिए धन की व्यवस्था।
 - (ग) क्या आवेदक स्वयं अपनी बैलेंस शीट पर पूरी तरह से बिजली के प्रस्तावित संचरण का वित्तपोषण करेगा :
 यदि, हाँ, तो आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी :
 - i. राशि :
 - ii. प्रतिशत :
18. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता :

(आवेदक को इन विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं, आदि के रूप में प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे और विनियमों के संदर्भ में उनकी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।)

 - (क) प्रबंधन क्षमता :

(ख) वित्तीय शक्ति :

(ग) सतत तरीके से आपूर्ति कार्य करने की क्षमता :

19. जिस तिथि से प्रस्तावित लाइसेंस मांगा गया है : वह अवधि जिसके लिए प्रस्तावित लाइसेंस मांगा गया है :

20. लाइसेंस मांगने का विस्तृत औचित्य :

21. अन्य जानकारी :

(क) क्या आवेदक या उसके किसी भागीदार या प्रमोटर या निदेशक या सहयोगी को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे मुक्त नहीं किया गया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदन करने के वर्ष से पहले के तीन वर्षों के दौरान आवेदक, उसके किसी भी भागीदार, प्रमोटर या निदेशक या सहयोगी के धोखाधड़ी या आर्थिक अपराधों के परिणामस्वरूप मामलों का विवरण;

(ग) आवेदक, उसके भागीदारों या प्रमोटरों या निदेशकों या सहयोगियों के बारे में से जुड़े सभी लंबित मामलों का विवरण, यदि कोई है, जिसमें विवाद की प्रकृति, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, दूसरे पक्ष या पक्षों का नाम, अदालत जिसके समक्ष लंबित है और नवीनतम स्थिति शामिल होगी;

(घ) क्या आवेदक या उसके किसी भागीदार, या प्रवर्तकों या निदेशकों या सहयोगियों को कभी भी लाइसेंस देने से मना किया गया था। यदि हां, तो आवेदन करने की तिथि, नामंजूर करने की तिथि और नामंजूरी के कारणों का विवरण दें।

22. संलग्न दस्तावेजों की सूची :

क)

ख)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावित लाइसेंस के आवेदन के साथ दस्तावेजों की सूची

1. कंपनियों के रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाण पत्र

2. कंपनी के मेमोरेण्डम/एसोसिएशन के अंतर्नियम/पार्टनरशिप डीड आदि की प्रतियां।

3. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण का प्रमाण;

4. प्रबंधन और वित्तीय क्षमता से संबंधित डेटा :

(क) प्रबंधकीय :

i. वरिष्ठ प्रबंधन का बायोडाटा;

ii. विभिन्न श्रेणियों, तकनीकी और गैर-तकनीकी काडर की संख्या।

(ख) वित्तीय :

i. यह दावा करते हुए बैंक संदर्भ कि आवेदक आर्थिक रूप से मजबूत है;

ii. नवीनतम बैलेंस शीट;

iii. तीन नवीनतम वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए आवेदक और किसी भी होलिंग कंपनी, सहायक या संबद्ध कंपनी के लिए लेखापरीक्षित खाते;

iv. एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपरोक्त बयानों कोई भी साथ में नोट और प्रमाणपत्र। '

5. आवेदक के भविष्य के व्यवसाय से संबंधित डेटा

(क) आवेदन से संबंधित व्यवसाय के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना

(ख) लागत, बिक्री, राजस्व और परियोजना वित्तपोषण के पांच साल के वार्षिक पूर्वानुमान प्रदान करने वाले आंकड़ों का आधार

6. प्रसारण के प्रस्तावित क्षेत्र के विस्तृत नक्शे :

सबस्टेशनों की जानकारी सहित आपूर्ति किए गए क्षेत्र और ट्रांसमिशन/सब-ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कॉन्फिगरेशन को दर्शाने वाले विस्तृत नक्शे। मानचित्र स्पष्ट रूप से मौजूदा प्रणाली और आपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी भी नई सुविधाओं के बीच अंतर करेगा।

मानचित्र उन सड़कों और सड़कों को इंगित करेगा जिनमें बिजली वितरित की जाती है और सार्वजनिक और निजी के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए।

7. मौजूदा राज्य प्रसारण उपयोगिता (एसटीयू) पर आवेदन की प्रति की सेवा का प्रमाण;

8. उपर्युक्त में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत न करने के कारण;

9. आयकर पंजीकरण का विवरण;

10. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

परिशिष्ट 2

जम्मू और काश्मीर तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग

प्रसारण लाइसेंस

1. संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (यहाँ पर "आयोग" के रूप में संदर्भित), विद्युत अधिनियम, 2003 (यहाँ पर "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स (इसके बाद लाइसेंसधारी के रूप में संदर्भित) को यह लाइसेंस (परियोजना का नाम) के निर्माण, रखरखाव और संचालन के लिए यह लाइसेंस प्रदान करता है, जिसे इस लाइसेंस के साथ संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, जिसे इस प्रसारण लाइसेंस के एक अनिवार्य भाग के रूप में पढ़ा जाएगा, जो कि संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (प्रसारण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2023 के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों और प्रसारण लाइसेंस की सामान्य शर्तों और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य विनियम (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के अधीन है जिसमें वैधानिक संशोधन, परिवर्तन, बदलाव, पुनः अधिनियमन भी शामिल हैं, जिन्हें इस लाइसेंस के अनिवार्य भाग के रूप में पढ़ा जाएगा।

2. जहाँ भी इस लाइसेंस और अनुबंधों में निहित नियमों और शर्तों के बीच कोई विरोधाभास है, समय-समय पर संशोधित इस लाइसेंस के प्रावधान लागू होंगे।

3. यह प्रसारण लाइसेंस हस्तांतरणीय नहीं है।

4. लाइसेंसधारी को प्रसारण लाइसेंस प्रदान करना किसी भी प्रकार से या संलग्न अनुसूची में वर्णित परियोजना के अलावा प्रसारण प्रणाली के लिए उसी क्षेत्र के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को प्रसारण लाइसेंस प्रदान करने के आयोग के अधिकार को प्रतिबंधित नहीं करेगा। प्रसारण लाइसेंसधारी किसी विशिष्टता का दावा नहीं करेगा।

5. प्रसारण लाइसेंस, जब तक पहले रद्द नहीं किया जाता, प्रारंभ होने की तिथि से 25 (पच्चीस) वर्ष की अवधि के लिए लागू रहेगा।

सचिव

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग

स्थान:

दिनांक:

अनुसूची

1.परियोजना संबंधी विवरण :

परियोजना में अंतर्राज्यीय प्रसारण प्रणाली के निम्नलिखित तत्व शामिल हैं :

क्रम संख्या	प्रसारण तत्व का नाम	अधिग्रहण कि अनुसूचित तिथि

सचिव

संयुक्त विद्युत नियामक आयोग

स्थान:.....

दिनांक:

परिशिष्ट - 3

विद्युत प्रसारण के लिए लाइसेंस में संशोधन के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष आवेदन

आवेदन संख्या.....

मामला संख्या (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 18 के अंतर्गत विद्युत के प्रसारण के लिए लाइसेंस में संशोधन करना :

1. लाइसेंसधारी का नाम

2. पता

आवेदक एतद्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 18 के अंतर्गत विद्युत के प्रसारण के लिए अपने मौजूदा लाइसेंस के नियमों और शर्तों में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए आयोग को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है (जो लागू न हो उसे काट दें) :

1. मौजूदा लाइसेंस का विवरण।

(क) लाइसेंस संख्या. दिनांकित.

(ख) लाइसेंस की श्रेणी - .

(ग) इसके प्रसारण का क्षेत्र :

(घ) संचरण के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो।

मौजूदा क्षेत्र	प्रस्तावित क्षेत्र

i. प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से प्रसारण के क्षेत्र में प्रभावित होने वाली जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के नाम और पते।

ii. प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से प्रसारण के क्षेत्र में प्रभावित होने वाले रक्षा उद्देश्यों के लिए छावनी, हवाई अड्डा, किला, शस्त्रागार, डॉकयार्ड या शिविर या सरकार के कब्जे में कोई भी भवन या स्थान।

2. अन्य खंडों में प्रस्तावित विशिष्ट संशोधन/परिवर्तन

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन

3. मांग किए गए परिवर्तन/संशोधन के कारण।

4. यदि प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन से अतिरिक्त निवेश होगा, तो इसके लिए धन की व्यवस्था।

5. प्रासंगिक/आवश्यक समझे जाने वाले अन्य विवरण।

6. परिवर्तन या संशोधन के लिए शुल्क का विवरण। सचिव, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में जम्मू, जम्मू और कश्मीर में देय बैंक के नाम आहरित रूप से के लिए डीडी संख्या दिनांक.....;

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

मौजूदा लाइसेंस में संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

1. उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अधिकृत व्यक्ति का शपथ पत्र।
2. मौजूदा लाइसेंस और नामित मानचित्र की प्रति।
3. आपूर्ति या प्रसारण के क्षेत्र का मानचित्र, यदि ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित है।
4. कंपनी/सोसायटी/स्थानीय प्राधिकारी का प्रासंगिक संकल्प।
5. आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में निदेशक मंडल का प्राधिकार पत्र।
6. प्रस्तावित संशोधन के प्रासंगिक विनियम 5 और परिशिष्ट - 1 में उल्लिखित दस्तावेज और आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

परिशिष्ट - 4
वितरण लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आवेदन संख्या.....

मामला संख्या (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत बिजली के वितरण के लिए लाइसेंस प्रदान करना :

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का नाम :
2. निगमन का प्रपत्र, यदि कोई हो :
3. पता :
4. संपर्क व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :
5. दूरभाष.
6. फैक्स नं. :
7. ई-मेल आईडी :
8. निगमन/पंजीकरण का स्थान :
9. निगमन/पंजीकरण का वर्ष :
10. भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर आवेदक बिजली का वितरण करने का प्रस्ताव करता है :
11. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं :
 - क) पंजीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र;
 - ख) व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र;
 - ग) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन;
 - घ) आवेदक या उसके प्रवर्तक को प्रतिबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता का मूल मुख्तारनामा;
 - ङ) आयकर पंजीकरण का विवरण;
 - च) ड्राफ्ट लाइसेंस;
 - छ) जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के संयुक्त विद्युत नियामक आयोग वितरण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के अनुदान के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2023 के विनियम 5.7 में उल्लिखित सभी दस्तावेज।

आवेदक के वित्तीय डेटा का विवरण

12. पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के लिए नेट वर्थ (प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित विनियम दर पर किए जाने वाले समतुल्य भारतीय रुपये-रूपांतरण में)। (लागू वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)

(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनियम दर	समतुल्य भारतीय रुपए में

उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित लेखापरीक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न की करें

13. पिछले 5 (पांच) वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक कारोबार (भारतीय रुपये के समतुल्य - प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रचलित विनियम दर पर रूपांतरण किया जाना है)। (लागू वित्तीय वर्ष निर्दिष्ट करें)

(दिन/माह/वर्ष) से (दिन/माह/वर्ष)	घरेलू मुद्रा में	प्रयोग की गई विनियम दर	समतुल्य भारतीय रुपए में

उपरोक्त के समर्थन में वार्षिक रिपोर्ट या प्रमाणित लेखापरीक्षित परिणामों की प्रतियां संलग्न करें।

14. क्रेडिट रेटिंग का प्रमाण पत्र
15. 'मानक' उधार खाते का प्रमाण पत्र
16. यह प्रमाण पत्र कि आरबीआई ने आवेदक को 'विलफुल डिफॉल्टर' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया है।
17. उक्त क्रम सं. (10) और (11) के समर्थन में संलग्न दस्तावेजों की सूची। :

क्रम संख्या	दस्तावेज़ का नाम
(क)	
(ख)	

18. क) क्या आवेदक बिजली के प्रस्तावित प्रसारण का पूरी तरह से अपने बैलेंस शीट पर स्वयं वित्तपोषण करेगा

ख) यदि, हाँ, आवेदक से प्रस्तावित इच्छिटी

i. राशि :

ii. प्रतिशत :

19. यदि आवेदक इच्छिटी के लिए किसी अन्य एजेंसी के साथ समझौता करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसी एजेंसी का नाम और पता :

(क) अन्य एजेंसी के संदर्भ व्यक्ति का नाम, पदनाम और पता :

(ख) दूरभाष नंबर :

(ग) फैक्स नं. :

(घ) ई-मेल आईडी :

(ङ) अन्य एजेंसी से प्रस्तावित इच्छिटी

i. राशि

ii. कुल इच्छिटी का प्रतिशत :

iii. मुद्रा जिसमें इच्छिटी प्रस्तावित है :

(च) इच्छिटी भागीदारी के लिए आवेदक के साथ संबद्ध करने के लिए अन्य एजेंसी का सहमति पत्र संलग्न किया जाना है।

(छ) आवेदक और अन्य एजेंसी के बीच प्रस्तावित टाई-अप की प्रकृति।

20. प्रसारण गतिविधि के लिए प्रस्तावित ऋण का विवरण :

(घ) उधारदाताओं का विवरण :

(ङ) विभिन्न उधारदाताओं से प्राप्त की जाने वाली राशि :

(च) उपर्युक्त के समर्थन में उधारदाताओं के पत्र संलग्न किए जाएं।

21 आवेदक की क्षमता

(आवेदक को अपनी मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों और बिजली क्षेत्र में सामान्य रूप से और विशेष रूप से बिजली के वितरण के पिछले अनुभव का वर्णन करना आवश्यक है)

22. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता :

(आवेदक को इन विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं, आदि के रूप में प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे और विनियमों के संदर्भ में उनकी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।)

23. दृष्टिकोण और पद्धति :

(आवेदक को अपनी वितरण प्रणाली स्थापित करने और उसके द्वारा प्रस्तावित विद्युत के प्रसारण के व्यवसाय के संचालन के लिए दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली का वर्णन करना आवश्यक है। इसमें लाइसेंस प्रदान करने के बाद प्रथम वर्ष के दौरान विद्युत के प्रसारण के व्यापार के संचालन पर आवेदनकर्ता का विवरण और अगले पाँच वर्षों की भावी योजना का विवरण होना चाहिए)

24.. आवेदक के भविष्य के व्यवसाय से संबंधित डेटा

क) बिजली के वितरण के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है और भविष्य में लोड की वृद्धि के लिए रखरखाव, संचालन, सुधार और विस्तार के लिए प्रस्तावित लाइसेंस के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए धन की व्यवस्था।

ख) अनुमानों के आधार की जानकारी देते हुए लागत, बिक्री, राजस्व और परियोजना वित्तपोषण के पांच साल के वार्षिक पूर्वानुमान।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावित लाइसेंस के लिए आवेदन पत्र

आवेदन संख्या।.....

मामला संख्या..... (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 14 के अंतर्गत विद्युत के प्रसारण के लिए प्रस्तावित लाइसेंस प्रदान करना :

आवेदक का विवरण

1. आवेदक का पूरा नाम
2. आवेदक का पता :
3. आवेदन शुल्क (डीडी विवरण) :
4. पंजीकृत कार्यालय का पता :
5. स्थानीय कार्यालय का पता/प्रशासनिक कार्यालय का पता :
6. दूरभाष सं. :
7. फैक्स नं. :
8. ई-मेल आईडी :
9. अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का विवरण :
10. निगमन का प्रपत्र, यदि कोई हो :
11. निगमन/पंजीकरण का स्थान :
12. निगमन/पंजीकरण का वर्ष :
13. निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न किए जाने हैं :
 - (क) पंजीकरण/निगमन का प्रमाणपत्र;
 - (ख) व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रमाण पत्र;
 - (ग) मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन (विधिवत उल्लेख किया गया पावर ट्रांसमिशन व्यावसायिक गतिविधि में से एक है);
 - (घ) आवेदक या उसके प्रवर्तक को प्रतिबद्ध करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता का मूल मुख्तारनामा;
 - (ङ) आयकर पंजीकरण का विवरण;
14. निदेशकों/सक्षम अधिकारियों के नाम और पते (यदि लागू हो तो विवरण दें) :
15. प्रमुख शेयरधारक/भागीदार/सदस्य : प्रमुख व्यावसायिक गतिविधि :
16. भौगोलिक क्षेत्र जिसके अंदर आवेदक प्रसारण करने का प्रस्ताव करता है (जरूरत पड़ने पर संलग्न मानचित्र का उल्लेख करते हुए सीमाओं का उल्लेख करना है) :
17. बिजली विवरण :
 - (क) बिजली की सोर्सिंग :
 - i. वोल्टेज :
 - ii. आपूर्ति का स्रोत (स्वयं का उत्पादन/दूसरों/डिस्कॉम से खरीद) :
 - iii. पिछले 12 महीनों में हैंडल की गई बिजली की मात्रा :
 - मांग (मेगावाट) :
 - ऊर्जा (एमयू) :
 - iv. क्या आपका किसी डिस्कॉम/जनरेटर/व्यापारी के साथ कोई बिजली आपूर्ति समझौता है, यदि हां, तो बिजली खरीद का संक्षिप्त विवरण दें
 - (ख) भविष्य में लोड की वृद्धि आदि को पूरा करने के लिए रखरखाव, संचालन, सुधार और विस्तार के लिए धन की व्यवस्था।
 - (ग) क्या आवेदक स्वयं अपनी बैलेंस शीट पर पूरी तरह से बिजली के प्रस्तावित संचरण का वित्तपोषण करेगा :

यदि, हाँ, तो आवेदक से प्रस्तावित इक्विटी :

 - i. राशि :
 - ii. प्रतिशत :
18. आवेदक की संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता :

(आवेदक को इन विनियमों के संबंध में विभिन्न अधिकारियों, प्रस्तावित कार्यालय और संचार सुविधाओं, आदि के रूप में प्रस्तावित संगठनात्मक ढांचे और विनियमों के संदर्भ में उनकी संगठनात्मक और प्रबंधकीय क्षमता का प्रमाण संलग्न करना आवश्यक है।)

 - (घ) प्रबंधन क्षमता :
 - (ङ) वित्तीय शक्ति :

(च) सतत तरीके से आपूर्ति कार्य करने की क्षमता :

19. जिस तिथि से प्रस्तावित लाइसेंस मांगा गया है : वह अवधि जिसके लिए प्रस्तावित लाइसेंस मांगा गया है :

20. लाइसेंस मांगने का विस्तृत औचित्य :

21. अन्य जानकारी :

(क) क्या आवेदक या उसके किसी भागीदार या प्रमोटर या निदेशक या सहयोगी को दिवालिया घोषित किया गया है और उसे मुक्त नहीं किया गया है। यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ख) आवेदन करने के वर्ष से पहले के तीन वर्षों के दौरान आवेदक, उसके किसी भी भागीदार, प्रमोटर या निदेशक या सहयोगी के धोखाधड़ी या आर्थिक अपराधों के परिणामस्वरूप मामलों का विवरण;

(ग) आवेदक, उसके भागीदारों या प्रमोटरों या निदेशकों या सहयोगियों के बारे में से जुड़े सभी लंबित मामलों का विवरण, यदि कोई है, जिसमें विवाद की प्रकृति, चाहे दीवानी हो या आपराधिक, दूसरे पक्ष या पक्षों का नाम, अदालत जिसके समक्ष लंबित है और नवीनतम स्थिति शामिल होगी;

(घ) क्या आवेदक या उसके किसी भागीदार, या प्रवर्तकों या निदेशकों या सहयोगियों को कभी भी लाइसेंस देने से मना किया गया था। यदि हां, तो आवेदन करने की तिथि, नामंजूर करने की तिथि और नामंजूरी के कारणों का विवरण दें।

22. संलग्न दस्तावेजों की सूची :

क)

ख)

(आवेदक के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :

प्रस्तावित लाइसेंस के आवेदन के साथ दस्तावेजों की सूची

1. कंपनियों के रजिस्ट्रार से निगमन का प्रमाण पत्र

2. कंपनी के मेमोरेण्डम/एसोसिएशन के अंतर्नियम/पार्टनरशिप डीड आदि की प्रतियां।

3. आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकरण का प्रमाण;

4. प्रबंधन और वित्तीय क्षमता से संबंधित डेटा :

(क) प्रबंधकीय :

iii. वरिष्ठ प्रबंधन का बायोडाटा;

iv. विभिन्न श्रेणियों, तकनीकी और गैर-तकनीकी काडर की संख्या।

(ख) वित्तीय :

i. यह दावा करते हुए बैंक संदर्भ कि आवेदक आर्थिक रूप से मजबूत है;

ii. नवीनतम बैलेंस शीट;

iii. तीन नवीनतम वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए आवेदक और किसी भी होलिंग कंपनी, सहायक या संबद्ध कंपनी के लिए लेखापरीक्षित खाते;

iv. एक प्रतिष्ठित चार्टर्ड एकाउंटेंट से उपरोक्त बयानों कोई भी साथ में नोट और प्रमाणपत्र। '

v. आवेदक के भविष्य के व्यवसाय से संबंधित डेटा

(ग) आवेदन से संबंधित व्यवसाय के लिए पंचवर्षीय व्यवसाय योजना

(घ) लागत, बिक्री, राजस्व और परियोजना वित्तपोषण के पांच साल के वार्षिक पूर्वानुमान प्रदान करने वाले आंकड़ों का आधार

5. वितरण के प्रस्तावित क्षेत्र के विस्तृत नक्शे :

सबस्टेशनों की जानकारी सहित आपूर्ति किए गए क्षेत्र और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के कॉन्फिगरेशन को दर्शाने वाले विस्तृत नक्शे। मानचित्र स्पष्ट रूप से मौजूदा प्रणाली और आपूर्ति प्रदान करने के प्रयोजनों के लिए आवश्यक किसी भी नई सुविधाओं के बीच अंतर करेगा।

मानचित्र उन सड़कों और सड़कों को इंगित करेगा जिनमें बिजली वितरित की जाती है और सार्वजनिक और निजी के बीच अंतर स्पष्ट होना चाहिए।

7. अवलंबी वितरण उपयोगिता (STU) पर आवेदन सेवा के प्रमाण की प्रति;

18. उपरोक्त दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने के कारण;

19. आयकर पंजीकरण का विवरण;

20. कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी।

परिशिष्ट - 5

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग
वितरण लाइसेंस

1. संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (यहाँ पर "आयोग" के रूप में संदर्भित), विद्युत अधिनियम, 2003 (यहाँ पर "अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 16 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैसर्स (इसके बाद लाइसेंसधारी के रूप में संदर्भित) को नीचे दिये गए क्षेत्र में विद्युत का वितरण करने के लिए यह लाइसेंस प्रदान करता है, जिसे इस लाइसेंस के साथ संलग्न अनुसूची में विशेष रूप से वर्णित किया गया है, जो कि संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (प्रसारण लाइसेंस और अन्य संबंधित मामलों के लिए प्रक्रिया, नियम और शर्तें) विनियम, 2023 के अंतर्गत निर्दिष्ट अधिनियम, नियमों और प्रसारण लाइसेंस की सामान्य शर्तों और आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य विनियम (इसके बाद "विनियम" के रूप में संदर्भित) के अधीन है जिसमें वैधानिक संशोधन, परिवर्तन, बदलाव, पुनः अधिनियमन भी शामिल हैं, जिन्हें इस लाइसेंस के अनिवार्य भाग के रूप में पढ़ा जाएगा।
2. वितरण का क्षेत्र :
वितरण का क्षेत्र निम्न प्रकार से घिरा हुआ संपूर्ण क्षेत्र होगा :
उत्तर में - द्वारा
पूर्व में - द्वारा
दक्षिण में - द्वारा
पश्चिम में - द्वारा
3. यह वितरण लाइसेंस अधिनियमों, नियमों और विनियमों के प्रावधानों के अलावा हस्तांतरणीय नहीं है।
4. वितरण लाइसेंसधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना :
क) किसी अन्य लाइसेंसधारी की उपयोगिता को खरीदकर या अधिग्रहण या अन्यथा प्राप्त करने के लिए कोई भी लेनदेन नहीं करेगा;
ख) किसी अन्य लाइसेंसधारी की उपयोगिता के साथ अपनी उपयोगिता का विलय नहीं करेगा;
5. वितरण लाइसेंसधारी आयोग के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी भी समय अपना लाइसेंस समनुदेशित नहीं करेगा, या अपनी उपयोगिता, या उसके किसी भाग को बिक्री, पट्टा, विनियम या अन्य किसी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेगा।
6. उप-खंड (4) और उप-खंड (5) में निर्दिष्ट किसी भी लेनदेन से संबंधित कोई भी समझौता यदि आयोग के अनुमोदन से नहीं किया गया है तो मान्य नहीं होगा।
7. लाइसेंसधारी को यह वितरण लाइसेंस प्रदान करना किसी भी तरह से बिजली के वितरण के लिए उस क्षेत्र के अंदर किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस देने के आयोग के अधिकार को बाधित या प्रतिबंधित नहीं करेगा। वितरण लाइसेंसधारी किसी विशिष्टता का दावा नहीं करेगा।
8. यह वितरण लाइसेंस इसके जारी होने की तिथि से शुरू होगा और जब तक इसे पहले रद्द नहीं किया जाता है, यह 25 (पच्चीस) वर्षों की अवधि के लिए लागू रहेगा।
9. वितरण लाइसेंसधारी आयोग को पूर्व सूचना देकर अपनी संपत्तियों के इष्टतम उपयोग के लिए किसी भी व्यवसाय में संलग्न हो सकता है :
बशर्ते कि वितरण लाइसेंसधारी विद्युत प्रसारण के व्यवसाय में संलग्न नहीं होगा।
10. वितरण लाइसेंसधारी आयोग द्वारा निर्दिष्ट लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा।
11. अधिनियमों में निहित प्रावधान वितरण लाइसेंस के निरसन और उसकी उपयोगिता की बिक्री के संबंध में वितरण लाइसेंसधारी पर लागू होंगे।

सचिव
संयुक्त विद्युत नियामक आयोग
जगह :
तिथि :

परिशिष्ट - 6**विद्युत वितरण के लिए लाइसेंस में संशोधन के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के समक्ष आवेदन।**

आवेदन संख्या.....

मामला संख्या..... (आयोग के कार्यालय द्वारा भरा जाना है)

विषय :

विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 18 के अंतर्गत विद्युत के वितरण के लिए लाइसेंस में संशोधन करना :

1. लाइसेंसधारी का नाम

2. पता

आवेदक एतद्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 18 के अंतर्गत विद्युत के प्रसारण के लिए अपने मौजूदा लाइसेंस के नियमों और शर्तों में परिवर्तन या संशोधन करने के लिए आयोग को निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत करता है :

3. मौजूदा लाइसेंस का विवरण।

(क) लाइसेंस संख्या..... दिनांकित.....

(ख) इसकी आपूर्ति का क्षेत्र :

(ग) आपूर्ति के क्षेत्र में प्रस्तावित परिवर्तन, यदि कोई हो।

मौजूदा क्षेत्र	प्रस्तावित क्षेत्र

- प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से प्रसारण के क्षेत्र में प्रभावित होने वाली जिला परिषदों और नगर पालिकाओं के नाम और पते।
- प्रस्तावित परिवर्तन या संशोधन से प्रसारण के क्षेत्र में प्रभावित होने वाले रक्षा उद्देश्यों के लिए छावनी, हवाई अड्डा, किला, शस्त्रागार, डॉकयार्ड या शिविर या सरकार के कब्जे में कोई भी भवन या स्थान।

4. अन्य खंडों में प्रस्तावित विशिष्ट संशोधन/परिवर्तन

वर्तमान प्रावधान	प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन

5. मांग किए गए परिवर्तन/संशोधन के कारण।

6. यदि प्रस्तावित संशोधन/परिवर्तन से अतिरिक्त निवेश होगा, तो इसके लिए धन की व्यवस्था।

7. प्रासंगिक/आवश्यक समझे जाने वाले अन्य विवरण।

8. परिवर्तन या संशोधन के लिए शुल्क का विवरण। सचिव, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग के पक्ष में जम्मू, जम्मू और कश्मीर में देय बैंक के नाम आहरित रूपए के लिए डीडी संख्या दिनांक.....;

स्थान :

दिनांक :

(आवेदक के हस्ताक्षर)

मौजूदा लाइसेंस में संशोधन/परिवर्तन के लिए आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- उचित मूल्य के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर अधिकृत व्यक्ति का शपथ पत्र।
- मौजूदा लाइसेंस और नामित मानचित्र की प्रति।
- आपूर्ति या प्रसारण के क्षेत्र का मानचित्र, यदि ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन या संशोधन प्रस्तावित है।
- कंपनी/सोसायटी/स्थानीय प्राधिकारी का प्रासंगिक संकल्प।
- आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के पक्ष में निदेशक मंडल का प्राधिकार पत्र।
- प्रस्तावित संशोधन के प्रासंगिक विनियम 46.6 और परिशिष्ट - 4 में उल्लिखित दस्तावेज और आवेदन शुल्क के भुगतान का प्रमाण।

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**(For Ut of Jammu and Kashmir and Ut of Ladakh)****NOTIFICATION**

Jammu, the 8th March, 2023

No. JERC-JKL/REG/2023/07.—In exercise of the powers conferred under Section 15 &16 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003) (hereinafter referred to as the Act), and all other powers enabling it in this behalf, the Joint Electricity Regulatory Commission (for the UT of J&K and UT of Ladakh) hereby makes the following Regulations, namely:

1 Short Title, Commencement and Extent

- 1.1 These Regulations shall be called the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Procedure, Terms & Conditions for Grant of Transmission and Distribution Licence and other Related Matters) Regulations, 2023.
- 1.2 These Regulations shall come into force from the date of their publication in official Gazette.
- 1.3 These Regulations shall be applicable to the Licensees including Deemed Licensees operating in the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh in their respective Licenced areas.

2 Definitions:

- 2.1 In these Regulations, unless the context otherwise requires:

- (a) “**Act**” means the Electricity Act, 2003 (Act No. 36 of 2003);
- (b) “**Annual Accounts**” means the accounts of the Transmission Licensee prepared in accordance with the provisions of the Companies Act 1956, Companies Act 2013 as amended from time to time, and/or in such other manner as may be directed by the Commission from time to time in terms of the provisions of the Act;
- (c) “**Agreement**” means the agreement, contract, memorandum of understanding, or any other covenant on any aspect relating to the intra- State transmission of electricity, entered into between the Licensee, the long-term customers and the State Transmission Utility or the deemed Licensee;
- (d) “**Applicant**” means the person who made an application for a grant of a Licence for Intra-State Transmission of Electricity ;
- (e) “**Area of Transmission**” means the area stated in the Transmission Licensee within which the Transmission Licensee is authorized to establish, operate and maintain transmission lines and transmission system;
- (f) “**Auditors**” means the Transmission Licensee’s auditors, and if the Transmission Licensee is a company, auditors holding office in accordance with the requirements of the Companies Act 1956, Companies Act 2013 as amended from time to time;
- (g) “**Bid process coordinator**” means an agency notified by the UT Government/ administration for coordinating the process of inviting bids for procurement of services for intra-State transmission of electricity in accordance with the guidelines for competitive bidding;
- (h) “**State Transmission Utility**” means the State Transmission Utility notified by the UT Governments of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh under sub-section (1) of Section 39 of the Act;
- (i) “**Commission**” means the Joint Electricity Regulatory Commission for Union Territories of Jammu & Kashmir and Ladakh;
- (j) “**Deemed Licensee**” means a person, who is deemed to be a Licensee for intra-State transmission of electricity under any of the provisos to Section 14 of the Act;
- (k) “**Distribution**” means the conveyance or wheeling of electricity by means of a Distribution System;
- (l) “**Distribution Business**” means authorized business of a Distribution Licensee to operate and maintain a Distribution System for supplying electricity to the consumers in the Area of Supply;
- (m) “**Distribution Licensee**” means the person authorized by a "Distribution Licence" to operate and maintain a distribution system for supply/conveyance/wheeling of electricity to the consumers in his area of supply and shall include the deemed Licensee;
- (n) “**Force Majeure**” means events beyond the reasonable control of a Transmission Licensee but not limited to earthquake, cyclone, lightning, riot, flood, storm, war, mutiny, terrorist attack, civil

- commotion, lock out, fire affecting the Licensee's installations or other similar occurrence that leads to any act which would involve a breach of relevant laws or regulations concerned with supply of electricity;
- (o) "**General Conditions**" mean General Conditions of Transmission as specified in these Regulations;
 - (p) "**Grid Code**" means the Grid Code specified by the Commission under Clause (h) of Sub-Section (1) of Section 86 of the Electricity Act or as adopted and includes the Indian Electricity Grid Code as applicable and in force on the date of commencement of these Regulations;
 - (q) "**Licence**" means a Licence granted under Section 14 of the Act, 2003;
 - (r) "**Licensed Business**" means the business of Transmission in the Area of Licence as authorized under the Transmission Licence;
 - (s) "**Major Incident**" means an incident associated with the Transmission of electricity, which results in a significant interruption of service, substantial damage to equipment, or loss of life or significant injury to human beings, or as otherwise specified by the Commission and shall also include any other incident which the Commission declares to be a Major Incident;
 - (t) "**Meeting**" means hearings, meetings, discussions, deliberations, inquiries, investigations, and consultations as held by the Commission from time to time in the discharge of its functions under the Act;
 - (u) "**Officer**" means an officer of the Commission;
 - (v) "**Open Access**" means the non-discriminatory provision for the use of transmission lines or transmission system or associated facilities with such lines or system by any Licensee or consumer or a person engaged in generation accordance with the Electricity Act and the regulations specified by the Commission;
 - (w) "**Other Business**" means any business of a Transmission Licensee other than the Licensed Business;
 - (x) "**Petition**" means and includes all petitions, applications, complaints, appeals replies, rejoinders, supplemental pleadings, other papers and documents;
 - (y) "**Proceedings**" means and includes proceedings of all nature that the Commission may hold in the discharge of its function under the Act;
 - (z) "**Receiving Officer**" means the officer designated by the Commission for receiving the petition;
 - (aa) "**Regulations**" means the Regulations made by the Commission, under the provisions of the Act;
 - (bb) "**Retail Supply**" means the supply of electricity to any consumer by a Distribution Licensee within its area of supply and the words "Retail Supplier" and "Retail Supply Business" shall be construed accordingly in that context;
 - (cc) "**Secretary**" means the Secretary of the Commission;
 - (dd) "**Supply**" means the supply of electricity and the word —Supplier is construed accordingly;
 - (ee) "**Transmission Licence**" means a Licence granted by the Commission to a person /company under Section 14(a) of the Act for establishing, operating and maintaining of transmission lines and transmission system in the area specified in the Licence. The words –Transmission Licensee shall be construed accordingly;
 - (ff) "**Transmission System**" means the system consisting of EHV electric lines being operated at EHV (excluding generator interconnection facilities) owned and/or operated by the Transmission Licensee for the purposes of transmission of electricity from one power station to a sub-station or to another power station or between sub-stations or to or from any external interconnection equipment up to the interconnection with the distribution system and includes the plant and apparatus and meters owned or used by the Transmission Licensee in connection with the transmission of electricity, but shall not include any part of any Licensee's distribution system;
 - (ee) "**Year**" means a period of twelve months from 1st April of a calendar year to 31st March of the following calendar year.

- 2.2 All other words and expressions used in these Regulations if not specifically defined herein above, but defined in the Act, shall have the meaning assigned to them in the Act. The other words and expressions used herein but not specifically defined in these Regulations or in the Act but defined under any other law passed by the Parliament applicable to the electricity industry in the State or Union Territory shall have the meaning assigned to them in such law.

PART A: Procedure, Terms & Conditions for Grant of Transmission Licence and other Related Matters**CHAPTER – I****SELECTION OF PROJECT AND IMPLEMENTING AGENCY****3 Intra-State Transmission Planning**

- 3.1. State Transmission Utility (STU) have the key responsibility of network planning and development based on the National Electricity Plan in coordination with all concerned agencies.
- 3.2. Such a network plan to be developed by STU shall be according to the Guidelines for Encouraging Competition in Development of Transmission Projects issued by the Ministry of Power, GoI dated 10th August 2021 and its subsequent amendments.
- 3.3. The State Transmission Utility shall discharge all the functions of planning and co-ordination relating to the intra-State transmission system in coordination with all the agencies as specified in Regulation 39 (2) of the Electricity Act 2003.

4 Selection of Project Developer

- 4.1. Intra State transmission projects, other than those exempted by the Central Government, shall be implemented through tariff based competitive bidding according to the Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service, notified by Ministry of Power, GoI dated 10th August 2021 and its subsequent amendments.
- 4.2. A Bid Process Coordinator as notified by Union Territory (UT) Government/administration would be responsible for conducting the bidding process for procurement of required transmission services for each intra-state transmission project to be implemented under tariff-based competitive bidding in accordance with the guidelines for competitive bidding.
- 4.3. The Bid Process Coordinator as notified by UT Government/administration shall intimate the Commission about initiation of the bidding process.
- 4.4. The Special Purpose Vehicle (SPV) incorporated by BPC shall be designated as the Transmission Service Provider (TSP), hereinafter referred to as the TSP, after submitting a contract performance guarantee and acquiring the SPV by the successful bidder.
- 4.5. Transmission Service Provider, shall, approach the Commission, within a period of five (5) working days from the date of the acquisition of entire equity of the said SPV, for grant of transmission licence and adoption of transmission charges.
- 4.6. The projects exempted by the Central Government or below the threshold limit as specified by the Commission may be developed by the State Transmission Utility or other deemed Licensee, or a state owned or controlled company under section 62 of the Electricity Act 2003.

CHAPTER - II**PROCEDURE FOR GRANT OF TRANSMISSION LICENCE****5 Application for Grant of Transmission Licence**

- 5.1 The Regulations contained herein shall apply to all person desirous of engaging in the business of Transmission of Electricity within the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh.
- 5.2 An application for any Transmission Licence shall be made in accordance with the provision of the Act and these Regulations.
- 5.3 An applicant shall make an application to the Commission for grant of Licence in the form specified in **Appendix - 1** of these Regulations and in the manner directed by the Commission and accompanied by such fee as may be prescribed by the Government from time to time.
- 5.4 Until otherwise specified, the fees payable for grant of Licence, shall be as per JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Fee Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;
- 5.5 Any person intending to apply for Licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.
- 5.6 In case of the person selected for implementation of the project in accordance with the guidelines for competitive bidding, the application shall also contain such additional information, as may be required under the guidelines for competitive bidding.
- 5.7 Every application for grant of Licence shall be signed by the applicant or by an authorized signatory on

behalf of the applicant and shall be addressed to the Secretary of the Commission or such officer as the Commission may designate in this behalf and it shall be accompanied by:

- (a) Six (6) copies of the application in print, and one (1) soft copy of the draft Licence as proposed by the applicant with the name and address of the applicant and of his agent (if any) printed on the outside of the draft;
- (b) Three (3) copies, each signed by the applicant, of maps of the proposed area of transmission, which shall be on a scale:
 - i. Maps of the proposed area of Licence on a scale of not less than 10 cm to a km; or
 - ii. if no such maps are available, of not less than that of the largest scale ordinance maps available; or
 - iii. such other scale as may be approved by the Commission in a specific case.
- (c) A Detailed map(s) of the proposed area for transmission, showing the area to be supplied and the configuration of the Transmission system. The map(s) shall clearly distinguish between the existing system and any new facilities that are or will be required for the purpose of providing transmission of electricity. The map(s) shall indicate the sub-station, distribution mains, transmission network, streets and roads on which energy is supplied to various consumers and distinguish between public and private consumers;
- (d) A detailed project report in relation to the construction, operation and/or maintenance of the transmission system proposed to be undertaken by the Applicant in the Area of transmission;
- (e) A list of all the local authorities (viz. Gram Panchayat, Taluka Panchayat, District Panchayat, Municipal Area) vested with the administration of any portion of the proposed Area of Licence through which the proposed transmission line will pass;
- (f) An approximate statement describing any land which the Applicant proposes to acquire for the purpose of the Licence Business and the means of such acquisition;
- (g) An approximate statement of the capital proposed to be expended in connection with the utility and such other particulars as the Commission may require;
- (h) A relevant information pertaining to the availability of adequate number of competent personnel to construct, operate and/or maintain the transmission system effectively and efficiently, the availability of infrastructure facilities and the financial capacity to carry out the project;
- (i) A copy of the Memorandum and Articles of Association of the company, where the Applicant is a body corporate, and similar applicable documents of incorporation, registration or agreement in case of other business entities;
- (j) Accompanying notes and certifications, if any, on the above statements, from a chartered accountant;
- (k) A copy of the Annual accounts of the Applicant for the previous three years or other similar documents as may be required;
- (l) A receipt for such payment of application fee as specified in accordance with Clause (5.4) above;
- (m) Applicant's details including technical, capital adequacy, and credit-worthiness;
- (n) A copy of the letter seeking consent from the local authority or consent letter;
- (o) A copy of the letter seeking consent from the Central Government as per Section 15(2)(ii) of the Act, if applicable;
- (p) Where the Applicant is a company, details of any group company engaged in the business of generation, distribution, transmission or trading, whether within the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh or in any other State;
- (q) Where the Applicant is not a company, details of the business of generation, distribution, transmission or trading, whether within the UT of Jammu & Kashmir and Ladakh or in any other State, in which the Applicant is directly or indirectly interested;
- (r) Brief history of the promoters where the Applicant is a company;
- (s) Such other documents or information as the Commission may seek;

6 Recommendations of State Transmission Utility (STU) for grant of Transmission Licence

- 6.1 The Transmission Licence applicant shall immediately on making the application in manner specified above, forward a copy of the application along with all the enclosures to the State Transmission Utility for its recommendations.
- 6.2 The State Transmission Utility shall acknowledge receipt of the application and shall within thirty (30) days of the receipt of said application, send its recommendations, if any, to the Commission.
- 6.3 The State Transmission Utility shall whether it sends its recommendations or not, submit a report to the Commission on the following aspects within thirty (30) days of receipt of copy of the application for grant of Licence:
 - (a) Whether the assets mentioned in the application form for Transmission Licence form part of Intra-State Transmission System;
 - (b) Whether the assets mentioned in the application form part of the transmission plan;
 - (c) Whether the completion schedule mentioned in the application is feasible, synchronizes with expansion of other parts;
 - (d) Technical suitability of the assets;
 - (e) Justifiability of the estimated cost of completion indicated in the application;
 - (f) Any other relevant information the State Transmission Utility desire to convey to the Commission;
- 6.4 The recommendations, if any, and report by the State Transmission Utility shall be endorsed to the Applicant.
- 6.5 The Commission shall take into consideration the comments of the State Transmission Utility but the recommendations and the report of the State Transmission Utility shall not be binding on the Commission.

7 Copies of maps and draft Licence for public inspection

- 7.1 The applicant shall keep at his own office and of his agents (if any) and shall deposit at the office of every local authority invested with the administration of any portion of the proposed area of supply:
 - i. Copies of the maps referred to in Clause 5.7 (b) above for public inspection; and
 - ii. A sufficient number of copies of the draft Licence shall be furnished to all persons applying for them at a price not exceeding the normal photocopying charges.

8 Contents of Draft Licence

- 8.1 The Draft Licence shall contain the following particulars:
 - i. A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant and if the applicant is a company, the names of all the directors of the company;
 - ii. Locations of the proposed Transmission area;
 - iii. A description of the proposed area; and
 - iv. Such other particulars as the Commission may direct.

9 Conditions of Transmission Licence

- 9.1 The General Conditions subject to which each of the categories of Licence shall be laid down by the Commission.
- 9.2 The Commission may decide on the special conditions subject to which Licence shall be issued to the applicant.
- 9.3 Any person intending to apply for Licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.

10 Form of Draft Licence

- 10.1 The Commission may, from time to time, prescribe the form of Licence to be issued and this form of Licence may, with such variation as the circumstances of each case require, be used for the purposes of these Regulations.

11 Receipt and Acknowledgement of Application

- 11.1 Upon receipt of the application for grant of Transmission Licence, the Secretary of the Commission or the Receiving Officer shall enter the particulars thereof in a register to be maintained for this purpose and allot a reference number to the application. The Secretary or the Receiving Officer shall send an acknowledgement to the Applicant at the address stated in the application including the date of receipt and the reference

number.

12 Scrutiny of Application and Calling for Additional information

- 12.1 The Commission or the Secretary or any other officer designated by the Commission for this purpose, may, upon scrutiny of the application, require the Applicant to furnish, such additional information or documents as may be considered necessary for the purpose of dealing with the application.
- 12.2 The scrutiny of an application shall be in accordance with JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments;

Provided, that, if on scrutiny, an application for grant of a Licence is found to be incomplete or deficient in any manner, it shall be returned to the applicant for making a fresh application after completing it or removing deficiencies. The applicant shall be advised in writing of any defects in the pleadings and the time allowed to rectify them. The applicant shall follow the procedure laid down in this regulation in respect of his fresh application except that the application processing fee will not be required to be paid again.

13 Notifying the due filing of the application

- 13.1 If the Commission finds the application to be complete, accompanied by the requisite information, particulars and documents, and finds that the applicant has complied with all the requirements for making the application and furnishing of information, particulars and documents, the Commission or the Secretary shall certify that the application is ready for being considered for grant of Licence in accordance with the applicable laws.

14 Public Notice of Application

- 14.1 Unless exempted by the applicable laws/Commission, the Applicant shall, within seven (7) days from date of admission of the application, publish a notice of his application by public advertisement in one English and one Local daily newspapers having wide circulation in the area of Transmission for which the Licence is sought, and such advertisement shall contain such particulars as have been directed by the Commission in these Regulations, namely:

- (a) Name of the Applicant in bold at the top clearly bringing out whether the Applicant is an individual, or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, or a private limited company or a public limited company, incorporated under the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 or any other incorporated or unincorporated body giving full particulars of its office address and also the registered office address, if any;
- (b) A statement that the Applicant has submitted an application to the Commission for grant of a Transmission Licence under Section 15 of the Act;
- (c) Proposed Area of Transmission Licence;
- (d) Financial and technical strength, management profile and share holding pattern, if any, of the Applicant;
- (e) A statement to the effect that the application and other documents filed before the Commission from time to time, are available with the Applicant for inspection by any person;
- (f) The names, addresses and other necessary details of the person(s) nominated by the applicant in major cities or towns of area of proposed Transmission Licence, who can make available for inspection, the application and other documents or from whom they can be purchased in person, or by post at reasonable charges, not exceeding photocopying charges;
- (g) Brief particulars of the proposed Transmission Licence;
- (h) A statement to the effect that the completed application is available on the website of the Applicant or any other authorized website and can be downloaded free of cost;
- (i) A statement that objections, if any, may be filed before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, Ambedkar Road, Panama Chowk, Jammu, J&K within thirty (30) days of publication of the notice.

Provided that the Applicant may request the Commission to permit it to refrain from publishing any of the above information in order to protect its business interests or rights in intellectual property with sufficient and reasonable grounds and the Commission may grant or reject such request after due consideration;

Provided further that the Applicant may be required to publish, in the manner specified, a

non- confidential summary of the above information;

- (j) In addition to the above, the Commission may direct that notice of the application be served on any designated representative of the Central Government; the UT Government/Administration, any local authority or any other authority or person or body as the Commission may deem appropriate;
- (k) The Applicant shall, within seven (7) days from the date of publication of the notice as aforesaid, submit to the Commission an affidavit, the details of the notice published, and shall also file relevant copies of the newspapers in which the notices were published.

15 Public Inspection of Application and Documents

- 15.1 From the date of publication of notice in accordance with Regulation 14 above, the Applicant shall make available at its own office and the office/s of its agents (if any) and also with every local authority as may be specified by the Commission from time to time, copies of the application and all the documents submitted therewith.
- 15.2 The Applicant shall furnish, to all persons applying, printed copies of its application, together with the attachments thereto, at the reasonable cost of photo copying such material.

16 Amendment of Draft Licence

- 16.1 Any person who desires to have any amendment made in the Draft Licence shall deliver a statement of the amendment to the applicant and to Secretary or such Officer as the Commission may designate in this behalf within a period thirty (30) days from the date of publication of notice of the application by way of advertisement in newspapers.

17 Objections and Suggestions

- 17.1 Any person intending to object/suggest to the grant of the Transmission Licence shall file objections/suggestions within thirty (30) days from the date of issue of the first advertisement referred to in Regulation 14 above. The objections/suggestions shall be addressed to the Secretary of the Commission, with a copy to the Applicant.
- 17.2 Where an objection is received from any local authority concerned, the Commission shall, if in its opinion the objection is untenable, record the opinion in writing and communicate it to such local authority along with reasons, therefor.
- 17.3 Upon receipt of such objections/suggestions, the Secretary/designated officer shall imprint the reference number of the concerned application for grant of Transmission Licence on the same and shall place such objections in the file relating to the concerned application, and also post the same on the Commission's website.
- 17.4 The Applicant shall submit comments on the objections or suggestions received in response to the notice under Regulation 14 above within fifteen (15) days of expiry of thirty (30) days' notice mentioned in Clause (17.1) above.
- 17.5 The objection/suggestions/comments on the objections shall be filed in the form of a reply and the provisions of JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments;
- 17.6 In case of an application for a Transmission Licence for an area including the whole or any part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Central Government for defense purposes, before granting Transmission Licence, the Commission shall ascertain that there is no objection, on the part of the Central Government, for grant of such Licence:

Provided that in case there is no response from the Central Government in this regard, the Commission may, at Its discretion, proceed further in accordance with Law.

18 Hearing and local inquiry

- 18.1 If the applicant has duly arranged for the publication of the notice of the intended application and the time for filing of the objections is over and after the applicant has furnished to the Commission the no objection, if required from the Central Government, the Commission shall proceed to place the application for regular hearing.
- 18.2 The Commission shall give the notice of inquiry or hearing to the applicant, the persons who had filed objections, the Central Government, the concerned Government and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate.
- 18.3 If any person objects to the grant of Licence applied for, the Commission shall, if either the applicant or the objector so desires, cause a local inquiry to be held of which the notice in writing shall be given to both the

applicant and the objector:

Provided that the Commission may refuse such an inquiry if in its opinion the objection is of a trifling or vexatious nature;

Provided further that the Commission may, for reasons to be recorded in writing, extend the time fixed by it for the local enquiry.

- 18.4 In case of such local inquiry, a memorandum of results of the local inquiry made shall be prepared and shall be signed by the applicant, the Officer or person designated for the purpose and such other person as the Commission may direct.
- 18.5 The hearing on the application for grant of Licence shall thereafter proceed as far as possible in the same manner as provided under Clause (18.7).
- 18.6 The result of the local enquiry shall be considered by the Commission while hearing the application for grant of Licence.
- 18.7 The Commission may determine the stages, manner, the place, the date and the time of the hearing of a matter and also time of hearing to the applicant, the Central Government, the UT Government/ Administration, the local authority and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate. The Commission as it may consider appropriate and proceed further in any one or more of the following manners:
 - (a) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.
 - (b) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of oral submissions, the Commission may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the persons giving evidence.
 - (c) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission.
 - (d) The Commission may direct the parties to file written note(s) of arguments or submissions in the matter.

19 Approval of draft Transmission Licence

- 19.1 After inquiry, if any, and the hearing of the application, the Commission may decide to grant or refuse the Licence:

Provided, however, that the Commission shall in no event reject an application without giving the Applicant an opportunity of being heard, either by requiring the Applicant to file responses in writing or by conducting an oral hearing.
- 19.2 If the Commission decides to grant the Transmission Licence, the Licence shall be in the form specified in **Appendix-2** of these Regulations:

Provided that the Commission may add to alter or amend the form specified for a Licence as it may in its discretion deem necessary, subject to such other terms and conditions as the Commission may direct.
- 19.3 Before granting any Licence, the Commission shall publish a notice in two (2) such daily newspapers, as the Commission may consider necessary and on its website, stating name and address of the person to whom it proposes to issue the Licence, with such other details as the Commission considers appropriate.
- 19.4 When the Commission has approved a draft Licence either in its original form or in a modified form, the Secretary or such other officer as the Commission may designate in this behalf, shall inform the applicant of such approval and of the form in which it is proposed to grant the Licence and the conditions to be satisfied by the applicant including the fees to be paid by the applicant for the grant of the Licence.
- 19.5 The Commission shall immediately after issue of a Licence forward a copy of the Licence to the concerned Government, Central Electricity Authority, local authority, and to such other persons as the Commission considers necessary. The Commission shall also upload the copy of Licence granted, on its website.
- 19.6 If the Applicant is willing to accept the Transmission Licence with the modifications, changes or additions, if any, and subject to such other terms and conditions as the Commission may direct under Clause (19.2) above, the applicant shall acknowledge acceptance to the Commission within seven (7) days of receipt of the approval from the Commission.
- 19.7 Where the Commission has decided to refuse the grant of Transmission Licence, the Secretary shall, within fourteen (14) days of such refusal, inform the Applicant of such refusal enclosing a copy of the reasoned order of the Commission in support of such refusal.

20 Notification of Grant of Transmission Licence

- 20.1 On receiving intimation in writing from the applicant that he is willing to accept the Licence in the form approved by the Commission and after the applicant satisfies the conditions imposed for the grant of the Licence, the Commission shall publish the Licence or such part or gist thereof as the Commission considers appropriate.

21 Date of commencement and duration of Transmission Licence

- 21.1 The Transmission Licence shall commence from such date the Commission may direct as the date of commencement of Licence and;
- 21.2 The Transmission Licence shall be valid for a period of twenty-five (25) years from the date of its commencement, unless it is duly suspended or revoked earlier by the Commission.
- 21.3 If the useful life of the transmission asset for which transmission License has been issued extends beyond the period of 25 years, the Commission may consider on merit of each case to grant License for another term for which the Licensee may make an application in accordance with Regulation 5, two years before the expiry of the initial period of License:

Provided that for projects awarded under section 63 of the act, License may be extended up to 35 years. Provided that when the Licensee does not make an application for grant of License beyond the initial period of 25 years, the Commission may, to protect the interest of the consumers or in public interest, issue such directions or formulate such schemes as it may deem necessary for operation of the transmission assets for the remaining part of its useful life.

- 21.4 In case of projects awarded under section 63, after 35 years, the project assets along with substation land with rights, right of way and clearances shall compulsorily be transferred to an agency as decided by the UT Government/administration after expiry of contract period of project, at zero cost and free from any encumbrance and liability.

Provided that the State Transmission Utility (STU) (being the planning agency), in the year which is three (3) years prior to the expiry of the project, will examine the need of upgradation of the system or renovation and modernization of the existing system depending on technological options and system studies at that time. The project may then be awarded to the successor bidder selected through a competitive bidding process for renovation and modernization, if required, and operation and maintenance after the contract period of the project. In case, any cost is incurred by STU towards examining the need for upgradation or renovation and modernization of the existing system and transfer of assets, the same may be recovered from the successor selected bidder. The successful bidder has to apply for the grant of fresh License as per the provisions specified under these Regulations.

- 21.5 In case the transmission Licensee awarded project under section 62 of the act decides to undertake renovation & modernization of the transmission system after the initial period of License, it shall make an application for approval of the cost of renovation and modernization along with the application for grant of fresh License, which shall be considered by the Commission in accordance with the prevalent norms.

22 Deposit of maps and proforma

- 22.1 When a Licence has been granted, three (3) sets of maps and proforma containing the particulars specified in Clause (22.2) below shall be signed and dated to correspond with the date of the notification of the grant of the Licence by the Secretary or any other officer designated by the Commission. One set of such maps shall be retained as the deposited maps by the said Officer and the other two (2) sets given to the Licensee:
- 22.2 The particulars to be given in the proforma under Clause (22.1) above shall be as under:
- A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant, and if the applicant is a company, the names of all the Directors of the company;
 - Type of Licence granted;
 - Location of the proposed area of operation;
 - A description of the proposed area of operation and;
 - The general conditions, the deviation there from and also the specific conditions, if any, which the Commission has laid down in the Licence with justification for any deviation granted from general conditions;
- 22.3 The Licensee, whenever required by the Commission shall furnish additional copy maps and also the maps and proforma in an electronic form.

23 Deposit of printed copies of Licence

- 23.1 Every person who is granted a Licence shall within thirty (30) days of the grant thereof arrange to keep the following as specified by Central Electricity Authority:
- (a) Have adequate number of copies of the Licence printed;
 - (b) Have adequate number of maps prepared showing the area of activity as specified in the Licence;
 - (c) Arrange to exhibit a copy of such Licence and maps for public inspection at all reasonable times at his head office, at his local offices (if any) and at the office of every local authority within the area of activity.
- 23.2 Every such Licensee shall, within the aforesaid period of thirty (30) days, supply free of charge one (1) copy of the Licence and the relevant maps to every local authority within the area of activity, and shall also make necessary arrangements for the sale of printed copies of the Licence to all persons applying for the same, at a price not exceeding normal photocopying charges thereof.

24 Amendment of a Transmission Licence

- 24.1 The Commission may initiate proceedings for amendment of a Transmission Licence, Suo-moto, or on an application of the Transmission Licensee or on receiving complaints or information from any person.
- 24.2 The application for amendment of the Licence made by the Licensee, shall be as per the Form specified in **Appendix – 3** of this Regulation and accompanied by such fee as may be prescribed by the Commission from time to time.
- 24.3 Until otherwise specified, the fees payable for amendment of Licence, shall be as per JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations with amendments;
- 24.4 Such application shall be accompanied with a statement of the proposed amendment and shall be supported by an affidavit as provided in JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments;
- 24.5 The applicant shall within seven (7) days from the date of admission of the application for amendment, publish a notice in two (2) daily newspapers, one in the English language and the other in the local language, having wide circulation in the area of operation of the Transmission Licence sought to be amended, giving the following particulars:
- (a) Brief Details of existing Transmission Licence;
 - (b) Proposed amendments to the existing Transmission Licence and brief reasons for seeking the amendment;
 - (c) The effect of the amendment proposed on the discharge of the functions of the Licensee under the Licence granted;
 - (d) The alternate arrangement proposed for such discharge of functions;
 - (e) The names, addresses and other necessary details of the person(s) nominated by the applicant in major cities or towns of area of proposed Transmission Licence, who can make available for inspection application and other documents or from whom they can be purchased in person or by post at reasonable charges, not exceeding photocopying charges;
 - (f) A statement that any person, desirous of making any suggestion or objection to the proposed amendment, may do so by filing a written petition addressed to the Secretary of the Commission within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice.
- 24.6 Where an amendment to a Transmission Licence is proposed by the Commission Suo-moto, the Commission shall publish a notice in two (2) daily newspapers one in English language and the other in Local language having wide circulation in the area of operation of the Transmission Licence sought to be amended and also on its website, giving the following particulars:
- (a) Name of the Transmission Licensee and address of main office in the area of supply;
 - (b) Description of alteration or amendment proposed to be made by the Commission;
 - (c) Brief reasons for proposed alteration or amendment;
 - (d) A statement that any person, desirous of making any suggestion or objection to the proposed amendment, may do so by filing written petition addressed to the Secretary within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice.

- 24.7 The publication shall give the addresses of the offices at which the application for amendment may be inspected and the copies of documents are purchased and shall state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation with reference to application to the Commission, may do so by letter addressed to such Officer as the Commission may designate in this behalf.
- 24.8 All objections to the proposed amendment, received within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice, shall be considered by the Commission before effecting or rejecting the proposed amendment.
- 24.9 Unless otherwise specified in writing by the Commission, the procedure specified in these Regulations for grant of Licence, in so far it can be applied, shall be followed while dealing with an application for amendment of the Licence.
- 24.10 In case of an application proposing alterations or modifications in respect of area of Transmission, comprising the whole or any part of any cantonment, aerodrome, forests, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Government for defense purpose, the Commission shall not make any alterations or modifications except with the consent of the Central Government.

25 Contravention by Transmission Licensee

- 25.1 The Commission may pass such orders, as it thinks fit, in accordance with the relevant provisions of the Act, for the contravention or the likely contravention, by a Licensee, of the terms or conditions of the Licence, any provisions of the applicable law or the rules or regulations made there under.
- 25.2 Subject to the provisions of the Act, the Commission may follow as far as possible the general procedure directed in these Regulations in dealing with a proceeding arising out of a contravention or likely contravention by a Licensee.

26 Grant of exemption from Licence

- 26.1 An exemption from Licence shall be granted in a manner that is consistent with the provisions of the applicable law and provision of the Act.

27 Revocation of the Transmission Licence

- 27.1 The proceedings for revocation of the Licence or for passing of any other orders stated in Section 19 of the Act, shall be initiated by an order passed by the Commission, which the Commission may initiate Suo moto or on application of the Licensee or on receiving any complaint or information from any person.
- 27.2 The procedure and the manner of revocation shall be consistent with the provisions inter-alia of Section 19 of the Act.
- 27.3 Subject to the provisions of the Act and the procedure contained therein, the enquiry by the Commission on the revocation of the Licence, in so far it is applicable, shall be in the same manner as prescribed in Regulation 18 above.
- 27.4 A Licensee himself wishing to apply for or give consent to the revocation or part revocation of his Licence may make an application to the Commission. The Commission shall pass orders on such applications, after hearing the Licensee and such other persons as it thinks fit.
- 27.5 The application for revocation of the Licence made by the Licensee or by any person shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Commission from time to time.
- 27.6 Until otherwise specified, the fees payable for revocation of a Transmission Licence, shall be as per JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;

28 Standards of Performance

- 28.1 The Commission may, after consultation with the Transmission Licensees and persons likely to be affected, specify standards of performance of a Licensee or a class of Licensees which in its opinion, are attainable and ought to be achieved by such Licensees, and different standards may be determined for different Licensees. The Commission may publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider appropriate.

29 Payment of Licence Fees

- 29.1 The Commission may while granting a Licence or an Exemption to undertake the business of transmission of electricity or any other order granting any privilege to any person may levy and collect the fee payable in accordance with provisions of the Act or JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments at the time of the grant of Licence or privilege and thereafter,

for each subsequent year that the Licence remains in force, the Licensee shall pay an annual Licence fees in accordance with the JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;

- 29.2 The fees payable under these regulations shall be paid by means of bank draft or pay order, drawn in favor of the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, Ambedkar Road, Panama Chowk Jammu, J&K.
- 29.3 The fees received by the Secretary of the Commission under these regulations shall be deposited in a bank account to be maintained by the Commission at such bank and in such Branches as the Commission may direct from time to time or in Government Account under relevant head of account.

Chapter- III

GENERAL CONDITIONS OF THE TRANSMISSION LICENCE

30 Activities of the Transmission Licensee

- 30.1 The Transmission Licensee shall perform his duties stipulated in Section 40 of the Act and fulfill the terms and conditions stipulated in the Licence.
- 30.2 The Transmission Licensee shall build, maintain, and operate an efficient coordinated transmission system.
- 30.3 The Transmission Licensee shall operate the transmission system economically so that the transmission charges can be kept minimum and thereby the component of transmission cost in the tariff is also kept minimum.
- 30.4 The Transmission Licensee shall operate the transmission system in such a manner that the parameters are maintained in the ranges prescribed in the Central Electricity Authority's Grid Standards all the time and ensure that the system is available at all times for generators to inject power (of agreed quantum) and for Distribution Licensees to draw power (of agreed quantum).
- 30.5 The Transmission Licensee shall coordinate with Regional Power Committee, Regional and State Load Despatch Centres, Central Transmission Utility, State Transmission Utility, generating companies and Licensees to ensure uninterrupted supply to the consumers.
- 30.6 The Transmission Licensee shall obtain prior written approval from the Commission before entering into any agreement with another company for supply of power to consumers in his area.
- 30.7 The Transmission Licensee shall install the meters, as required in accordance with the Central Electricity Authority (Installation and Operation of Meters) Regulations, 2006 as amended from time to time and maintain up to date records of energy transmitted by each element of the system and produce the same to the Commission and to other agencies, wherever required.
- 30.8 The Transmission Licensee shall establish adequate communication and information system facilities before commencing transmission.
- 30.9 The Transmission Licensee shall act in a prudent and reasonable manner in utilization of the Licence for obtaining credit facilities.
- 30.10 The Transmission Licensee shall under all circumstances retain operational control over his assets in the case of mortgage of his assets.
- 30.11 The Transmission Licensee shall seek approval of the Commission before advancing loans, or issuing any guarantee for any obligation of any person except when made or issued for the purposes of the Licensed Business, however loans to employees pursuant to their terms of service and advances to suppliers in the ordinary course of business are excluded from the requirement to seek such approval.
- 30.12 The Transmission Licensee may engage any affiliate to provide any goods or services to the Licensee, in connection with its transmission business, subject to the following conditions:
- (a) the transaction will be on an arms-length basis;
 - (b) the transaction will be structured consistent with any regulation framed by the Commission relating to the provision of goods and services with respect to the transmission business and;
 - (c) Transmission Licensee will give fifteen (15) days notice to the Commission prior to commencement of the proposed arrangement.

31 Prohibited Activities

- 31.1 No Licensee, except with prior approval of the Commission, shall undertake:

- (a) any transaction to acquire, through purchase or takeover or otherwise, any utility of any other Licensee; or
 - (b) merge his utility with another utility of any other Licensee.
- 31.2 No Licensee shall, without prior approval of the Commission, assign or transfer his utility or Licence or part thereof through sale, lease, exchange or otherwise.
- 31.3 Before obtaining approval under Clause (31.1) to (31.2) above, a Licensee shall give a notice of not less than one (1) month to every other Licensee, who distributes electricity in the area of such Licensee, who applies for such approval to the Commission.
- 31.4 Any agreement entered into by the Licensee in respect of Clause (31.1) to (31.3) above shall become void unless prior approval of the Commission is obtained thereto.
- 31.5 Where such permission is required, the Licensee shall file an application with the Commission duly furnishing all relevant information. The Commission may, within thirty (30) days of the receipt of such application, accord required permission subject to the terms and conditions as it deems necessary or reject the application for the reasons to be recorded in writing in support of such rejection.
- 31.6 The Transmission Licensee shall not make use of the assets of the system for a purpose other than transmission of electricity, except with the prior approval of the Commission as provided for in Regulation 35.

32 Transfer of Assets

- 32.1 The Transmission Licensee shall not, in a single transaction or a set of related transactions, transfer its utility or any part thereof by sale, lease, exchange or otherwise, without complying with the conditions stipulated in this Regulation 32.
- 32.2 The Transmission Licensee shall give to the Commission prior written notice of its intention to transfer its utility and disclose all relevant facts. The Commission may, within thirty (30) days of the receipt of the notice, seek further information in support of the transaction and shall, generally within thirty (30) days of such further information being submitted by the Transmission Licensee, and where no such further information is sought by the Commission as above, within sixty (60) days of the filing of the application, allow the transfer arrangement subject to such terms and conditions or modifications as may be considered appropriate or reject the same, by means of a reasoned order.
- 32.3 The Transmission Licensee may transfer its utility as is specified in any notice given under Clause (32.2) if:
- (a) the Commission confirms in writing that it consents to such transfer, subject to such conditions as the Commission may impose; or
 - (b) the Commission does not, within the time specified under Clause (32.2) for the decision of the Commission, give any response to the notice of the Transmission Licensee that it intends to deal with the application of the Transmission Licensee.
- 32.4 The Transmission Licensee may transfer its utility where:
- (a) the Commission has issued directions for the purposes of this Regulation 32 containing a general consent (whether or not subject to conditions) to transactions of a specified description, and/or the transfer of a specified description, and the transfer is in accordance with any conditions to which the consent is subject; or
 - (b) the transfer in question is required by or under the mandate of any law; or
 - (c) the asset in question was acquired and used by the Transmission Licensee exclusively or primarily in connection with any Other Business that it has been authorized to carry on pursuant to Regulation 21 and does not constitute a legal or beneficial interest in land, or otherwise form part of the transmission system or is not otherwise an asset required for the Licenced Business.
 - (d) Notwithstanding what is stated above, the Transmission Licensee will be entitled to utilize the assets as a means of facilitating funding or financing the Licenced Business in the ordinary course of business including loans and credit facilities from banks and financial institutions, subject to the conditions:
 - i. that the Transmission Licensee will inform the Commission about such arrangements at least fifteen (15) days prior to the effective date of the relevant agreements;
 - ii. the Transmission Licensee acts in a prudent and reasonable manner in such utilization of assets; and

- iii. the Transmission Licensee retains Operational Control over assets in the transmission system.

33 Other Business

- 33.1 The Transmission Licensee shall file an application for the Commission's approval for Other Business, in accordance with JERC of UT of J&K and Ladakh Treatment of Other Business of Transmission Licensees Regulations with amendments;
- 33.2 Where the Transmission Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the JERC of UT of J&K and Ladakh Treatment of Other Business of Transmission Licensees with amendments, and shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee;
- 33.3 Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the transmission business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with the JERC of UT of J & K and Ladakh Treatment of Other Business of Transmission Licensees with amendments, and submit to the Commission along with its application for determination of tariff;
- 33.4 Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee on account of such Other Business.

34 Accounts and Audit

- 34.1 Every Transmission Licensee shall cause the accounts of his utility to be made up the thirty-first (31) day of March each year.
- 34.2 The Transmission Licensee shall:
- (a) Maintain separate information and statement of accounts for the Licenced Business and any Other Business carried on by the Transmission Licensee;
 - (b) Provided, further that, the Licensee shall submit separate accounts for its Licenced Business and overall accounts of the Company as a whole.
 - (c) Maintain the statement of accounts in such form and containing such particulars as may be specified by the Commission and till such time as these are specified by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 as amended from time to time, where such Act is applicable;
 - (d) Prepare on a consistent basis, from such records, Accounting Statements for each financial year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:
 - i. Charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or;
 - ii. Determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description of the basis of the apportionment or allocation;
 - (e) Provide, in respect of the Accounting Statements prepared in accordance with foregoing Clauses, a report by the Auditors in respect of each year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, and liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate; and
 - (f) The Transmission Licensee shall prepare and render to the Commission an annual statement of his audited accounts in accordance with the provisions of the Act, within a period of six (6) months from the aforesaid date, or such extended period as the Commission may authorize after it is satisfied that the time allowed is insufficient owing to any cause beyond the control of the Licensee and the statement shall be rendered in such numbers of copies as the Commission directs;
 - (g) The accounts shall be made up in such forms as the Commission may direct from time to time. All the forms shall be signed by the Transmission Licensee or his accredited and duly authorized agent or manager;
 - (h) The Commission may by special or general order direct that, in addition to the submission of the annual statements of accounts in the forms directed in Clause 34.2 (f) above, a Transmission Licensee shall submit to the Commission or such other authority as it may designate in this behalf such additional information as it may require for the purpose;
- 34.3 Any person authorized by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the

Transmission Licensee and the Transmission Licensee shall render all necessary assistance to such person:

- 34.4 Provided, further that, if the Commission feel appropriate, the Commission may get the independent audit of the Transmission Licensee accounts from any independent agency, including Comptroller and Auditor General of India (CAG).
- 34.5 The Transmission Licensee shall not change the basis of charge or apportionment or allocation of revenues or expenses in relation to the preparation of the Accounting Statements in respect of a financial year from those applied in respect of the previous financial year, without prior approval from the Commission:
- 34.6 Provided that during the financial year that a Transmission Licensee changes the basis of charge or apportionment or allocation in its Accounting Statements from those adopted for the immediately preceding financial year, the Commission may direct the Transmission Licensee to prepare such Accounting Statements on the past basis in addition to preparing Accounting Statements on the basis which it has adopted.
- 34.7 If the Transmission Licensee is carrying on any Other Business for the optimum utilization of its assets, it shall prepare on a consistent basis from such accounting records and deliver to the Commission in accordance with the JERC for UT of J&K and Ladakh Treatment of Other Business of Transmission Licensees Regulations;
- 34.8 The Transmission Licensee shall ensure that the Accounting Statements in respect of each financial year and the Auditors report in respect of each financial year mentioned herein above are publicized in such manner as the Commission may direct, and are made available to any person requesting them, at a price not exceeding the reasonable cost of duplicating them, or such price as the Commission may specify.

35 Business Plan

- 35.1 The Transmission Licensee shall file for the Commission's approval a Business Plan for the entire Control Period, duly approved by the competent authority, in accordance with the JERC For UT of J&K and Ladakh Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff Regulations and its amendments;

36 Investments

- 36.1 The Transmission Licensee shall make the investments in a prudent manner, being guided by the duty to build, maintain and operate an efficient, coordinated and economical transmission system in the Union Territories.
- 36.2 The transmission Licensee shall ensure that augmentation of transmission system is done so that the overloaded portions are augmented as required.
- 36.3 The Transmission Licensee shall duly comply with the JERC For UT of J & K and Ladakh Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff Regulations and its amendments;

37 Procurement of Material/ Equipment/ Services

- 37.1 The Transmission Licensee shall procure all material/equipment or execute any contract for availing services only through the transparent competitive bidding process.

38 Major Incidents

- 38.1 The Transmission Licensee shall notify to the Commission any major incident that has occurred in the area of the Transmission Licensee. A deviation from any part of the transmission system from standard operating condition, which was triggered by cross boundary effect, in the system of generators, distribution system or in the system of extra high voltage consumers which has resulted in the loss of equipment or life of a person or animal, shall be deemed a major incident. The Transmission Licensee shall also:
 - (a) submit a detailed report giving facts of the incidents, the causes and the adverse effects on the total power system(The total power system comprises the transmission system, generating units, distribution systems and the systems of the EHT consumers);
 - (b) Submit a note containing the Licensee's analysis of the major incident and suggestions for carrying out remedial measures for preventing recurrence of such major incidents;
 - (c) The Transmission Licensee shall at the earliest possible date and in any event, no later than two (2) months from the date of such Major Incident:
 - i. Submit a report to the Commission giving full details of the facts within the knowledge of the Licensee regarding the incident and its cause;
 - ii. In the event the report under sub-clause (a) is likely to take more than fifteen (15) days from the date of the Major Incident, the Transmission Licensee shall within fifteen(15) days from such date

of the incident submit a preliminary report with such details which the Transmission Licensee can reasonably furnish and state reasons as to why the Transmission Licensee requires more than fifteen (15) days for giving full report of such incident;

- iii. Send copies of the report and note to the State Load Despatch Centre, State Transmission Utility, UT Government/ Administration, and Chief Electrical Inspectorate etc.
- 38.2 The Commission may direct an independent person to investigate in the case of a major incident and submit his report.
- 38.3 The Commission may analyze the report and the information received from all sources and will decide whether a major incident is a Force Majeure event or is caused by violation of conditions of Transmission Licence or provisions of Grid Code or provisions of the Act or the rules and regulations under the Act.
- 38.4 The Commission may decide the following:
- (a) remedial measures to be taken by one or more operators (or owners) of the parts of the total power system (including the Transmission Licensee) to prevent recurrence of similar major incidents;
 - (b) Punitive measures to be imposed on one or more persons for lapses which caused the major incident;
 - (c) Compensation to be paid by one party to another party [by the owner (or operator) of a segment of the total power system to the owner (or operator) of another segment of the total power system].
- 38.5 The Commission may send its views and decisions on the major incident to the State Load Despatch Centre, Chief Electrical Inspector, State Transmission Utility etc.

39 Open Access

- 39.1 The Transmission Licensee shall arrange for the provision of non-discriminatory open access to its transmission system to any persons in accordance with the Open Access Regulations adopted/issued (as applicable) by the Commission under Section 42 of the Act.

40 Expected Revenue and Tariff Filings

- 40.1 The Transmission Licensee shall follow the methodology, procedures and other directions included in the Tariff Regulations while filing statements of expected revenue from charges and for proposing or amending any or all of its tariffs.
- 40.2 The amount that the Licensee is permitted to recover from its tariffs in any financial year is the amount that the Commission determines in accordance with the financial principles and their applications provided in Section 62 of the Electricity Act 2003, as will allow the Transmission Licensee a fair opportunity to earn a reasonable return.
- 40.3 The Transmission Licensee shall establish a tariff as approved by the Commission, for the Licensee's Transmission Business and shall calculate its charges in accordance with this Licence, the Regulations, the orders of the Commission and other requirements prescribed by the Commission from time to time.
- 40.4 The Transmission Licensee shall publish a tariff for its Transmission of electricity reflecting the tariff charges and the other terms and conditions contained in the approved tariffs referred to in Clause (40.3) above or as directed by the Commission.
- 40.5 The Transmission Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act and applicable Regulations and directions of the Commission.
- 40.6 The Transmission Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act, if the Commission so requires in order to remove any undue discrimination identified by the Commission.
- 40.7 In case the Licensee has been selected for implementation of the project in accordance with Tariff based Competitive-bidding Guidelines for Transmission Service, notified by Ministry of Power, GoI, the transmission tariff shall be adopted by the Commission in accordance with Section 63 of the Act.
- Provided that in case the Licence is granted for another term, the tariff for the extended period upto 35th year shall be payable on the basis of the rate quoted by the bidder for the extended period as adopted by the Commission for the respective year of operation.
- 40.8 The impact of change of law on the transmission charges adopted by the Commission in accordance with Section 63 of the Act shall be subject to the provisions made in the agreements.

41 Provision of Information to the Commission and other Stakeholders

- 41.1 The Transmission Licensee shall furnish to the Commission without undue delay such information,

documents and details related to the Licenced Business or any other business of the Licensee engaged for optimum utilization of the assets of the Licenced Business, as the Commission may require from time to time for its own purposes or for the purposes of the Government of India, State Government, the Central Commission, and/or the Central Electricity Authority, the State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre.

- 41.2 The Transmission Licensee shall also undertake such studies as the Commission may direct it to undertake from time to time for the improvement of its transmission business and any other matter concerning the transmission business.
- 41.3 The Transmission Licensee shall duly inform the Commission about any incident restricting it from meeting its obligations under its Licence including any act of Commission or commission by others and steps taken by the Licensee to mitigate the effect of such incident.
- 41.4 The Commission may at any time require the Licensee to comply with the provisions of Clauses 41.3 as to incidents which the Commission may specifically direct and the Licensee shall be obliged to comply with the same.
- 41.5 The Transmission Licensee shall provide details/data/documents available in material form as required by the stakeholders/consumers/consumer associations/consumer bodies, etc., within the time frame as prescribed by the Commission from time to time. If no time frame is prescribed by the Commission the Licensee shall provide the same within a maximum period of thirty (30) days from the date of request.

Chapter - IV

TECHNICAL CONDITIONS OF THE TRANSMISSION LICENCE

42 Transmission Planning, Power Supply Planning and Security Standards, Transmission Operating Standards; and Power Supply Operating Standards

- 42.1 The Transmission Licensee shall plan and operate the Transmission System so as to ensure that the Transmission System is capable of providing an efficient, coordinated and economical system of Transmission.
- 42.2 In particular, the Transmission Licensee shall:
 - (a) plan and develop its Transmission System in accordance with the Transmission System Planning and Security Standards together with the Grid Code as approved by the Commission; and
 - (b) operate the Transmission Licensee's Transmission System in accordance with the Transmission System Operating Standards together with the Grid Code as approved by the Commission.
- 42.3 The Transmission Licensee shall make arrangements, within twelve (12) months from the date of issue of Licence, to comply with the Power Supply Planning and Security Standards and Power Supply Operating Standards.
- 42.4 The Transmission Licensee shall, within sixty (60) days from the date when Licence becomes effective; submit to the Commission the existing standards for the following:
 - (a) Standards for its Transmission System, Planning and Security Standards, Operating Standards;
 - (b) Standards for its Power Supply System, Planning and Security Standards, Operating Standards;
 - (c) Including those relating to:
Generation Capacity connected to its Transmission System being followed by the Licensee;
Such existing standards, with such modification as the Commission may direct, shall continue to remain in effect until new standards approved by the Commission pursuant to Clause (42.5) and (42.6) take effect.
- 42.5 The Transmission Licensee shall, within six (6) months, or such longer time as the Commission may allow, after Licence has become effective, prepare, in consultation with the Suppliers, Generating Companies, Central Transmission utility, Regional Electricity Boards and such other Person as the Commission may specify, and submit to the Commission for approval the Licensee's proposal for Transmission Planning and Security Standards. Transmission Operating Standards, Power Supply Planning and Security Standards and Power Supply Operating Standards in accordance with Regulation 42.
- 42.6 The Transmission Planning and Security Standards, Transmission Operating Standards, Power Supply Planning and Security Standards and Power supply Operating Standards submitted by the Licensee pursuant to this paragraph, with such modifications as the Commission may require, shall take effect from such date

as the Commission may specify.

- 42.7 The Transmission Licensee shall not be in breach of its obligations under the Licence if it has failed to meet the Transmission Planning and Security Standards or the Transmission Operating Standards directly due to Force Majeure, provided, the Licensee has used its reasonable efforts, to the extent reasonably possible, to comply with the Transmission Planning and Security Standards or the Transmission Operating Standards as the case may be.
- 42.8 The Transmission Licensee shall make reasonable arrangements to provide for sale to Suppliers, sufficient electricity to meet Power Supply Planning and Security Standards and Power Supply Operating Standards approved by the Commission.
- 42.9 The Transmission Licensee shall, in consultation with Suppliers, the Generating Companies, Distribution Licensees in the UT, the Central Transmission Utility, and such other persons as the Commission may order, review Standards and their implementation on each occasion. Following such review, the Transmission Licensee shall send to the Commission:
- (a) a report on the outcome of such review; and
 - (b) any revision which the Licensee proposes to make to such documents from time to time (having regard to the outcome of such review); and any written representations or objections (including those not accepted by the Licensee) from Suppliers, Generating Companies, Central Transmission Utility, and such other Persons as the Commission may order during consultation process;
 - (c) The Commission may, upon application of the Transmission Licensee, relieve the Transmission Licensee from obligation to review the standards and their implementation, to such extent as shall be specified in directions issued to the Transmission Licensee by the Commission for the purposes of this condition.
- 42.10 Having regard to any written representations or objections referred to in Regulation 42.9(c), and following such further consultation (if any) as the Commission may consider appropriate, it may issue directions requiring the Transmission Licensee to revise the standards in such manner as may be specified in the directions.
- 42.11 The Commission may issue directions requiring the Transmission Licensee to revise any of the standards in such manner as may be specified by the Commission.
- 42.12 The Transmission Licensee in consultation with the Distribution Licensee(s) shall, on an annual basis:
- (a) forecast the demand for power within the Area of Transmission and Bulk Supply in each of the next succeeding ten (10) years; and
 - (b) prepare and submit forecasts to the Commission in accordance with the guidelines issued by the Commission from time to time.
- 42.13 The Transmission Licensee shall within three (3) months of the end of each financial year, submit to the Commission a report indicating the performance of the Transmission System during the previous financial year.
- 42.14 The Transmission Licensee shall, if required by the Commission, publish a summary of the report in a manner to be determined by the Commission.

43 Compliance with Grid Code by the Transmission Licensee

- 43.1 The Transmission Licensee shall ensure due compliance with the Indian Electricity Grid Code and JERC State Grid Code, adopted or notified and as amended from time to time.
- 43.2 The Commission may, on reasonable grounds and after consultation with the affected Generation Company, Transmission Licensee, the State Transmission Utility, the State Load Despatch Centre and electricity traders, issue direction relieving the Licensee of its obligation in respect of such parts of the State Grid Code and to such extent as may be decided by the Commission.

44 Operational Planning of Transmission assests

- 44.1 Having regard to information provided to it by Suppliers, Generating Companies, Central Transmission Utility, Distribution Licensees and other utilities in the region (including information as to forecast levels of electricity demand and availability of generation capacity) and keeping into consideration requirements of the Transmission Planning and Security Standards and the Transmission operating Standards referred to in this Licence, the Transmission Licensee in consultation with the Distribution Licensee(s) shall undertake operational planning matching to possible output of all Generating Sets contracted to it and any other Bulk Supply and other sources or electrical energy connected to the Transmission Licensee's Transmission

System (including a reserve of generation to provide a security margin or generation availability) with forecast demand after taking into account, inter alia:

- (a) unavailability of Generating Sets; and
- (b) constraints from time to time imposed by technical limitations on the Total System or interconnections with other transmission systems or any part(s) thereof;
- (c) consistent with this Clause (44.1) and in accordance with the Grid Codes, for the removal from service of parts of the transmission systems for maintenance, repair extension of reinforcement.

44.2 Taking account of the factors referred to in Clause (44.3) the Licensee shall schedule and issue direct instructions for dispatch of power from the Generating Sets and other sources of power as are at such times available to generate electricity and which are subject to dispatch instructions:

- (a) in ascending order of relevant prices that are offered for the generation of electricity into the Total System, keeping in view the constraints on hydro-electric generation; and
- (b) as will in aggregate (and after taking account of electricity delivered to or from the Total System from or to other sources) be sufficient to match at all times (to the extent possible having regard to the availability of Generation sets) expected demand, taking account of information provided by Suppliers, the Central Transmission Utility and the Regional Electricity Board together with an appropriate margin of reserve.

44.3 The factors referred to in Clause 44.2 include:

- (a) expected demand (including losses);
- (b) Economic and technical constraints from time to time imposed on the Total System or any part or parts thereof;
- (c) the dynamic operating characteristics of available Generating Sets; and
- (d) other matters provided for in the Grid Code.

44.4 The Transmission Licensee shall provide to the Commission such information as the Commission shall require concerning the merit order dispatch described in Clause (44.2(a)) or any aspect of its operation.

45 Requirement to Offer Terms for Use of System and Connection to System

45.1 The Transmission Licensee shall make such arrangements for use of the Transmission System by third parties as are specified in the Regulation 45. On application made by any such third party, the Transmission Licensee shall offer to enter into an agreement with that person for the use of the Transmission System.

- (a) to accept into the Transmission System electricity provided by that Person;
- (b) to deliver such electricity, adjusted for losses of electricity, to a designated exit point;
- (c) that specifies that use of System charges to be paid by the user, shall be in accordance Regulation 40.

Explanation: The third parties referred to in this Clause (45.1) means:

- (a) Persons authorized under a legislation enacted by the Union of India to wheel power across the Transmission System in an inter-state conveyance of energy;
- (b) Such persons as the Commission may authorize to use the Transmission system.

45.2 On application made by a Supplier for grant of a connection to a Consumer wishing to be connected directly to the Transmission System, the Licensee shall offer to enter into an agreement with such Supplier and/or Consumer, as the case may be, for connection to the Transmission System or for modification of such an existing connection and such offer shall make provision for:

- (a) carrying out of works necessary to make the required connection, including the installation of meters;
- (b) carrying out any necessary work to reinforce the Licensee's Transmission System;
- (c) connection charges to be paid in accordance with Regulations 40; and
- (d) date of completion and such other terms as are relevant to the circumstances.

45.3 The Transmission Licensee shall offer terms for agreements in accordance with Clause (45.1) or (45.2) as soon as practicable but (save where the Commission consents to a longer period) no more than two (2) months after an application under Clause (45.1) or (45.2) is made.

- 45.4 The Transmission Licensee shall not be obliged pursuant to Regulation 30 to offer to enter or to enter into any agreement if it is:
- (a) likely to involve the Transmission Licensee;
 - i. in breach of its duties under Section 17 of the Act or;
 - ii. in breach of any rules or Regulations relating to safety or standards applicable to the Transmission Business; or
 - iii. in breach of the Grid Code; or
 - iv. in breach of any of the conditions of this Licence; or if
 - (b) the persons making the application does not undertake to comply with the Grid Code from time to time in force to the extent that it is applicable to that Person, or;
 - (c) in case of persons making application for Use of System under Clause (45.1) such person ceases to be authorized as specified therein; or
 - (d) in case the persons do not have the financial resources to pay the transmission charges.
- 45.5 If, after a period, which appears to the Commission to be reasonable for the purpose, the Licensee has failed to enter into an agreement with any applicant referred to in Clause (45.1) and (45.2) pursuant to a request under Clause 45, the Commission may at the request of a party settle such terms in dispute between the Licensee and that Person and, the Transmission Licensee shall forth with enter into and implement such agreement in accordance with its terms as settled by the Commission.
- 45.6 The Transmission Licensee shall prepare and submit to the Commission on annual basis, a settlement showing in respect of each of the five (5) succeeding financial years, forecasts of circuits capacity, power flows and loading on the Transmission System under standard planning criteria, together with:
- (a) such further information as shall be reasonably necessary to enable any Person seeking use of System to identify and evaluate the opportunities available when connecting to and making use of such system; and
 - (b) a commentary prepared by the Licensee indicating the Licensee's views as to those parts of the Licensee's Transmission System most suited to new connections and transport of further quantities of electricity.
- 45.7 At the request of a person or a supplier who wishes to use the Transmission System under Clause (45.1) or (45.2) the Transmission Licensee shall prepare an update to the above statement, incorporating most recent data but specifically including any facility for which any other Person or a Supplier has requested use of and connection to the Transmission System.
- 45.8 The Transmission Licensee may make a charge for any statement given or sent to Persons seeking Use of System, of an amount reflecting the Transmission Licensee's reasonable costs of providing such a statement.

**PART B: Procedure, Terms & Conditions for Grant of Distribution Licence and other Related Matters
Regulations, 2023**

CHAPTER – V

PROCEDURE FOR GRANT OF DISTRIBUTION LICENCE

46 Application for Grant of Distribution Licence

- 46.1 The Regulations contained herein shall apply to all person desirous of engaging in the business of Distribution of Electricity within the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh.
- 46.2 An application for any Distribution Licence shall be made in accordance with the provision of the Act and these Regulations.
- 46.3 An applicant shall make an application to the Commission for grant of licence in the form specified in **Appendix -4** of these Regulations and in the manner directed by the Commission and accompanied by such fee as may be prescribed by the Government from time to time.
- 46.4 Until otherwise specified, the fees payable for grant of licence, shall be as per JERC for UT of J&K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;
- 46.5 Any person intending to apply for licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.

46.6 Every application for grant of licence shall be signed by the applicant or by an authorized signatory on behalf of the applicant and shall be addressed to the Secretary of the Commission or such officer as the Commission may designate in this behalf and it shall be accompanied by:

- (a) Six (6) copies of the application in print, and one (1) soft copy of the draft licence as proposed by the applicant with the name and address of the applicant and of his agent (if any) printed on the outside of the draft;
- (b) Three (3) copies, each signed by the applicant, of maps of the proposed service area and, in the case of supply of the streets or roads in which the supply of electricity is to be made, which shall be so marked or coloured as to define any portions of such area and streets or roads which are under the administrative control of any local authority and shall be on a scale:
 - i. Maps of the proposed area of licence on a scale of not less than 10 cm to a km; or
 - ii. if no such maps are available, of not less than that of the largest scale ordinance maps available; or
 - iii. such other scale as may be approved by the Commission in a specific case.
- (c) A Detailed map(s) of the proposed area for supply, showing the area to be supplied and the configuration of the Distribution system. The map(s) shall clearly distinguish between the existing system and any new facilities that are or will be required for the purpose of providing supply of electricity. The map(s) shall indicate the sub-station, distribution mains, Distribution network, streets and roads on which energy is supplied to various consumers and distinguish between public and private consumers;
- (d) A detailed project report in relation to the construction, operation and/or maintenance of the Distribution system proposed to be undertaken by the Applicant in the Area of Distribution;
- (e) A list of all the local authorities (viz. Gram Panchayat, Taluka Panchayat, District Panchayat, Municipal Area) vested with the administration of any portion of the proposed Area of Licence through which the proposed Distribution line will pass;
- (f) An approximate statement describing any land which the Applicant proposes to acquire for the purpose of the Licenced Business and the means of such acquisition;
- (g) An approximate statement of the capital proposed to be expended in connection with the utility and such other particulars as the Commission may require;
- (h) A relevant information pertaining to the availability of adequate number of competent personnel to construct, operate and/or maintain the Distribution system effectively and efficiently, the availability of infrastructure facilities and the financial capacity to carry out the project;
- (i) A copy of the Memorandum and Articles of Association of the company, where the Applicant is a body corporate, and similar applicable documents of incorporation, registration or agreement in case of other business entities;
- (j) Accompanying notes and certifications, if any, on the above statements, from a chartered accountant;
- (k) A copy of the Annual accounts of the Applicant for the previous three years or other similar documents as may be required;
- (l) A receipt for such payment of application fee as specified in accordance with Clause 46.4 above;
- (m) Applicant's details including technical, capital adequacy and credit-worthiness;
- (n) A copy of letter seeking consent from local authority or consent letter;
- (o) A copy of letter seeking consent from the Central Government as per Section 15(2)(ii) of the Act, if applicable;
- (p) Where the Applicant is a company, details of any group company engaged in the business of generation, distribution, Distribution or trading, whether within the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh or in any other State;
- (q) Where the Applicant is not a company, details of the business of generation, distribution, Distribution or trading, whether within the UT of Jammu & Kashmir and Ladakh or in any other State, in which the Applicant is directly or indirectly interested;
- (r) Brief history of the promoters where the Applicant is a company;

- (s) Such other documents or information as the Commission may seek;

47 Copies of maps and draft licence for public inspection

- 47.1 The applicant shall keep at his own office and of his agents (if any) and shall deposit at the office of every local authority invested with the administration of any portion of the proposed area of supply:
- i. Copies of the maps referred to in Clause 46.6 (b) above for public inspection; and
 - ii. A sufficient number of copies of the draft licence shall be furnished to all persons applying for them at a price not exceeding the normal photocopying charges.

48 Contents of Draft Licence

- 48.1 The Draft Licence shall contain the following particulars:
- i. A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant and if the applicant is a company, the names of all the directors of the company;
 - ii. Type of Licence applied for;
 - iii. Locations of the proposed service area;
 - iv. A description of the proposed area; and
 - v. Such other particulars as the Commission may direct.

49 Conditions of Distribution Licence

- 49.1 The General Conditions subject to which each of the categories of licence shall be laid down by the Commission.
- 49.2 The Commission may decide on the special conditions subject to which licence shall be issued to the applicant.
- 49.3 Any person intending to apply for licence shall duly comply with the conditions and requirements laid down by the Commission.

50 Form of Draft Licence

- 50.1 The Commission may, from time to time, prescribe the form of licence to be issued and this form of licence may, with such variation as the circumstances of each case require, be used for the purposes of these Regulations.

51 Receipt and Acknowledgement of Application

- 51.1 Upon receipt of the application for grant of Distribution Licence, the Secretary of the Commission or the Receiving Officer shall enter the particulars thereof in a register to be maintained for this purpose and allot a reference number to the application. The Secretary or the Receiving Officer shall send an acknowledgement to the Applicant at the address stated in the application including the date of receipt and the reference number.

52 Scrutiny of Application and Calling for Additional information

- 52.1 The Commission or the Secretary or any other officer designated by the Commission for this purpose, may, upon scrutiny of the application, require the Applicant to furnish, such additional information or documents as may be considered necessary for the purpose of dealing with the application.
- 52.2 The scrutiny of an application shall be in accordance with the JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments;
- Provided, that, if on scrutiny, an application for grant of a licence is found to be incomplete or deficient in any manner, it shall be returned to the applicant for making a fresh application after completing it or removing deficiencies. The applicant shall be advised in writing of any defects in the pleadings and the time allowed to rectify them. The applicant shall follow the procedure laid down in this regulation in respect of his fresh application except that the application processing fee will not be required to be paid again.

53 Notifying the due filing of the application

- 53.1 If the Commission finds the application to be complete, accompanied by the requisite information, particulars and documents, and finds that the applicant has complied with all the requirements for making the application and furnishing of information, particulars and documents, the Commission or the Secretary shall certify that the application is ready for being considered for grant of licence in accordance with the

applicable laws.

54 Public Notice of Application

54.1 Unless exempted by the applicable laws/Commission, the Applicant shall, within seven (7) days from date of admission of the application, publish a notice of his application by public advertisement in one English and one Local daily newspapers having wide circulation in the area of Distribution for which the Licence is sought, and such advertisement shall contain such particulars as have been directed by the Commission in these Regulations, namely:

- (a) Name of the Applicant in bold at the top clearly bringing out whether the Applicant is an individual, or a partnership firm registered under the Indian Partnership Act, 1932, or a private limited company or a public limited company, incorporated under the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 or any other incorporated or unincorporated body giving full particulars of its office address and also the registered office address, if any;
- (b) A statement that the Applicant has submitted an application to the Commission for grant of a Distribution Licence under Section 15 of the Act;
- (c) Proposed Area of Distribution Licence;
- (d) Financial and technical strength, management profile and share holding pattern, if any, of the Applicant;
- (e) A statement to the effect that the application and other documents filed before the Commission from time to time, are available with the Applicant for inspection by any person;
- (f) The names, addresses and other necessary details of the person(s) nominated by the applicant in major cities or towns of area of proposed Distribution Licence, who can make available for inspection, the application and other documents or from whom they can be purchased in person, or by post at reasonable charges, not exceeding photocopying charges;
- (g) Brief particulars of the proposed Distribution Licence;
- (h) A statement to the effect that the completed application is available on the website of the Applicant or any other authorized website and can be downloaded free of cost;
- (i) A statement that objections, if any, may be filed before the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, Ambedkar Road, Panama Chowk, Jammu, J&K within thirty (30) days of publication of the notice.
- (j) Provided that the Applicant may request the Commission to permit it to refrain from publishing any of the above information in order to protect its business interests or rights in intellectual property with sufficient and reasonable grounds and the Commission may grant or reject such request after due consideration;
- (k) Provided further that the Applicant may be required to publish, in the manner specified, a non-confidential summary of the above information;
- (l) In addition to the above, the Commission may direct that notice of the application be served on any designated representative of the Central Government; the UT Government/Administration, any local authority or any other authority or person or body as the Commission may deem appropriate;
- (m) The Applicant shall, within seven (7) days from the date of publication of the notice as aforesaid, submit to the Commission an affidavit, the details of the notice published, and shall also file relevant copies of the newspapers in which the notices were published.

55 Public Inspection of Application and Documents

- 55.1 From the date of publication of notice in accordance with Regulation 54.1 above, the Applicant shall make available at its own office and the office/s of its agents (if any) and also with every local authority as may be specified by the Commission from time to time, copies of the application and all the documents submitted therewith.
- 55.2 The Applicant shall furnish, to all persons applying, printed copies of its application, together with the attachments thereto, at the reasonable cost of photocopying such material.

56 Amendment of Draft Licence

- 56.1 Any person who desires to have any amendment made in the Draft Licence shall deliver a statement of the amendment to the applicant and to Secretary or such Officer as the Commission may designate in this behalf within a period thirty (30) days from the date of publication of notice of the application by way of advertisement in newspapers.

57 Objections and Suggestions

- 57.1 Any person intending to object/suggest to the grant of the Distribution Licence shall file
- 57.2 objections/suggestions within thirty (30) days from the date of issue of the first advertisement referred to in 56.1 above. The objections/suggestions shall be addressed to the Secretary of the Commission, with a copy to the Applicant.
- 57.3 Where an objection is received from any local authority concerned, the Commission shall, if in its opinion the objection is untenable, record the opinion in writing and communicate it to such local authority along with reasons, therefor.
- 57.4 Upon receipt of such objections/suggestions, the Secretary/designated officer shall imprint the reference number of the concerned application for grant of Distribution Licence on the same and shall place such objections in the file relating to the concerned application, and also post the same on the Commission's website.
- 57.5 The Applicant shall submit comments on the objections or suggestions received in response to the notice under 54.1 above within fifteen (15) days of expiry of thirty (30) days' notice mentioned in 54.1 above.
- 57.6 The objection/suggestions/comments on the objections shall be filed in the form of a reply and the provisions of JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments;
- 57.7 In case of an application for a Distribution Licence for an area including the whole or any part of any cantonment, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Central Government for defense purposes, before granting Distribution Licence, the Commission shall ascertain that there is no objection, on the part of the Central Government, for grant of such Licence:
- 57.8 Provided that in case there is no response from the Central Government in this regard, the Commission may, at its discretion, proceed further in accordance with Law.

58 Hearing and local inquiry

- 58.1 If the applicant has duly arranged for the publication of the notice of the intended application and the time for filing of the objections is over and after the applicant has furnished to the Commission the no objection, if required from the Central Government, the Commission shall proceed to place the application for regular hearing.
- 58.2 The Commission shall give the notice of inquiry or hearing to the applicant, the persons who had filed objections, the Central Government, the concerned Government and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate.
- 58.3 If any person objects to the grant of licence applied for, the Commission shall, if either the applicant or the objector so desires, cause a local inquiry to be held of which the notice in writing shall be given to both the applicant and the objector:
- 58.4 Provided that the Commission may refuse such an inquiry if in its opinion the objection is of a trifling or vexatious nature;
- 58.5 Provided further that the Commission may, for reasons to be recorded in writing, extend the time fixed by it for the local enquiry.
- 58.6 In case of such local inquiry, a memorandum of results of the local inquiry made shall be prepared and shall be signed by the applicant, the Officer or person designated for the purpose and such other person as the Commission may direct.
- 58.7 The hearing on the application for grant of licence shall thereafter proceed as far as possible in the same manner as provided under Clause 58.7.
- 58.8 The result of the local enquiry shall be considered by the Commission while hearing the application for grant of Licence.
- 58.9 The Commission may determine the stages, manner, the place, the date and the time of the hearing of a matter and also time of hearing to the applicant, the Central Government, the UT Government/ Administration, the local authority and such other authority, person or body as the Commission considers appropriate. The Commission as it may consider appropriate and proceed further in any one or more of the following manners:
- (a) The Commission may decide the matter on the pleadings of the parties or may call for the parties to produce evidence by way of affidavit or lead oral evidence in the matter.
- (b) If the Commission directs evidence of a party to be led by way of oral submissions, the Commission

may, if considered necessary or expedient, grant an opportunity to the other party to cross-examine the persons giving evidence.

- (c) The Commission may, if considered necessary or expedient, direct that the evidence of any of the parties be recorded by an Officer or person designated for the purpose by the Commission.
- (d) The Commission may direct the parties to file written note(s) of arguments or submissions in the matter.

59 Approval of draft Distribution licence

- 59.1 After inquiry, if any, and the hearing of the application, the Commission may decide to grant or refuse the licence:

Provided, however, that the Commission shall in no event reject an application without giving the Applicant an opportunity of being heard, either by requiring the Applicant to file responses in writing or by conducting an oral hearing.

- 59.2 If the Commission decides to grant the Distribution Licence, the licence shall be in the form specified in Appendix-5 of these Regulations:

Provided that the Commission may add to alter or amend the form specified for a licence as it may in its discretion deem necessary, subject to such other terms and conditions as the Commission may direct.

- 59.3 Before granting any licence, the Commission shall publish a notice in two (2) such daily newspapers, as the Commission may consider necessary and on its website, stating name and address of the person to whom it proposes to issue the licence, with such other details as the Commission considers appropriate.
- 59.4 When the Commission has approved a draft licence either in its original form or in a modified form, the Secretary or such other officer as the Commission may designate in this behalf, shall inform the applicant of such approval and of the form in which it is proposed to grant the licence and the conditions to be satisfied by the applicant including the fees to be paid by the applicant for the grant of the licence.
- 59.5 The Commission shall immediately after issue of a licence forward a copy of the licence to the concerned Government, Central Electricity Authority, local authority, and to such other persons as the Commission considers necessary. The Commission shall also upload the copy of Licence granted, on its website.
- 59.6 If the Applicant is willing to accept the Distribution Licence with the modifications, changes or additions, if any, and subject to such other terms and conditions as the Commission may direct under Clause (16.1) above, the applicant shall acknowledge acceptance to the Commission within seven (7) days of receipt of the approval from the Commission.
- 59.7 Where the Commission has decided to refuse the grant of Distribution Licence, the Secretary shall, within fourteen (14) days of such refusal, inform the Applicant of such refusal enclosing a copy of the reasoned order of the Commission in support of such refusal.

60 Notification of Grant of Distribution Licence

- 60.1 On receiving intimation in writing from the applicant that he is willing to accept the licence in the form approved by the Commission and after the applicant satisfies the conditions imposed for grant of the licence, the Commission shall publish the licence or such part or gist thereof as the Commission considers appropriate.

61 Application for grant of Distribution Licence in area of supply of existing Distribution Licensee

- 61.1 A person applying for grant of a licence for distribution of electricity through his own distribution system within the same area of supply of an existing Distribution Licensee shall, in addition to the provisions of Regulation 3, comply with such additional requirements including capital adequacy, creditworthiness or code of conduct as prescribed by the Central Government as per Distribution of Electricity Licence (additional requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005 as amended from time to time. The existing provisions of Distribution of Electricity Licence (additional requirements of Capital Adequacy, Creditworthiness and Code of Conduct) Rules, 2005 in this regard are as follows:

“Requirements of capital adequacy and creditworthiness.

(1) The Commission shall, upon receipt of an application for grant of licence for distribution of electricity under sub-section (1) of section 15 of the Electricity Act, 2003, decide the requirement of capital investment for distribution network after hearing the applicant and keeping in view the size of the area of supply and the service obligation within that area in terms of section 43.

(2) The applicant for grant of licence shall be required to satisfy the Commission that on a norm of 30% equity on cost of investment as determined under sub-rule (1), he including the promoters, in case the applicant is a company, would be in a position to make available resources for such equity of the project on the basis of net worth and generation of internal resources of his business including of promoters in the preceding three years after excluding his other committed investments.

Explanation :- For the grant of a licence for distribution of electricity within the same area in terms of sixth proviso to section 14 of the Act, the area falling within a Municipal Council or a Municipal Corporation as defined in the article 243(Q) of the Constitution of India or a revenue district shall be the minimum area of supply."

"Requirements of Code of Conduct.

The applicant for grant of licence shall satisfy the Commission that he has not been found guilty or has not been disqualified under any of the following provisions within the last three years from the date of the application for the grant of licence:

(a) section 203, section 274, section 388B or section 397 of the Companies Act, 1956;

(b) section 276, section 276B, section 276BB, section 276C, section 277 or section 278 of the Income tax Act, 1961;

(c) section 15C, section 15G, section 15H or section 15HA of the Securities and Exchange Board of India Act 1992;

(d) clause (b), (bb), (bbb), (bbbb), (c) or (d) of sub-section (1) of section 9 of the Excise Act 1944;

(e) section 132 or section 135 of the Customs Act 1962,

and that the applicant is not a person in whose case licence was suspended under Section 24 or revoked under Section 19 of the Act, within the last three years from the date of application:

Provided that where the applicant is a company, it shall satisfy the Commission in addition to provisions of this rule that no petition for winding up of the company or any other company of the same promoter has been admitted under Section 443 (e) of the Companies Act, 1956 on the ground of its being unable to pay its debts."

62 Deemed grant of the Distribution Licence:

62.1 Until otherwise directed by the Commission, the following classes of person engaged in the business Distribution of Electricity in the UT of J & K and Ladakh shall be deemed to have applied for and been granted the Distribution Licence for the purposes contained herein and subject to the fulfillment of the conditions contained in Clause (62.2):

- (a) Persons who supply electricity generated by themselves and/or supplied to them by an authorized person, for the purposes of an event or function not exceeding two (2) months, and when the electricity is distributed through a system owned by them;
- (b) Persons who supply electricity to the residential colonies as a part of their activity of maintaining such colonies for use and occupation of their employees and/or for use and occupation of persons providing facilities and services to the employees, where such person procures electricity from any Licensee or from any other source approved by the Commission and distributes the electricity within the residential colonies on no-profit motive basis;
- (c) Such other persons as the Commission may from time to time by order notify, subject to such terms and conditions as the Commission may direct.

62.2 The Distribution Licensee under Clause (62.1) shall:

- (a) Not directly or indirectly undertake trading in electricity or Distribution of Electricity outside its area of operation and supply of electricity shall be strictly restricted to the relevant approved purpose;
- (b) Establish electric line or works only within the area of operation;
- (c) If so required, furnish to the Commission such information required by the Commission for the purposes of discharge of the functions of the Commission as the Commission, may from time to time direct;
- (d) Comply with the provisions of the Act, the Regulations of the Commission, technical codes such as Grid Code, Electricity Supply Code, Distribution Code, Standards of Performance and Overall Standards of Performance or any other guidelines issued by the Commission;
- (e) Comply with all applicable rules and regulations concerning the safety and security of the operation

and;

- (f) Comply with any directions which the Commission may issue from time to time in regard to the charges which Licensee may levy on the consumers taking into account the charges prevailing in the nearby area of supply of electricity supplied by a Licensee;

62.3 The Commission shall be entitled to issue appropriate directions from time to time as it may consider it to be necessary and take appropriate action against a Licensee under this Regulation in accordance with the provisions of the Act for any breach of conditions of Licence or non-compliance thereof.

62.4 The Commission, at any stage, if it considers to be necessary, direct any such, person to apply for a licence in accordance with Regulation 3 above and consider accordingly the grant or refusal and may by an interim or final order, direct the Licensee under this Regulation to cease Distribution of Electricity in the area of operation or any part thereof.

62.5 If any difference or dispute arises as to whether the person is entitled to undertake Distribution of Electricity as a Licensee under these Regulations, the decision thereon of the Commission shall be final.

63 Deemed Distribution Licensee Status for SEZ

63.1 As per Section 14(b) of Electricity Act, 2003, Special Economic Zone is recognized as Deemed Distribution Licensee. The following provision was inserted in the Act vide Notification S. O. No. 528(E), dated March 3, 2010:

Provided that the Developer of a Special Economic Zone notified under Sub-Section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act 2005, shall be deemed to be a Licensee for the purpose of this clause, with effect from the date of notification of such Special Economic Zone."

63.2 The developer of a Special Economic Zone shall make an application accompanied by such application fee as per JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments before the Commission for the following:

- (a) To take on Record the Deemed Distribution status under Section 14 of the Electricity Act, 2003, Section 49 of SEZ Act, 2005 in terms of the notifications issued by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India.
- (b) To Issue Specific Conditions of Distribution Licence applicable to the Petitioner as per Sections 16 and 181 of the Act.
- (c) To allow the Petitioner, in the interim, to charge consumers in its licence area, the tariff that is applicable for the respective category of consumers in the connected area of supply, as modified from time to time, as the ceiling tariff in its area of supply and approve the appropriate tariff schedule.
- (d) Allow the Petitioner to charge consumers in its licence area the same Schedule of Charges that is applicable in the existing area of supply, as modified from time to time

63.3 The Applicant along with an application to submit the following:

- (a) Letter of Approval against the applicant as Special Economic Zone by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India;
- (b) Notified area of Special Economic Zone for the applicant by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce), Government of India;
- (c) Consumer base of the deemed Distribution Licensee;
- (d) Date from which deemed licence is sought and period for which deemed licence is sought;
- (e) Any other additional information considering peculiarity of operations of the Applicant.

64 Date of commencement and duration of Distribution Licence

64.1 The Distribution Licence shall commence from such date the Commission may direct as the date of commencement of licence and;

64.2 The Distribution Licence shall be valid for a period of twenty-five (25) years from the date of its commencement, unless it is duly suspended or revoked earlier by the Commission.

64.3 The Commission may consider on merit of each case to grant licence for another term for which the Licensee may make an application in accordance with Regulation 3 two years before the expiry of the initial period of licence:

Provided that when the Licensee does not make an application for grant of license beyond the initial period of 25 years, the Commission may, to protect the interest of the consumers or in public interest, issue such directions or formulate such schemes as it may deem necessary for operation of the Distribution assets for the remaining part of its useful life.

65 Deposit of maps and proforma

- 65.1 When a licence has been granted, three (3) sets of maps and proforma containing the particulars specified in Clause (65.2) below shall be signed and dated to correspond with the date of the notification of the grant of the licence by Secretary or any other officer designated by the Commission. One set of such maps shall be retained as the deposited maps by the said Officer and the other two (2) sets given to the Licensee:
- 65.2 The particulars to be given in the proforma under Clause (65.1) above shall be as under:
- (a) A short title descriptive of the proposed utility together with the address and description of the applicant, and if the applicant is a company, the names of all the Directors of the company;
 - (b) Type of licence granted;
 - (c) Location of the proposed area of operation;
 - (d) A description of the proposed area of operation and;
 - (e) The general conditions, the deviation there from and also the specific conditions, if any, which the Commission has laid down in the licence with justification for any deviation granted from general conditions;
- 65.3 The Licensee, whenever required by the Commission shall furnish additional copy maps and also the maps and proforma in an electronic form.

66 Deposit of printed copies of licence

- 66.1 Every person who is granted a licence shall within thirty (30) days of the grant thereof arrange to keep the following as specified by Central Electricity Authority:
- (a) Have adequate number of copies of the licence printed;
 - (b) Have adequate number of maps prepared showing the area of supply as specified in the licence;
 - (c) Arrange to exhibit a copy of such licence and maps for public inspection at all reasonable times at his head office, at his local offices (if any) and at the office of every local authority within the area of supply.
- 66.2 Every such Licensee shall, within the aforesaid period of thirty (30) days, supply free of charge one (1) copy of the licence and the relevant maps to every local authority within the area of supply, and shall also make necessary arrangements for the sale of printed copies of the licence to all persons applying for the same, at a price not exceeding normal photocopying charges thereof.

67 Amendment of a Distribution Licence

- 67.1 The Commission may initiate proceedings for amendment of a Distribution Licence, Suo-moto or on an application of the Distribution Licensee or on receiving complaint or information from any person.
- 67.2 The application for amendment of the licence made by the Licensee, shall be as per the Form specified in Appendix – 6 of this Regulation and accompanied by such fee as may be prescribed by the Commission from time to time.
- 67.3 Until otherwise specified, the fees payable for amendment of licence, shall be as per JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;
- 67.4 Such application shall be accompanied with a statement of the proposed amendment and shall be supported by an affidavit as provided in JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments;
- 67.5 The applicant shall within seven (7) days from the date of admission of the application for amendment, publish a notice in two (2) daily newspapers, one in English language and other in local language, having wide circulation in area of operation of the Distribution Licence sought to be amended, giving the following particulars:
- (a) Brief Details of existing Distribution Licence;
 - (b) Proposed amendments to the existing Distribution Licence and brief reasons for seeking the amendment;

- (c) The effect of the amendment proposed on the discharge of the functions of the Licensee under the licence granted;
- (d) The alternate arrangement proposed for such discharge of functions;
- (e) The names, addresses and other necessary details of the person(s) nominated by the applicant in major cities or towns of area of proposed Distribution Licence, who can make available for inspection application and other documents or from whom they can be purchased in person or by post at reasonable charges, not exceeding photocopying charges;
- (f) A statement that any person, desirous of making any suggestion or objection to the proposed amendment, may do so by filing written petition addressed to the Secretary of the Commission within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice.

67.6 Where an amendment to a Distribution Licence is proposed by the Commission Suo-moto, the Commission shall publish a notice in two (2) daily newspapers one in English language and the other in Local language having wide circulation in the area of operation of the Distribution Licence sought to be amended and also on its website, giving the following particulars:

- (a) Name of the Distribution Licensee and address of main office in the area of supply;
- (b) Description of alteration or amendment proposed to be made by the Commission;
- (c) Brief reasons for proposed alteration or amendment;
- (d) A statement that any person, desirous of making any suggestion or objection to the proposed amendment, may do so by filing written petition addressed to the Secretary within thirty (30) days from the date of the first publication of the notice.

67.7 The publication shall give the addresses of the offices at which the application for amendment may be inspected and the copies of documents be purchased and shall state that every local authority, utility or person, desirous of making any representation with reference to application to the Commission, may do so by letter addressed to such Officer as the Commission may designate in this behalf.

67.8 All objections to the proposed amendment, received within the thirty (30) days from the date of first publication of notice, shall be considered by the Commission before effecting or rejecting the proposed amendment.

67.9 Unless otherwise specified in writing by the Commission, the procedure specified in these Regulations for grant of licence, in so far it can be applied, shall be followed while dealing with an application for amendment of the licence.

67.10 In case of an application proposing alterations or modifications in respect of area of Distribution, comprising the whole or any part of any cantonment, aerodrome, forests, dockyard or camp or of any building or place in the occupation of the Government for defense purpose, the Commission shall not make any alterations or modifications except with the consent of the Central Government.

68 Model Conditions of Supply

68.1 The Licensee shall follow model condition of supply as per JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Conduct of Business Regulations with amendments.

69 Contravention by Distribution Licensee

69.1 The Commission may pass such orders, as it thinks fit, in accordance with the relevant provisions of the Act, for the contravention or the likely contravention, by a Licensee, of the terms or conditions of the licence, any provisions of the applicable law or the rules or regulations made there under.

69.2 Subject to the provisions of the Act, the Commission may follow as far as possible the general procedure directed in these Regulations in dealing with a proceeding arising out of a contravention or likely contravention by a Licensee.

70 Grant of exemption from licence

70.1 An exemption from licence shall be granted in a manner that is consistent with the provisions of the applicable law and provision of the Act.

71 Revocation of the Distribution Licence

71.1 The proceedings for revocation of the licence or for passing of any other orders stated in Section 19 of the Act, shall be initiated by an order passed by the Commission, which the Commission may initiate Suo moto

or on application of the Licensee or on receiving any complaint or information from any person.

- 71.2 The procedure and the manner of revocation shall be consistent with the provisions inter-alia of Section 19 of the Act.
- 71.3 Subject to the provisions of the Act and the procedure contained therein, the enquiry by the Commission on the revocation of the licence, in so far it is applicable, shall be in the same manner as prescribed in Regulation 15 above.
- 71.4 A Licensee himself wishing to apply for or give consent to the revocation or part revocation of his licence may make an application to the Commission. The Commission shall pass orders on such applications, after hearing the Licensee and such other persons as it thinks fit.
- 71.5 The application for revocation of the licence made by the Licensee or by any person shall be accompanied by such fee as may be prescribed by the Commission from time to time.
- 71.6 Until otherwise specified, the fees payable for revocation of a Distribution Licence, shall be as per JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;

72 Suspension of Distribution Licence and sale of utility

- 72.1 If at any time, the Commission is of the opinion that it is necessary in public interest, the Commission may, for reasons to be recorded in writing, suspend the licence of the Distribution Licensee in the circumstances, manner and form given in Section 24 of the Act.

73 Regulations of Licensee's purchase of power

- 73.1 The Licensee shall file with the Commission in complete form copies of all Power Purchase Agreements already entered into by the Licensee.
- 73.2 The Commission shall be entitled to direct that the Licensee shall establish to the satisfaction of the Commission that the purchase of power by the Licensee is under a transparent power purchase procurement process and is economical and the power is necessary for the Licensee to meet its service obligation.
- 73.3 The Licensee shall apply to the Commission to approve the draft Power Purchase Agreement that the Licensee proposes to enter into. The Commission may pass orders:
- i. Approving the agreement; or
 - ii. Approving the agreement with modifications proposed to the terms of the agreement;
 - iii. Rejecting the agreement.
- 73.4 Nothing contained herein shall affect the obligations of Distribution Licensee under the existing contracts and arrangements for purchase, import or acquisition of electricity from generating companies, electricity traders and from other persons with whom the Licensee has agreements or arrangements of power purchase or procurement of energy in accordance with the terms and conditions of such agreements and arrangements consented to or approved by the Commission.
- 73.5 The provisions of sub-regulation 73.3 (ii) and (iii) above or any action taken therein shall not, in any manner, prejudice the exercise of functions and powers of the Commission under any of the other provisions of the applicable law, the Regulations and orders to be issued from time to time.

74 Standards of Performance

- 74.1 The Commission may, after consultation with the Distribution Licensees and persons likely to be affected, specify standards of performance of a Licensee or a class of Licensees which in its opinion, are attainable and ought to be achieved by such Licensees, and different standards may be determined for different Licensees. The Commission may publish the standards so determined in such form and in such manner as the Commission may consider appropriate.

75 Payment of Licence Fees

- 75.1 The Commission may while granting a licence or an Exemption to undertake the business of Distribution of electricity or any other order granting any privilege to any person may levy and collect the fee payable in accordance with provisions of the Act and of the JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments at the time of the grant of licence or privilege and thereafter, for each subsequent year that the Licence remains in force, the Licensee shall pay an annual licence fees in accordance with the JERC for UT of J & K and UT of Ladakh Fee, Fines and charges Regulations and its subsequent amendments;
- 75.2 The fees payable under these regulations shall be paid by means of bank draft or pay order, drawn in favor of

the Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, Ambedkar Road, Panama Chowk Jammu, J&K.

- 75.3 The fees received by the Secretary of the Commission under these regulations shall be deposited in a bank account to be maintained by the Commission at such bank and in such Branches as the Commission may direct from time to time or in Government Account under relevant head of account.

CHAPTER-VI

GENERAL CONDITIONS OF THE DISTRIBUTION LICENCE

76 Duty to Supply Electricity on Request

- 76.1 Subject to the provisions of the Act, the Distribution Licensee shall comply with the requirements of Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J & K and UT of Ladakh Electricity Supply Code Regulations and its amendments, Directions and Orders of the Commission in regard to supply of electricity.

77 Installation of Meters

- 77.1 The Distribution Licensee shall comply with the requirements of the Act, Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J & K and UT of Ladakh Electricity Supply Code Regulations and its amendments, Directions and Orders of the Commission in regard to supply of electricity through meter.

78 Process for Levy and Recovery of Fines and Charges

- 78.1 If on the conclusion of any proceeding, the Commission is satisfied that any person is liable to fines or charges, it may by order in writing impose such fines or charges in accordance with the provisions of the Central Act or the State Act, and the Regulation specified for the purpose and may also award compensation.
- 78.2 While determining the quantum of fines or charges, the Commission shall, amongst other, consider the following factors:
- (a) The nature and extent of non-compliance or violation;
 - (b) Wrongful gain or unfair advantage derived as a result of the non-compliance or violation;
 - (c) Loss or degree of harassment caused to any person(s) as a result of the non-compliance or violation, and
 - (d) The repetitive nature of the non-compliance or violation.
- 78.3 While passing an order under this regulation, the Commission may award compensation to the complainant or affected party to be paid by the person found to have committed the non-compliance or violation.
- 78.4 The Commission may direct the time within which the fines, charges or compensation should be paid by the concerned person,
- 78.5 The Commission may designate an Officer to collect the fines and charges pursuant to the provisions of the Central Act or the State Act.

79 Open Access

- 79.1 The Distribution Licensee shall arrange for the provision of non-discriminatory open access to its distribution system to any persons in accordance with the Open Access Regulations issued by the Commission under Section 42 of the Act.

80 Other Business of Distribution Licensee

- 80.1 The Distribution Licensee shall file an application for the Commission's approval for Other Business, in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of J & K and UT of Ladakh Electricity Treatment of Other Business of Distribution Licensees Regulations as amended from time to time.
- 80.2 Where the Distribution Licensee is engaged in any Other Business, the income from such business shall be calculated in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J & K and UT of Ladakh Electricity Treatment of Other Business of Distribution Licensees Regulations as amended from time to time and shall be deducted from the Aggregate Revenue Requirement of the Licensee:
- 80.3 Provided that the Licensee shall follow a reasonable basis for allocation of all joint and common costs between the Distribution business and the Other Business and prepare Accounting Statements in accordance with Joint Electricity Regulatory Commission for UT of J & K and UT of Ladakh Electricity Treatment of Other Business of Distribution Licensees Regulations as amended from time to time and submit to the Commission along with its application for determination of tariff.
- 80.4 Provided further that where the sum total of the direct and indirect costs of such Other Business exceeds the

revenues from such Other Business, no amount shall be allowed to be added to the Aggregate Revenue Requirement of the Distribution Licensee on account of such Other Business.

81 Franchisee

81.1 The Distribution Licensee may engage any of its Subsidiaries or Holding Company or a Subsidiary of such Holding Company to provide any goods or services to the Licensee in connection with the Licenced Business, subject to the following conditions:

- (a) that the transaction will be on an arms-length basis and at a value that is fair and reasonable in the circumstances;
- (b) that the transaction will be consistent with any Regulations framed by the Commission relating to the provision of goods and services with respect to Licenced Business; and
- (c) that the Licensee will give fifteen (15) days' notice to the Commission prior to commencement of the proposed arrangement and along with the notice provide all relevant details of the arrangement.

81.2 The Licensee may establish subsidiaries or establish associated companies or grant a franchise or enter into management contracts including appointment of billing agent to conduct or carry out any of the functions, which the Licensee is authorized to conduct or carry out under the Acts and this Licence. Provided always that:

- (a) Any such Subsidiary or associated company or franchisees or contractors or agents shall operate under the overall supervision and control of the Licensee and upon the conditions of this licence; and
- (b) The Licensee shall have, prior to delegating any function to any such Subsidiary or associated company or franchisees or contractor, intimate the Commission for transactions of value of greater than Rs 100 lacs per annum, subject to such conditions as the Commission may stipulate;
- (c) The Licensee shall also be responsible for all actions of the subsidiaries or associated companies or franchisees or agents or contractors and may terminate the arrangements in case their performance is not to the satisfaction of the Licensee.

81.3 Where such prior permission is required, the Licensee will file a suitable application with the Commission disclosing relevant facts. The Commission may, within thirty (30) days of the filing of the application, seek further information in support of the application. The Commission shall generally within thirty (30) days of such further information being submitted by the Licensee, and where no such further information is sought by the Commission as above, generally within sixty (60) days of the filing of the application, allow the arrangement subject to such conditions or modifications as is considered appropriate or reject the same, for reasons recorded in writing in the order to be issued by the Commission.

81.4 The Licensee shall be entitled to Transfer or assign this Licence or any of the functions under this Licence to any other Person only with the prior approval of the Commission. To obtain the approval of the Commission as aforesaid, the Licensee will file a suitable application with the Commission disclosing relevant facts in that behalf and the Commission shall dispose such application expeditiously.

82 Establishment of Consumer Grievance Redressal forum

82.1 The Distribution Licensee shall establish a forum or forums for redressal of grievances of the consumers in accordance with the Regulations issued by the Commission under Section 42 of the Act from time to time.

83 Protection of Railways, Highways, etc.

83.1 The Distribution Licensee shall not, in the course of distribution, supply or use of electricity, in any way injure any railway, highway, airport, tramway, canal or water-way or any dock, wharf or piers vested in or controlled by a local authority, or obstruct or interfere with the traffic on any railway, airway, tramway, canal or water-way.

83.2 The Distribution Licensee shall take all reasonable precautions in constructing, laying down and placing its electric lines, electrical plant and other works and in working its system, so as not to injuriously affect, whether by induction or otherwise, the working of any wire or line used for the purpose of telephone or electric signalling communication, or the currents in such wire or line.

83.3 Where the Distribution Licensee makes default in complying with the requirements of this section, it shall pay full compensation for any loss or damage incurred by reason thereof, and, where any difference or dispute arises as to the amount of such compensation, the matter shall be determined by arbitration conducted in accordance with Section 158 of the Act.

84 Conduct of Business having adverse effect on Competition

- 84.1 Every Licensee shall not enter into agreement or abuse its dominant position or enter into any combination which is likely to cause or causes an adverse impact on the competition in the distribution of electricity.

85 Co-operation with State Transmission Utility, State Load Despatch Centre and other Licensees

- 85.1 The Distribution Licensee shall provide to the State Load Despatch Centre and State Transmission Utility and/or other Licensees, such information as may reasonably be required by them to perform their functions and exercise their powers under the Act and/or the Reform Act.
- 85.2 The Distribution Licensee shall always comply with the, directions of State Load Despatch Centre, Regional Load Despatch Centre and State Transmission Utility issued under the Act and/or the Reform Act.
- 85.3 The Distribution Licensee shall co-operate with generating companies, other Licensees and State Load Despatch Centre for the efficient and coordinated operation of the power system.

86 Investments

- 86.1 The Distribution Licensee shall make the investments in a prudent manner, being guided by the duty to build, maintain and operate an efficient, coordinated and economical distribution system in the Union Territories.
- 86.2 The Distribution Licensee shall duly comply with Joint Electricity Regulatory Commission Generation, Transmission and Distribution Multi Year Tariff Regulations and as amended from time to time, guidelines, directions and orders that the Commission may issue from time to time in regard to investments to be made in the Distribution Business.

87 Procurement of Material/ Equipment/ Services

- 87.1 The Distribution Licensee shall procure all material/equipment or execute any contract for availing services including power procurement only through the transparent competitive bidding process.

88 Expected Revenue and Tariff Filings

- 88.1 The Licensee shall follow the methodology, procedures and other directions included in the Tariff Regulations while filing statements of expected revenue from charges and for proposing or amending any or all of its tariffs.
- 88.2 The amount that the Licensee is permitted to recover from its tariffs in any financial year is the amount that the Commission determines in accordance with the financial principles and their applications provided in Section 62 of the Electricity Act 2003, as will allow the Licensee a fair opportunity to earn a reasonable return.
- 88.3 The Licensee shall establish a tariff as approved by the Commission, for the Licensee's Distribution Business and shall calculate its charges in accordance with this Licence, the Regulations, the orders of the Commission and other requirements prescribed by the Commission from time to time.
- 88.4 The Licensee shall publish a tariff for its distribution of electricity reflecting the tariff charges and the other terms and conditions contained in the approved tariffs referred to in Clause (88.3) above or as directed by the Commission.
- 88.5 The Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act and applicable Regulations and directions of the Commission.
- 88.6 The Licensee shall apply to the Commission to amend its tariffs in accordance with the Act if the Commission so requires in order to remove any undue discrimination identified by the Commission.

89 Accounts and Audit

- 89.1 Every Distribution Licensee shall cause the accounts of his utility to be made up the thirty-first (31) day of March each year.
- 89.2 The Distribution Licensee shall:
- (a) Maintain separate information and statement of accounts for the Licenced Business and any Other Business
 Provided, further that, the Licensee shall submit separate accounts for its Licenced Business and overall accounts of a Company as a whole.
 - (b) Maintain the statement of accounts in such form and containing such particulars as may be specified by the Commission and till such time as these are specified by the Commission, the accounts shall be maintained in accordance with the Companies Act, 1956, Companies Act, 2013 as amended from time to time, where such Act is applicable;
 - (c) Prepare on a consistent basis, from such records, Accounting Statements for each financial

year comprising a profit and loss account, a balance sheet and a statement of source and application of funds together with notes thereto and showing separately the amounts of any revenue, cost, asset, liability, reserve, or provision which has been either:

- i. Charged from or to any Other Business together with a description of the basis of that charge or;
 - ii. Determined by apportionment or allocation between the various business activities together with a description of the basis of the apportionment or allocation.
- (d) Provide, in respect of the Accounting Statements prepared in accordance with foregoing Clauses, a report by the Auditors in respect of each year, stating whether in their opinion the statements have been properly prepared and give a true and fair view of the revenue, costs, assets, and liabilities, reserves reasonably attributable to the business to which the statements relate, and
- (e) The Distribution Licensee shall prepare and render to the Commission an annual statement of his audited accounts in accordance with the provisions of the Act, within a period of six (6) months from the aforesaid date, or such extended period as the Commission may authorize after it is satisfied that the time allowed is insufficient owing to any cause beyond the control of the Licensee and the statement shall be rendered in such numbers of copies as the Commission directs.
- (f) The accounts shall be made up in such forms as the Commission may direct from time to time. All the forms shall be signed by the Distribution Licensee or his accredited and duly authorized agent or manager.

89.3 The Commission may by special or general order direct that, in addition to the submission of the annual statements of accounts in the forms directed in Clause 89.2 (f) above, a Distribution Licensee shall submit to the Commission or such other authority as it may designate in this behalf such additional information as it may require for the purpose

89.4 Any person authorized by the Commission shall be entitled to inspect and verify the accounts of the Distribution Licensee and the Distribution Licensee shall render all necessary assistance to such person.

89.5 Provided, further that, if the Commission feel appropriate may get the independent audit of the Distribution Licensee accounts from any independent agency, including Comptroller and Auditor General of India (CAG).

89.6 The Distribution Licensee shall not change the basis of charge or apportionment or allocation of revenues or expenses in relation to the preparation of the Accounting Statements in respect of a financial year from those applied in respect of the previous financial year, without prior approval from the Commission:

Provided that during the financial year that a Distribution Licensee changes the basis of charge or apportionment or allocation in its Accounting Statements from those adopted for the immediately preceding financial year, the Commission may direct the Distribution Licensee to prepare such Accounting Statements on the past basis in addition to preparing Accounting Statements on the basis which it has adopted.

89.7 If the Distribution Licensee is carrying on any Other Business for the optimum utilization of its assets, it shall prepare the accounting statement for Other Business on a consistent basis from such accounting records and deliver to the Commission in accordance with the Joint Electricity Regulatory Commission Treatment of Other Business of Distribution Licensees Regulations, as amended from time to time.

89.8 The Distribution Licensee shall ensure that the Accounting Statements in respect of each financial year and the Auditors report in respect of each financial year mentioned hereinabove are publicized in such manner as the Commission may direct, and are made available to any person requesting them, at a price not exceeding the reasonable cost of duplicating them, or such price as the Commission may specify.

90 Prohibition of subsidies

90.1 The Distribution Licensee shall not give any subsidy or subvention to any person or any Other Business of the Distribution Licensee, except a subsidy granted by the Union territories Government pursuant to Section 65 of the Act.

91 Provision of Information to the Commission and other Stakeholders

91.1 The Licensee shall provide all information as applicable to the Licensee in the formats enclosed within sixty (60) days from coming into force of these Conditions of Licence. Subsequently, all the formats shall be filled up and submitted by the Licensees, annually, within a month after the completion of every financial year.

91.2 The Distribution Licensee shall furnish to the Commission without undue delay such information, documents

and details related to the Licenced Business or any other business of the Licensee engaged for optimum utilization of the assets of the Licenced Business, as the Commission may require from time to time for its own purposes or for the purposes of the Government of India, State Government, the Central Commission, and/or the Central Electricity Authority, the State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre.

- 91.3 The Distribution Licensee shall furnish information on the implementation of the standards of performance as specified in the Standards of Performance of Distribution Licensee Regulations notified by the Commission as amended from time to time.
- 91.4 The Distribution Licensee on occurrence of any major incident or accident shall notify the Commission about such occurrence as provided in Electricity Supply Code, and Standards of Performance of Distribution Licensee Regulations notified by the Commission and as amended from time to time.
- 91.5 The Distribution Licensee shall also undertake such studies as the Commission may direct it to undertake from time to time for the improvement of its distribution business and any other matter concerning the distribution business.
- 91.6 The Distribution Licensee shall duly inform the Commission about any incident restricting it from meeting its obligations under its licence including any act of Commission or commission by others and steps taken by the Licensee to mitigate the effect of such incident.
- 91.7 The Commission may at any time require the Licensee to comply with the provisions of Clauses (91.3) to (91.5) as to incidents which the Commission may specifically direct and the Licensee shall be obliged to comply with the same notwithstanding that such incidents are not major incidents; provided that the time limits specified in Clause (91.3) shall commence from a date that the Commission notifies to the Licensee of such requirement.
- 91.8 The Licensee shall provide details/data/documents available in material form as required by the stakeholders/consumers/consumer associations/consumer bodies, etc., within the time frame as prescribed by the Commission from time to time. If no time frame is prescribed by the Commission the Licensee shall provide the same within a maximum period of thirty (30) days from the date of request.

92 Acts which Distribution Licensee shall not undertake

- 92.1 No Licensee, except with prior approval of the Commission, shall undertake:
 - (a) any transaction to acquire, through purchase or takeover or otherwise, any utility of any other Licensee; or
 - (b) merge his utility with another utility of any other Licensee.
- 92.2 No Licensee shall, without prior approval of the Commission, assign or transfer his utility or Licence or part thereof through sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Appropriate Commission.
- 92.3 Before obtaining approval under clause 92.1 to 92.2 above, a Licensee shall give a notice of not less than one (1) month to every other Licensee, who distributes electricity in the area of such Licensee, who applies for such approval to the Commission.
- 92.4 Any agreement entered into by the Licensee in respect of clause 92.1 to 92.3 above shall become void unless prior approval of the Commission is obtained thereto.
- 92.5 Where such permission is required, the Licensee shall file an application with the Commission duly furnishing all relevant information. The Commission may, within thirty (30) days of the receipt of such application, accord required permission subject to the terms and conditions as it deems necessary or reject the application for the reasons to be recorded in writing in support of such rejection.
- 92.6 The Distribution Licensee shall not make use of the assets of the system for a purpose other than distribution of electricity, except with the prior approval of the Commission as provided for in Regulation 37.

93 Major Incidents

- 93.1 The Distribution Licensee shall notify to the Commission any major incident that has occurred in the area of the Distribution Licensee. A deviation from any part of the distribution system from standard operating condition, which was triggered by cross boundary effect, in the system of generators, transmission system or in the system of extra high voltage consumers which has resulted in the loss of equipment or life of a person or animal, shall be deemed a major incident. The Licensee shall also:
 - (a) Submit a detailed report giving facts of the incidents, the causes and the adverse effects on the total power system. (The total power system comprises the transmission system, generating units, distribution systems and the systems of the EHT consumers).

- (b) Submit a note containing the Licensee's analysis of the major incident and suggestions for carrying out remedial measures for preventing recurrence of such major incidents.
 - (c) The Licensee shall at the earliest possible date and in any event, no later than two (2) months from the date of such Major Incident:
 - i. Submit a report to the Commission giving full details of the facts within the knowledge of the Licensee regarding the incident and its cause.
 - ii. In the event the report under sub-Clause (a) is likely to take more than fifteen (15) days from the date of the Major Incident, the Licensee shall within fifteen (15) days from such date of the incident submit a preliminary report with such details which the Licensee can reasonably furnish and state reasons as to why the Licensee requires more than fifteen (15) days for giving full report of such incident.
 - iii. Send copies of the report and note to the State Load Despatch Centre, State Transmission Utility, State Government, and Chief Electrical Inspectorate etc.
- 93.2 The Commission may direct an independent person to investigate in the case of a major incident and submit his report. The Commission may analyze the report and the information received from all sources and will decide whether a major incident is a Force Majeure event or is caused by violation of conditions of licence or provisions of Grid Code or provisions of the Act or the rules and regulations under the Act.
- 93.3 The Commission may decide the following:
- (a) Remedial measures to be taken by one or more operators (or owners) of the parts of the total power system (including the Distribution Licensee) to prevent recurrence of similar major incidents.
 - (b) Punitive measures to be imposed on one or more persons for lapses which caused the major incident.
 - (c) Compensation to be paid by one party to another party [by the owner (or operator) of a segment of the total power system to the owner (or operator) of another segment of the total power system].
- 93.4 The Commission may send its views and decisions on the major incident to the State Load Despatch Centre.

CHAPTER - VII

TECHNICAL CONDITIONS OF THE DISTRIBUTION LICENCE

94 Procurement of Power

- 94.1 The Distribution Licensee shall prepare a plan for procurement of power to serve the demand for electricity in its Area of Supply and submit such plan to the Commission for approval as a part of Business Plan:
- Provided further that such power procurement plan may include long-term, medium-term and short term sources of power procurement.
- 94.2 The Licensee shall purchase power in an economical and efficient manner under a transparent procurement process as approved by the Commission after following the guidelines issued by the Commission relating to preparation of load forecasts, power procurement plan and power procurement procedure.

95 Compliance with the Laws, Rules and Regulations

- 95.1 The Distribution Licensee shall comply with the provisions of the Act, rules, regulations and orders and directions issued by the Commission from time to time.
- 95.2 The Distribution Licensee shall act in accordance with this general conditions specified in the licence except where the Licensee is exempted specifically or permitted by the Commission for any deviation from these guidelines through a separate order.
- 95.3 The Distribution Licensee shall comply with the orders and directions issued by the State Load Despatch Centre and other statutory authorities in the discharge of their functions.
- 95.4 The Distribution Licensee shall adhere to the Standards of Performance Regulations and the Electricity Supply Code, approved by the Commission and as amended from time to time in regard to supply of electricity in his area.

Chapter - VIII

MISCELLANEOUS

96. All issues arising in relation to interpretation of these General Conditions and as to the terms and conditions thereof shall be a matter for the determination of the Commission and the decision of the Commission on such issues shall be final.
97. The Commission in addition to the General Conditions under CHAPTER 2 of PART B and Chapter 3 PART A, may specify, Specific Conditions applicable to a specific Transmission Licensee or class of Licensees and such conditions shall be deemed to be conditions of Licence of such Licensee or class of Licensees.

98. Reporting to the Commission

- 98.1 The Licensee shall submit such report, information, data as called by the Commission from time to time.

99. Savings

- 99.1 Nothing in these Regulations shall be deemed to limit or affect the power of the Commission to issue such directives or orders as may be necessary to meet the ends of justice or to prevent abuse of the procedures laid down by the Commission.
- 99.2 Nothing in these Regulations shall bar the Commission from adopting in conformity with the provision of the Act, a procedure which is at variance with any of the provisions of these Regulations if the Commission for reasons to be recorded in writing deems it necessary or expedient for dealing with such matter or class of matters.
- 99.3 Nothing in the Regulations shall, explicitly or impliedly, bar the Commission from dealing with any matter or exercising any power under the Act for which no Regulation have been framed and the Commission

- 100 Power to remove difficulties** If any difficulties arise in giving effect to any provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, or the Reform Act or the rules, regulations or codes made thereunder, which appears to it to be necessary or expedient for the purpose of removing the difficulties.

- 101 Power to Amend** The Commission may, at any time, add, vary, alter, modify or amend any of the provisions of these Regulations.

By Order of the Commission,

V.K. DHAR, (JKAS), Secy., JERC, J&K and Ladakh

[ADVT.-III/4/Exty./694/2022-23]

APPENDIX - 1

Application form for grant of Transmission Licence

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of Licence for Transmission of Electricity under Section 14 of the Electricity Act 2003 to:

Particulars of the Applicant

1. Name of the Applicant:
2. Form of Incorporation, if any:
3. Address:
4. Name, Designation & Address of the contact person:
5. Contact Tel. Nos.:
6. Fax No.:
7. E-mail ID:
8. Place of Incorporation/Registration:
9. Year of Incorporation/Registration:
10. Geographical Area within which Applicant proposes to undertake Transmission of Electricity:
11. Following documents are to be enclosed:

- a) Certificate of registration/incorporation;
- b) Certificate for commencement of business;
- c) Memorandum of Association and Articles of Association;
- d) Original power of attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter;
- e) Details of Income tax Registration;
- f) Draft Licence;
- g) All the documents mentioned in Regulation 5.7 of the Joint Electricity Regulatory Commission UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Procedure, Terms & Conditions for Grant of Transmission & Distribution Licence and other Related Matters) Regulations, 2023

Details of Financial Data of Applicant

12. Net worth (in equivalent Indian Rupees-conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each Year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange Rate Used	In equivalent Indian Rupees

Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

13. Annual turnover (in equivalent Indian Rupees - conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange Rate Used	In equivalent Indian Rupees

Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

14. Certificate of Credit Rating
15. Certificate of 'Standard' borrowal account
16. Certificate stating that RBI has not classified the Applicant as a 'wilful defaulter'.
17. List of documents enclosed in support of Sl. Nos. (10) and (11) above:

SR. No	Name of the Documents
(a)	
(b)	

18. A) Whether Applicant himself shall be financing the proposed Transmission of Electricity fully on its own balance sheet
- B) If, yes, proposed equity from the Applicant
 - i. Amount:
 - ii. Percentage:
19. In case the Applicant proposes to tie up with some other Agency for equity, then name & address of such agency:
 - a) Name, designation & Address of reference person of the other Agency:
 - b) Contact Tel. No.:
 - c) Fax No.:
 - d) E-mail ID:
 - e) Proposed equity from the other Agency
 - i. Amount:

- ii. Percentage of total equity:
 - iii. Currency in which the equity is proposed:
 - f) Consent letter of the other agency to associate with the Applicant for equity participation to be enclosed.
 - g) Nature of proposed tie-up between the Applicant and the other agency.
20. Details of debt proposed for the Transmission activity:
- a) Details of lenders:
 - b) Amount to be sourced from various lenders:
 - c) Letters from the lenders in support of the above to be enclosed.
21. Competence of the Applicant
- (The Applicant is required to describe its Core Business Activities and previous experience in electricity sector in general and in particular to the Transmission of Electricity)
22. Organisational & Managerial Capability of the Applicant:
- (The Applicant is required to enclose proof of their Organisational & Managerial Capability, in terms of the Regulations, in form of proposed organisational structure & curriculum vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.)
23. Approach & Methodology:
- (The Applicant is required to describe approach & methodology for setting up its Transmission system and conduct of the business of Transmission of Electricity as proposed by it. This should contain a statement of the Applicant's plan on conduct of the business of Transmission of Electricity during the first year after the grant of Licence and future plans for the said business during the next five years.)
24. Data relating to the applicant's future business
- a) Five year Business Plan for transmission of electricity for which the application is being made and funding arrangements for meeting its obligations under proposed Licence for maintenance, operation, improvement and expansion for future load growth.
 - b) Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project financing stating the assumptions underlying the figures provided.

(Signature of the Applicant)

Place:.....

Dated:.....

Application form for Deemed Licence

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of Deemed Licence for Transmission of Electricity under Section 14 of the Electricity Act 2003 to:

Details of Applicant

1. Full name of Applicant:
2. Address of Applicant:
3. Application fee (DD details):
4. Registered Office Address:
5. Local Office Address/Administrative Office Address:
6. Contact Tel. Nos.:

7. Fax No.:
8. E-mail ID:
9. Details of Authorized Signatory:
10. Form of Incorporation, if any:
11. Place of Incorporation/Registration:
12. Year of Incorporation/Registration:
13. Following documents are to be enclosed:
 - a) Certificate of registration/incorporation;
 - b) Certificate for commencement of business;
 - c) Memorandum of Association and Articles of Association (Duly mentioning Power Transmission is one of the Business Activity);
 - d) Original power of attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter;
 - e) Details of Income tax Registration;
14. Names and addresses of Directors / Competent Officers (Furnish details, if applicable):
15. Principal shareholders/Partners/Members: Principal Business Activity:
16. Geographical Area within which Applicant proposes to undertake transmission (to mention boundaries referring to the attached map when necessary):
17. Power Details:
 - a) Sourcing of Power:
 - i. Voltage:
 - ii. Source of supply (Own generation/purchase from others/discoms):
 - iii. Quantum of Electricity handled in last 12 months:
 - Demand (MW):
 - Energy (MU):
 - iv. Do you have any power supply agreement with any Discom/generator/Trader, if so, mention brief details power purchase
 - b) Funding arrangements for maintenance, operation, improvements and expansion to meet future load growth, etc.
 - c) Whether Applicant himself will be financing the proposed transmission of electricity fully on its own balance sheet:

If, yes, proposed equity from the Applicant:

 - i. Amount:
 - ii. Percentage:
18. Organizational & Managerial Capability of the Applicant:

(The Applicant is required to enclose proof of their Organizational & Managerial Capability, in terms of the Regulations, in form of proposed organizational structure & curriculum vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.)

 - a) Management Capability:
 - b) Financial Strength:
 - c) Ability to discharge supply function in a sustainable manner:
19. Date from which deemed Licence is sought: Period for which deemed Licence is sought:
20. Detailed justification for seeking Licence:
21. Other Information:

- a) Whether the applicant or any of his partners or promoters or Directors or Associates has been declared insolvent and has not been discharged. If so, the details thereof;
- b) Details of cases resulting in conviction of fraud or economic offences of the applicant, any of his partners, promoters or Directors or Associates during the three years preceding the year of making application;
- c) Details of all pending cases involving the applicant, any. of his partners or promoters or Directors or Associates, which shall include nature of the dispute, whether civil or criminal, name of the other party or parties, the court before whom pending and the latest status;
- d) Whether the applicant or any of his partners, or promoters or Directors or Associates were ever refused Licence. If so, give the details of date of making application, date of refusal and reason for refusal.

22. List of Documents enclosed:

- a)
- b)

(Signature of the Applicant)

Place:

Dated:.....

List of Documents to Accompany with Application of Deemed Licence

1. Certificate of Incorporation from Registrar of Companies;
2. Copies of Company's Memorandum/Articles of Association/Partnership deed etc.
3. Proof of Authorization to sign the application form;
4. Data relating to management and Financial Capability:
 - a) Managerial:
 - i. Senior management's curriculum vitae;
 - ii. Cadre strength for different categories, technical and non-technical.
 - b) Financial:
 - i. Bank references asserting that the Applicant is financially solvent;
 - ii. Most recent Balance Sheet;
 - iii. Audited accounts for the Applicant and any Holding Company, Subsidiary or affiliated company for each of the three most recent financial years;
 - iv. Any accompanying notes and certifications on the above statements from a reputed chartered accountant. ‘
5. Data relating to the Applicant's future Business
 - a) Five year Business Plan for the business for which the application relates;
 - b) Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project financing stating the assumptions underlying the figures provided.
6. Detailed Maps of the proposed area of Transmission:

Detailed maps showing the area supplied and the configuration of the Transmission/Sub-transmission and Distribution System, including information on Substations. The map shall clearly distinguish between the existing System and any new facilities that are or will be required for the purposes of providing Supply.

The map shall indicate the streets and roads in which the power is distributed and distinguish between public and private.
7. Proof of Service of the Copy of Application on incumbent State Transmission Utility (STU);
8. Reasons for not furnishing any of the above documents thereof;
9. Details of Income tax Registration;

10. Any other relevant information.

APPENDIX - 2

JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR UT OF JAMMU & KASHMIR AND UT OF LADAKH

Transmission Licence

1. The Joint Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as —Commission), in exercise of the powers conferred under Section 16 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as –the Act), hereby grants this Licence to M/s (hereinafter referred to as the Licensee) to construct, maintain and operate (Name of the Project), more specifically described in the schedule attached to this Licence, which shall be read as a part and parcel of this Transmission Licence, subject to the Act, the rules and the general conditions of the Transmission Licence specified under the Joint Electricity Regulatory Commission (Procedure, Terms and Conditions for grant of Transmission Licence and other related matters) Regulations, 2023 and other Regulations specified by the Commission (herein after referred to as –Regulations), including statutory amendments, alterations, modifications, re-enactments thereof, which shall be read as part and parcel of this Licence.
2. Wherever there is a contradiction between the terms and conditions contained in this Licence and the Agreements, the provisions of this Licence, as amended from time to time, shall apply.
3. This Transmission Licence is not transferable.
4. The grant of Transmission Licence to the Licensee shall not in any way manner or restrict the right of the Commission to grant a Transmission Licence to any other person within the same area for the transmission system other than the Project described in the schedule attached to this Licence. The Transmission Licensee shall not claim any exclusivity.
5. The Transmission Licence shall, unless revoked earlier, continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years from the date of commencement.

SECRETARY

Joint Electricity Regulatory Commission

Place:

Date:

SCHEDULE**1. Project Related Details:**

The Project comprises of following elements of the Inter-State Transmission System:

Sl. No.	Name of Transmission Element	Schedule date of Commissioning

SECRETARY**Joint Electricity Regulatory Commission****for UT of J&K and UT of Ladakh****Place:****Date:****APPENDIX - 3**

**APPLICATION FOR AMENDMENT TO A LICENCE FOR TRANSMISSION OF ELECTRICITY
BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of amendments to a Licence for Transmission of Electricity under Section 18 of the Electricity Act 2003 to:

1. Name of the Licensee
2. Address

The applicant hereby submits to the Commission the following particulars for making alterations or amendments to the terms and conditions of his existing Licence for Transmission of Electricity (Strike off whichever is not applicable) under Section 18 of Electricity Act 2003:

1. Particulars of existing Licence.
 - a) Licence No. Dated
 - b) The category of Licence – .
 - c) Its area of transmission.
 - d) Changes, if any, proposed in area of transmission.

Existing Area	Proposed Area

- i. Name and address of Zila Parishads and municipalities falling within the area of transmission to be affected by proposed alteration or modification.
- ii. Cantonments, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or any building or place in occupation of the government for defence purposes falling within the area of transmission to be affected by proposed alteration or modification.
2. Specific amendment/ alteration proposed in other clauses.

Existing Provision	Proposed amendment/alteration

3. Reasons for the alternation/amendment sought.
4. If the proposed amendment/ alteration will lead to additional investment, arrangements for funding it.
5. Any other particulars considered relevant/necessary.
6. Details of Fee for alteration or amendment. DD No..... dated..... In favour of Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, drawn on.....bank; for Rs; payable at Jammu, Jammu & Kashmir.

(Signature of the Applicant)

Place:

Dated:.....

List of Documents to Accompany with Application for amendment/alteration to an existing Licence

1. Affidavit of the authorised person on non-judicial stamp paper of appropriate value.
2. Copy of existing Licence and designated map.
3. Map of the area of supply or transmission, if alteration or modification of such area is proposed.
4. Relevant resolution of Company/Society/Local authority.
5. Letter of authority of the Board of Directors in favour of the persons signing the application.
6. Documents mentioned in Regulation 5 and **Appendix - 1** as relevant to the amendment proposed & Proof of payment of application fee.

APPENDIX - 4

APPLICATION FORM FOR GRANT OF DISTRIBUTION LICENCE

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of Licence for Distribution of Electricity under Section 14 of the Electricity Act 2003 to:

Particulars of the Applicant

1. Name of the Applicant:
2. Form of Incorporation, if any:
3. Address:
4. Name, Designation & Address of the contact person:
5. Contact Tel. Nos.:
6. Fax No.:
7. E-mail ID:
8. Place of Incorporation/Registration:
9. Year of Incorporation/Registration:
10. Geographical Area within which Applicant proposes to undertake Distribution of Electricity:
11. Following documents are to be enclosed:
 - a) Certificate of registration/incorporation;
 - b) Certificate for commencement of business;
 - c) Memorandum of Association and Articles of Association;
 - d) Original power of attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter;

- e) Details of Income tax Registration;
- f) Draft licence;
- g) All the documents mentioned in Regulation 46.6 of the Joint Electricity Regulatory Commission UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Procedure, Terms & Conditions for Grant of Distribution Licence and other Related Matters) Regulations, 2023

Details of Financial Data of Applicant

12. Net worth (in equivalent Indian Rupees-conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each Year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange Rate Used	In equivalent Indian Rupees

Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

13. Annual turnover (in equivalent Indian Rupees - conversion to be done at the rate of exchange prevailing at the end of each year) for immediate past 5 (five) financial years. (Specify financial year as applicable)

(DD/MM/YY) to (DD/MM/YY)	In Home Currency	Exchange Rate Used	In equivalent Indian Rupees

Copies of Annual Reports or certified audited results to be enclosed in support of above.

- 14. Certificate of Credit Rating
- 15. Certificate of 'Standard' borrowal account
- 16. Certificate stating that RBI has not classified the Applicant as a 'wilful defaulter'.
- 17. List of documents enclosed in support of Sl. Nos. (10) and (11) above:

Sl. No	Name of the Documents
(a)	
(b)	

18. A) Whether Applicant himself shall be financing the proposed Distribution of Electricity fully on its own balance sheet

B) If, yes, proposed equity from the Applicant

- i. Amount:
- ii. Percentage:

19. In case the Applicant proposes to tie up with some other Agency for equity, then name & address of such agency:

- a) Name, designation & Address of reference person of the other Agency:
- b) Contact Tel. No.:
- c) Fax No.:
- d) E-mail ID:
- e) Proposed equity from the other Agency
 - i. Amount:
 - ii. Percentage of total equity:
 - iii. Currency in which the equity is proposed:
- f) Consent letter of the other agency to associate with the Applicant for equity participation to be enclosed.

- g) Nature of proposed tie-up between the Applicant and the other agency.
20. Details of debt proposed for the Distribution activity:
- Details of lenders:
 - Amount to be sourced from various lenders:
 - Letters from the lenders in support of the above to be enclosed.
21. Competence of the Applicant
- (The Applicant is required to describe its Core Business Activities and previous experience in electricity sector in general and in particular to the Distribution of Electricity)
22. Organisational & Managerial Capability of the Applicant:
- (The Applicant is required to enclose proof of their Organisational & Managerial Capability, in terms of the Regulations, in form of proposed organisational structure & curriculum vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.)
23. Approach & Methodology:
- (The Applicant is required to describe approach & methodology for setting up its Distribution system and conduct of the business of Distribution of Electricity as proposed by it. This should contain a statement of the Applicant's plan on conduct of the business of Distribution of Electricity during the first year after the grant of licence and future plans for the said business during the next five years.)
24. Data relating to the applicants future business
- Five year Business Plan for Distribution of electricity for which the application is being made and funding arrangements for meeting its obligations under proposed licence for maintenance, operation, improvement and expansion for future load growth.
 - Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project financing stating the assumptions underlying the figures provided.

(Signature of the Applicant)

Place:.....

Dated:.....

Application form for Deemed Licence

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of Deemed Licence for Distribution of Electricity under Section 14 of the Electricity Act 2003 to:

Details of Applicant

- Full name of Applicant:
- Address of Applicant:
- Application fee (DD details):
- Registered Office Address:
- Local Office Address/Administrative Office Address:
- Contact Tel. Nos.:
- Fax No.:
- E-mail ID:
- Details of Authorized Signatory:
- Form of Incorporation, if any:
- Place of Incorporation/Registration:

12. Year of Incorporation/Registration:
13. Following documents are to be enclosed:
 - a) Certificate of registration/incorporation;
 - b) Certificate for commencement of business;
 - c) Memorandum of Association and Articles of Association (Duly mentioning Power Distribution is one of the Business Activity);
 - d) Original power of attorney of the signatory to commit the Applicant or its promoter;
 - e) Details of Income tax Registration;
14. Names and addresses of Directors / Competent Officers (Furnish details, if applicable):
15. Principal shareholders/Partners/Members:
16. Principal Business Activity:
17. Geographical Area within which Applicant proposes to undertake Distribution (to mention boundaries referring to the attached map when necessary):
18. Power Details:
 - a) Sourcing of Power:
 - i. Voltage:
 - ii. Source of supply (Own generation/purchase from others/discoms):
 - iii. Quantum of Electricity handled in last 12 months:
 - Demand (MW):
 - Energy (MU):
 - iv. Do you have any power supply agreement with any Discom/generator/Trader, if so, mention brief details power purchase
 - b) Supply of Power
 - i. Voltage of supply
 - ii. Persons to whom electricity is intended to be distributed with full details of categories of persons (members/employees' colonies/ other concerns/general public, etc.):
 - c) Funding arrangements for maintenance, operation, improvements and expansion to meet future load growth, supply obligations, etc.
 - d) Whether Applicant himself will be financing the proposed Distribution of electricity fully on its own balance sheet:

If, yes, proposed equity from the Applicant:

 - i. Amount:
 - ii. Percentage:
19. Organizational & Managerial Capability of the Applicant:

(The Applicant is required to enclose proof of their Organizational & Managerial Capability, in terms of the Regulations, in form of proposed organizational structure & curriculum vitae of various executives, proposed office and communication facilities, etc.)

 - a) Management Capability:
 - b) Financial Strength:
 - c) Ability to discharge supply function in a sustainable manner:
20. Date from which deemed licence is sought:

Period for which deemed licence is sought:
21. Detailed justification for seeking licence:
22. Other Information:
 - a) Whether the applicant or any of his partners or promoters or Directors or Associates has been declared insolvent and has not been discharged. If so, the details thereof;

- b) Details of cases resulting in conviction of fraud or economic offences of the applicant, any of his partners, promoters or Directors or Associates during the three years preceding the year of making application;
- c) Details of all pending cases involving the applicant, any. of his partners or promoters or Directors or Associates, which shall include nature of the dispute, whether civil or criminal, name of the other party or parties, the court before whom pending and the latest status;
- d) Whether the applicant or any of his partners, or promoters or Directors or Associates were ever refused licence. If so, give the details of date of making application, date of refusal and reasons for refusal.

23. List of Documents enclosed:

- a)
- b)

(Signature of the Applicant)

Place:

Dated:.....

List of Documents to Accompany with Application of Deemed Licence

1. Certificate of Incorporation from Registrar of Companies;
2. Copies of Company's Memorandum/Articles of Association/Partnership deed etc.
3. Proof of Authorization to sign the application form;
4. Data relating to management and Financial Capability:
 - a) Managerial:
 - i. Senior management's curriculum vitae;
 - ii. Cadre strength for different categories, technical and non-technical.
 - b) Financial:
 - i. Bank references asserting that the Applicant is financially solvent;
 - ii. Most recent Balance Sheet;
 - iii. Audited accounts for the Applicant and any Holding Company, Subsidiary or affiliated company for each of the three most recent financial years;
 - iv. Any accompanying notes and certifications on the above statements from a reputed chartered accountant. '
5. Data relating to the Applicant's future Business
 - a) Five year Business Plan for the business for which the application relates;
 - b) Five year annual forecasts of costs, sales, revenues and project financing stating the assumptions underlying the figures provided.
6. Detailed Maps of the proposed area of Distribution:

Detailed maps showing the area supplied and the configuration of the Distribution System, including information on Substations. The map shall clearly distinguish between the existing System and any new facilities that are or will be required for the purposes of providing Supply.

The map shall indicate the streets and roads in which the power is distributed and distinguish between public and private.
7. Proof of Service of the Copy of Application on incumbent Distribution Utility (STU);
8. Reasons for not furnishing any of the above documents thereof;
9. Details of Income tax Registration;
10. Any other relevant information.

APPENDIX - 5**JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION FOR UT OF JAMMU & KASHMIR AND UT OF LADAKH****DISTRIBUTION LICENCE**

1. The Joint Electricity Regulatory Commission (hereinafter referred to as the —Commission), in exercise of the powers conferred under Section 16 of the Electricity Act, 2003 (hereinafter referred to as —the Act), hereby grants this licence to M/s (hereinafter referred to as the Licensee) to distribute electricity in the area of distribution as specified below, subject to the provisions made in the Acts, the rules, general conditions of Distribution Licence specified under the Joint Electricity Regulatory Commission for UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh (Procedure, Terms & Conditions for Grant of Distribution Licence and other Related Matters) Regulations, 2023 and other Regulations specified by the Commission (herein after referred to as —Regulations:), including statutory amendments, alterations, modifications, re-enactments thereof, which shall be read as part and parcel of this licence.
2. Area of Distribution:
The area of Distribution shall be the whole of the area bounded as follows:
North – By
East – By
South – By
West – By
3. This Distribution Licence is not transferable, except in accordance with the provisions of the Acts, the Rules and the Regulations.
4. The Distribution Licensee shall not without prior approval of the Commission:
 - a) undertake any transaction to acquire by purchase or take over or otherwise, the utility of any other Licensee; or
 - b) merge its utility with utility of any other Licensee;
5. The Distribution Licensee shall not at any time assign its licence, or transfer its utility, or any part thereof, by sale, lease, exchange or otherwise without the prior approval of the Commission.
6. Any agreement relating to any transaction referred to in sub-clause (4) and sub-clause (5) unless made with the approval of the Commission, shall be void.
7. The grant of this Distribution Licence to the Licensee shall not in any way hinder or restrict the right of the Commission to grant a licence to any other person within the same area for Distribution of electricity. The Distribution Licensee shall not claim any exclusivity.
8. This Distribution licence shall commence on the date of its issue and unless revoked earlier, shall continue to be in force for a period of 25 (twenty five) years.
9. The Distribution Licensee may with prior intimation to the Commission, engage in any business for optimum utilisation of its assets:
Provided that the Distribution Licensee shall not engage in the business of transmission of electricity.
10. The Distribution Licensee shall pay Licence fee as specified by the Commission.
11. The provisions contained in the Acts shall apply to the Distribution Licensee with regard to revocation of Distribution Licence and sale of his utility.

SECRETARY**Joint Electricity Regulatory Commission****Place:.....****Date:.....**

APPENDIX - 6

**APPLICATION FOR AMENDMENT TO A LICENCE FOR DISTRIBUTION OF ELECTRICITY.
BEFORE THE JOINT ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**

Application No.....

Case No..... (To be filled in by Commission's office)

IN THE MATTER OF:

Grant of amendments to a Licence for Distribution of Electricity under Section 18 of the Electricity Act 2003 to:

1. Name of the Licensee
2. Address

The applicant hereby submits to the Commission the following particulars for making alterations or amendments to the terms and conditions of his existing Licence for Distribution of Electricity under Section 18 of Electricity Act 2003:

3. Particulars of existing licence.
 - a. Licence No. Dated
 - b. Its area of supply.
 - c. Changes, if any, proposed in area of supply.

Existing Area	Proposed Area

- i. Name and address of Zila Parishads and municipalities falling within the area of supply to be affected by proposed alteration or modification.
- ii. Cantonments, aerodrome, fortress, arsenal, dockyard or camp or any building or place in occupation of the government for defence purposes falling within the area of supply to be affected by proposed alteration or modification.
4. Specific amendment/ alteration proposed in other clauses.

Existing Provision	Proposed amendment/alteration

5. Reasons for the alternation/amendment sought.
6. If the proposed amendment/ alteration will lead to additional investment, arrangements for funding it.
7. Any other particulars considered relevant/necessary.
8. Details of Fee for alteration or amendment. DD No..... dated..... In favour of Secretary, Joint Electricity Regulatory Commission for the UT of Jammu & Kashmir and UT of Ladakh, drawn on.....bank; for Rs; payable at Jammu, Jammu & Kashmir.

(Signature of the Applicant)

Place:Dated:.....

List of Documents to Accompany with Application for amendment/alteration to an existing licence

1. Affidavit of the authorised person on non-judicial stamp paper of appropriate value.
2. Copy of existing licence and designated map.
3. Map of the area of supply or Distribution, if alteration or modification of such area is proposed.
4. Relevant resolution of Company/Society/Local authority.
5. Letter of authority of the Board of Directors in favour of the persons signing the application.
6. Documents mentioned in Regulation 46.6 and **Appendix - 4** as relevant to the amendment proposed & Proof of payment of application fee.